लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

[खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—3, बुधवार, 17 नवम्बर, 1971/26 कार्तिक, 1893 (शक)
No.—3, Wednesday, November 17, 1971/Kartika 26, 1893 (Saka)

	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
	ता० प्रा० संख्या S. Q. No.		
61.	वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की पद्धति को समाप्त करने की मांग	Demand for abolition of system of Annual confidential Reports	1—2
62.	चौथी पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण	Revision of Fourth Five Year Plan	2—4
66.	भारत में नगरीकरण की धीमी गति	Low Rate of Urbanisation in India	4—6
67.	कलकत्ता के निकट कोसीपुर-बेरनगोर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की गई हत्याओं की न्यायिक जांच और पश्चिम बंगाल में जेलों में अभियोगाधीन राजनीतिक बन्दियों की हत्या की जांच	Judicial Inquiry into Mass Murders in Cossipore-Baranagore area near Calcutta and probe into killing of undertrial political prisioners in jails in West Bengal	6—12
69.	छोटी कार	Small Car	12—14
70.	सीमा सुरक्षा बल का एक पृथक सेवा के रू में पुनर्गठन	Re-Constitution of Border Security Force into a Separate Service	14
72.	आदिवासी क्षेत्रों में प्रसारणों के पहुंचाने के लिए आकाशवाणी केन्द्र	Radio Stations for coverage of Tribal Areas	14—16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
73.	गांवों में पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Drinking Water Facilities in Villages	16—18
76.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में प्रशिक्षण हेतु पाकिस्तानी नागरिकों की भर्ती	Recruitment of Pakistani Nationals for C. R. P. Training	18—19
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
63.	नैनी में दूर संचार उपकरणों का कारखाना	Telecommunication Factory at Naini	19—20
64.	दिल्ली में आग लगने की एक घटना में पुलिस कर्मचारियों से सम्बन्धित दस्तावेजों का नष्ट हो जाना	Destruction of Record relating to Police Employees in a Fire in Delhi	20
65.	नक्सलवादियों के साथ औपचारिक वार्ता	Formal Negotiations with Naxalites	21
68.	ट्रांजिस्टरों का निर्माण	Manufacture of Transistors	21—22
71.	डाक वस्तुओं पर वितरण तिथि की मोहरें लगाने की पद्धति को पुनः आरम्भ करना	Re. introduction of Delivery date franking Stamps on Postal Article	22
75.	मैसूर राज्य में तांबे की तारों की चोरी	Theft of Copper Wires in Mysore State	22—23
77.	अपराधियों से लोगों की रक्षा करने के लिये दिल्ली में पुलिस प्रशासन की कार्य-कुशलता बढ़ाना	Toning up of Police Administration in Delhi to Protect People from Criminals	23—24
78.	फगवाड़ा (पंजाब) के व्यापारी का अपहरण	Kidnapping of a Businessman of Phagwara (Punjab)	24
79.	मद्रास में टेलीविजन केन्द्र	T. V. Centre in Madras	24—25
80.	मुक्तिवाहिनी द्वारा पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध अपनी गतिविधियां बढ़ाये जाने के पश्चात पाकिस्तानी घुसपैठियों की कार्यवाहियां	Acts of Pak Infiltrators after Mukti Bahini Intensified its offensive against Pak Army	25

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
81. प्राकृतिक संसाधनों के विकास हेतु उच्च अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय बोर्ड	High-Powered National Board for Development of Natural Resources	25—26
82. आकाशवाणी द्वारा प्रसारित भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा अपने इंगलैंड के दौरे के दौरान खेले गये टैस्ट मैचों का आंखों देखा हाल	A.I.R.'s running Commentary of Tests played by Indian Cricket Team during their Tour of England	26
83. आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व इंस्पैक्टर-जनरल आफ पुलिस के विरुद्ध जांच ब्यूरों की जांच	C. B. I. Inquiry against former I. G. of Police Andhra Pradesh	26—27
84. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा थाम्पसन प्रेस को छपाई का आर्डर	Print Order by D. A. V. P. on Thompson Press	27
85. डाक तथा तार विभाग के इंजीनियरों सुपरवाइजरों द्वारा डाक तार भवन, नई दिल्ली पर प्रदर्शन	Demonstration by P and T Engineering Supervisors at Dak Tar Bhavan, New Delhi	27—28
86. समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण	Measures for Diffusion of Ownership of Newspapers and News Agencies	28
87. उपभोक्ताओं के घरों पर टेलीफोन काल मीटर लगाना	Installation of Telephone Call metering Instruments in Subscribers Homes	28
89. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Director of Indian Institute of Public Administration	29

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. No.			
401.	केरल में उत्पादन केन्द्रों के लिये निगम	Corporation for Production Centres in Kerala	29
403.	केरल में टेलीफोन उद्योग कारखाने की स्थापना	Setting up of Telephone Industrial Factory in Kerala	30

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
404.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा से बाहर के सहायकों के लिये अनुभाग अधिकारियों की परीक्षा में बैठने की योग्यता	Eligibility for Assistants outside C S.S. to appear in Section Officers' Examination	30—31
405.	डाल्टनगंज मुख्य डाकघर	Daltonganj Head Post Office	31
406.	बिहार में मुख्य डाकघर भवन का निर्माण	Construction of Head Post Office Building in Bihar	31—32
407.	छोटे समाचार पत्रों को विज्ञापन सामग्री देना	Supply of Advertisement Materials to Small Newspapers	32
409.	दिल्ली में हायर सैकेण्डरी स्कूलों के लिये वाइस प्रिंसिपलों की भर्ती	Recruitment of Vice-Principals for Higher Secondary Schools in Delhi	32—33
410.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की भर्ती	Recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	33
411.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर के चेयरमैन के विरुद्ध टीका-टिप्पणी	Strictures against Chairman of British India Corporation, Kanpur	33
412.	भारत में पूंजी निवेश की स्थिति	Investment Climate in India	34
413.	औद्योगिक सहयोग के बारे में भारत-ब्रिटिश वार्ता	Indo-British Talks on Industrial Collaborations	34—35
414.	"प्रतिभा-पलायन"	Brain Drain	35
415.	अपराधों की संख्या का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण	Survey Conducted to Find out Crimes	36
416.	रूसी सहयोग से घड़ियां बनाने का कारखाना	Setting up of Watch Factory in Collaboration with U.S.S.R.	36
417.	अनुसंधान संस्थाओं की देख-रेख के लिये विज्ञान विभाग की स्थापना	Setting up of Science Department to Supervise Research Organisations	36
418.	उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Consumer Goods	37
419.	भारत में विदेशी धर्म प्रचारक	Foreign Missionaries in India	37—38

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
420.	राष्ट्रीय रजिस्टर योजना — National Register Scheme	38
421.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों का प्रशिक्षण — Training of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Officers	38–39
422.	धनबाद स्थित केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दियां देना — Supply of Uniforms to Class IV staff in Central Fuel Research Institute Dhanbad	39—40
424.	राज्यों में मंत्रियों की संख्या नियत करने के लिये कानून बनाना — Enactment of Law for Fixing Strength of Ministers in States	40
425.	राजनैतिक बन्धों तथा हड़तालों को अवैध घोषित करने का प्रस्ताव — Proposal for Declaring Political Bandhs, Hartals and Strikes as Illegal	40—41
426.	जेलों में अभियोगाधीन बन्दियों की स्थिति — Condition of Undertrials in Jails	41
427.	खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के बारे में अशोक मेहता समिति की सिफारिशें — Recommendations of Asoka Mehta Committee on Khadi and Village Industries Commission	41
428.	दिल्ली में अवैध वायदा-व्यापार से सम्बन्धित दस्तावेजों का पकड़ा जाना — Seizure of Records in Delhi Pertaining to Illegal Forward Trading	41—42
429.	राजस्थान में पूर्वी राज्यों को नमक की ढुलाई — Movement of Salt from Rajasthan Eastern States	42—43
430.	हरिजन महिला को अमानुषिक यंत्रणा — Inhuman Torture of a Harijan Woman	43
431.	ऊटाकमंड में रंगीन फिल्मों के कारखाने की स्थापना — Setting up of Colour Film Factory in Ootacamund	43
432.	सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण — Manufacture of Scooters in Public Sector	43
433.	कचार जिले (आसाम) में गिरफ्तार किये गये संदिग्ध व्यक्ति — Suspects arrested in District Cachar (Assam)	44
434.	आसाम में सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना — Strengthening of Border Security in Assam	44

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
435.	सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना — Small Car Project in Public Sector	44—45
436.	कार्यपालिका के कृत्यों और सिविल कर्मचारियों के संबंध में मंत्रियों का उत्तरदायित्व — Ministerial Responsibility Re : Executive Functions and Civil Servants	45
438.	सिख होमलैंड की कथित मांग — Alleged Demand for Sikh Homeland	45
439.	पंजाब में नक्सलवादियों की हिंसात्मक गतिविधियां — Violent Activities of Naxalites in Punjab	45
440.	मंत्रियों का आडम्बर पूर्ण रहन-सहन — Ostentatious Living by Ministers	46
441	शरणार्थियों के बीच पाये गये जासूसों की गिरफ्तारी — Arrest of Spies Detected among Refugees	46
442.	पश्चिम बंगाल में एक सुविख्यात कवि और कथित नक्सलवादी नेता की गिरफ्तारी — Arrest of a Well-known Poet and allegedly a Naxalite Leader in West Bengal	46—47
443.	लघु स्तर ट्रांजिस्टर बनाने वाले कारखानों का बन्द किया जाना — Closure of Transistors Factories in Small Scale Sector	47—48
444.	एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथायें अधिनियम के लागू किये जाने के पश्चात एकाधिकार गृहों को दिये गये लाइसेंस — Issue of Licences to Monopoly Houses after enactment of Monopolies and restrictive Trade Practices Act, 1969	48
445.	कारों का स्तर — Quality of Cars	49
447.	उड़ीसा के पिछड़े जिलों का विकास — Development of Backward Districts Orissa	49—50
448.	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में पदोन्नति का अभाव — Stagnation in Central Secretariat Stenographers' Service	50
449.	देश में परमाणु संयंत्रों की स्थापना — Setting up of Atomic Plants in the Country	50 – 51
450.	स्कूटरों की मांग — Demand for Scooters	51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
451. ड्राफ्ट्समैन और सर्वेक्षकों की पदोन्नति और भर्ती के नियम	Recruitment Rules of promotion of Draftsmen and Surveyors	52
452. साम्प्रदायिक अपराधों के संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल) के लिये विशेष न्यायालय	Special Courts for Summary Trials of Communal Offences	52
453. कला और साहित्य में अश्लीलता	Obscenity in Art and Literature	52—53
454. भारत-पाक-सीमा से संबंधित दस्तावेजों का खोया जाना	Missing Documents relating to Indo-Pak Border	53
455. प्रधान मन्त्री और अन्य नेताओं की हत्या की कथित योजना	Alleged Plot to Murder Prime Minister and other Leaders	53
456. राजस्थान के बाड़मेर जिला सहकारी बैंक से दो लाख रुपये लेकर पाकिस्तान भाग जाने वाले व्यक्ति	Persons escaped to Pakistan with huge amount from District Barmer Co-operative Bank, Rajasthan	53—54
458. रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये औद्योगिक विकास	Industrial Development for Creating Employment Opportunities	54
459. 'सिविल इन्जीनियरों' की कमी	Shortage of Civil Engineers	54—55
460. पिछड़े जिलों में लघु तथा मध्यम स्तर के औद्योगिक एककों के लिये सहायता	Assistance to Small and Medium Industrial Units in Backward Districts	55
461. टेलीफोन के बिलों की बकाया राशि	Arrears of Telephone Dues	55—56
462. संकटकालीन स्थिति की घोषणा करने का प्रस्ताव	Proposal to Declare Emergency	56
463. बिहार के भागलपुर जिले के साहुपर्वता गाँव में तार और टेलीफोन की सुविधायें	Telegraph and Telephone Facilities at Sahu Parbatta Village in Bhagalpur District (Bihar)	56—57
464. रतलाम तथा झाबुआ (मध्य प्रदेश) जिलों में उद्योगों का स्थापित किया जाना	Setting up of Industries in Ratlam and Jhabua Districts (Madhya Pradesh)	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
465.	मंत्रियों की आय और आस्तियों को विवरणियां — Recturns of Income and Assets of Ministers	57
466.	सरकार द्वारा पुराने नियमों का पुनर्विलोकन — Reviewing of Old Rules by Government	57—58
467.	हिन्दी दैनिक पत्र "अवन्तिका" — The Avantika, A Hindi Daily	58
468.	योजना आयोग के कृत्यों का पुनर्निर्धारण — Re-orientation of Functions of Planning Commission	58
469.	मनीआर्डरों की जालसाजी को रोकने के लिये कार्यवाही — Steps to Check Money Order Frauds	59
470.	राज्य स्तर पर योजना निकायों की स्थापना — Setting up of Planning Bodies at State Levels	59—60
471.	दिल्ली में नागरिक सुरक्षा उपाय — Civil Defence Measures in Delhi	60
472.	दिल्ली नागरिक परिषद — Delhi Citizens Council	60—61
473.	जादवपुर (पश्चिम बंगाल) में जय इन्जीनियरिंग वर्क्स के एक कर्मचारी की हत्या — Murder of a Worker of Jay Engineering Works, at Jadavpur (West Bengal)	61
474.	गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षमता का कम उपयोग — Under-Utilisation of Industrial Capacity in Private and Public Sectors	61—62
475.	प्रशासन सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन — Reports Submitted by A.R.C.	62 63
476.	औद्योगिक लाइसेंसों के लिए पश्चिम बंगाल के अनिर्णित आवेदन पत्र — Pending Applications from West Bengal for Industrial Licences	63
477.	अहमदाबाद के प्रयोगात्मक भू-उपग्रह केन्द्र में परिवर्तन — Modifications in Experimental Satellite Earth Station at Ahmedabad	63—64
478.	इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा टेलीविजनों का निर्माण — Manufacture of T.V. Sets by Electronics Corporation of India	64
479.	केरल में अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना — Setting up of Newsprint Factory in Kerala	64—65

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
481. हावड़ा में कांग्रसियों द्वारा कथित उपद्रव	Alleged Mob Violence of Congressmen in Howrah	65
482. कृषि ट्रैक्टर निर्माण कारखानों के लागत ढांचे की जाँच	Inquiry into cost structure of units Manufacturing Agricultural Tractors	65
483. आंध्र प्रदेश में स्थित रायल सीमा में भारी उद्योगों की स्थापना	Setting up of Heavy Industries in Rayalaseema (Andhra Pradesh)	66
484. समुद्रपारीय संचार सेवा कर्मचारी संघ, कलकत्ता का प्रतिनिधिमंडल	Deputation of Overseas Communication Service Employees' Union Calcutta	66
485. पूर्वी क्षेत्र में फिल्म उद्योग का विकास	Development of Film Industry in Eastern Region	66—67
486. पश्चिम बंगाल में बन्द कारखानों का फिर से खोला जाना	Reopening of Closed Industries in West Bengal	67
487. सिलाई की मशीनों और पंखे बनाने वाले कारखानों का पश्चिम बंगाल से हैदराबाद ले जाया जाना	Shifting of Sewing Machine and Fan Factory from West Bengal to Hyderabad	67
488. शिकायतों के प्रकटीकरण के लिये पत्रकार सम्मेलन बुलाने के सम्बन्ध में अधिकारियों के लिए आचार संहिता	Code of Conduct for Officers re: Holding of Press Conferences to Ventilate Grievances	68
489. राज्यों में नर-बलि के मामले	Cases of Human Sacrifice in States	68
490. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee on Science and Technology	69
491. आनन्द मार्ग संगठन के कार्यालयों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों का छापा	C.B.I. Raid on Anand Marg Organisation Offices	69—70
492. आसाम तथा अन्य सीमावर्ती राज्यों में भारतीयों सहित तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानी व्यक्तियों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak Saboteurs including Indians in Assam and other Border States	70

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
493. भारतीय फिल्मों का चोरी-छिपे निर्यात	Clandestine Export of Indian Films	70—71
494. मुर्शिदाबाद में कृषि मजदूर संघ के अध्यक्ष की हत्या के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action against Persons responsible for murdering President of Agricultural Labour Union in Murshidabad	71
495. पश्चिम बंगाल में हिंसा निरोधक अधिनियम का प्रयोग	Use of Prevention of Violence Act in West Bengal	71
496. थुम्बा राकेट स्टेशन में विस्फोट	Explosion in Thumba Rocket Station	72
497. पाकिस्तानी रेडियो, टेलिविजन तथा प्रेस द्वारा भारत-विरोधी प्रचार	Anti-Indian Propaganda over Pak Radio T.V and Press	72
498. शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों में बेरोजगारी दूर करने हेतु, बजट में की गई व्यवस्था का उपयोग न किया जाना	Non. Utilization of Budget Provision for removing Unemployment among Educated Unemployed Persons	73—74
499. औद्योगिक विकास में कमी	Fall in Industrial Growth	74—76
500. चौथी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन	Mid-Term appraisal of Fourth Plan	76
501. फोटो फिल्मों की कमी	Shortage of Photo Films	77—78
502. दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के वेतनमान	Pay Scales of Police Personnel in Delhi	78
503. दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के लिये आवास योजनायें	Housing Schemes for Police Personnel in Delhi	78—79
504. जम्मू राजस्थान, उत्तर बंगाल और गुजरात में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak Spies in Jammu, Rajasthan North Bengal and Gujarat	79
505. औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश	Investment in Industrial Sector	79—80
507. मनीपुर में कागज मिल की स्थापना	Setting up of Paper Mill in Manipur	80—81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
508. मसूलीपटनम स्थित आन्ध्र साइन्टिफिक कम्पनी का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Take over of Andhra Scientific Company at Masulipatnam	81
509. मैसर्स अलकोक एशडाउन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, भावनगर	M/s. Alcock Ashdown and Co., Ltd., Bhavnagar	81
510. बिहार में परमाणु शक्ति केन्द्र का स्थापित किया जाना	Setting up of Atomic Power Station in Bihar	82
511. बिहार में स्कूटर कारखाने की स्थापना	Setting up of Scooter Factory in Bihar	82
512. पश्चिम बंगाल में पकड़-धकड़ के कार्यों पर सिविल अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन	Reports of Civil Officials on Combing Operations in West Bengal	82—83
513. पश्चिम बंगाल के थानों में सेना/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करना	Posting of Army/C.R.P. Personnel in Police Stations in West Bengal	83
514. 1972-73 की योजना का आकार	Size of 1972-73 Plan	83
515. अन्तर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यमों पर औद्योगिक नीति का लागू किया जाना	Application of Industrial Policy to International Joint Ventures	83—84
516. पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रशिक्षित पाकिस्तानी जासूसों की घुसपैठ	Infiltration of Trained Pak Spies in North Eastern Region	84
517. निवेशकर्ताओं के लिए मार्ग-दर्शन ब्यूरों की स्थापना	Setting up of Guidance Bureau for Investors	84—85
518. प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को रूसी सहायता	Soviet Assistance to India in the Technological Field	85
519. सेवा निवृत्ति के पश्चात अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति	Re-employment of Officers after Retirement	85—86

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
520. सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रम	A.I.R. Programmes for Jawans on Borders	86
521. नागरिक सुरक्षा हेतु आकाशवाणी से कार्यक्रम	Programmes over A.I.R. for Civil Defence	86
522. अन्तर्राज्य परिषद की स्थापना	Setting up of an Inter-State Council	87
523. भारत में गरीबी का हटाया जाना	Eradication of Poverty in India	87
524. हिमालय के क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष सैल	Special Cell for Development of Himalayan Areas	87
525. टेलीफोन कनैक्शनों के लिए बनी प्रतीक्षा-सूची में आवेदकों की संख्या	Applicants on Waiting List for Telephone Connections	88
526. आसाम और मेघालय में तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानी लोग	Pak Saboteurs in Assam and Meghalaya	88
527. कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण आसाम में उद्योगों का बन्द हो जाना	Closure of Industries in Assam due to Non. Availability of Raw Materials	88—89
528 मेघालय में उद्योग	Industries in Meghalaya	89—90
529. अखबारी कागज उपलब्ध न होने के कारण आसाम में समाचार पत्रों का बन्द हो जाना	Closure of Newspapers in Assam due to Non-Availability of Newsprint	90
530. युरेनियम की नाजिल पृथक करने की प्रक्रिया में पश्चिमी जर्मनी द्वारा सहायता	Assistance by West Germany in Nozzle Separation Process of Uranium	90—91
532. बंगाल के फिल्म उद्योग को वित्तीय संकट	Bengal Film Industry facing financial crisis	91
533. छोटी कार के निर्माण के लिए तकनीकी समिति का प्रतिवेदन	Report of Technical Committee manufacture of Small car	92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
534. पूर्ववर्तिता में एक महापौर का स्थान	Place of a Mayor in the Order of Precedence	92
535. यूरेनियम के नोजल पृथकीकरण प्रक्रिया के लिये पूर्व जर्मनी द्वारा सहायता	Assistance by East Germany in Nozzle Separation Process of Uranium	93
536. वाराणसी जिले (उत्तर प्रदेश) में बेहरा में हरिजनों पर हमला	Assault on Harijans of Behara in Varanasi District (U.P.)	93
537. नेफा और शिलांग में असैनिक दंगे	Civil disturbances in N.E.F.A. and Shillong	94
538. बंगाल बन्द	Bengal Band	94
539. पखों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Fans	95
540. टैनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के कार्य परिणाम	Working results of tannery and footwear Corporation of India Ltd., Kanpur	95
541. पिछड़े क्षेत्र विकास योजना के प्रति उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया	Response of Industrialists to Backward Areas Development Scheme	96
543. पश्चिम बंगाल में सेना, पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के फलस्वरूप मारे गए व्यक्ति	Persons killed in West Bengal as a result of Military, Police and C.R.P. Firing	96
544. पश्चिम बंगाल में प्रजातान्त्रिक दलों की मिली-जुली सरकार द्वारा समाज विरोधी तत्वों को रिहा करना	Release of Anti-social elements by Democratic Coalition Government in West Bengal	96—97
545. आकाशवाणी, कलकत्ता की सलाहकार समिति और कार्यक्रम समिति का पुनर्गठन	Reconstitution of Advisory Committee and Programme Committee of A I.R. Calcutta	97
546. काकद्वीप (पश्चिम बंगाल) में कागज तथा गत्ता उद्योग की स्थापना	Setting up of a Paper and Strawboard Industry at Kakdwip (West Bengal)	97—98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
548. विक्रमगढ़ कालोनी, जाधवपुर (पश्चिम बंगाल) के निवासियों पर हमला	Attack on Residents of Vikramgarh Colony Jadavpur (West Bengal)	98
549. छोटी सादड़ी स्वर्ण कांड	Chhoti Sadri Gold Scandal Case	98
550. दीपावली की पूर्व संध्या पर दिल्ली में आग लगने के मामले	Cases of Fire in Delhi on the Eve of Dewali Festival	99
551. इण्डियन मर्चेंट्स चैम्बर के अध्यक्ष द्वारा उत्पादन प्रधान वित्तीय नीति बनाने के लिये अनुरोध	Plea for production oriented Fiscal Policy by President of Indian Merchants Chamber	99—100
552. टाटाओं और बिड़लाओं को पंजाब में औद्योगिक परियोजनाओं के लिये लाइसेंस	Issue of Licences to Tatas and Birlas for Industrial Projects in Punjab	100
553. पुलिस द्वारा मुक्तसर (पंजाब) में विद्यार्थियों पर किये गये लाठीचार्ज के बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच	Magisterial Enquiry into Police Lathi Charge on Students in Muktsar (Punjab)	100—101
554. पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवा से निकालना	Dismissal of State Government Employees in West Bengal	101
555. पंजाब के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने हेतु एक आयोग की नियुक्ति	Appointment of a Commission to inquire into Charges of Corruption against former Ministers of Punjab	101—102
556. प्रेस-ट्रस्ट आफ इण्डिया का निगम में परिवर्तन	Conversion of P.T.I. into a Corporation	102
557. बंगलौर में छात्रों पर लाठी चार्ज	Police Lathi Charge on Students in Bangalore	102
558. अलवाय टेलीफोन व्यवस्था का स्वचालित केन्द्र में बदला जाना	Conversion of Alwaye Telephone System into Auto-Exchange	103
559. कन्नानुर में स्विच कारखानों की स्थापना	Setting up of a Switch Factory in Cannanore District	103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
560. टुमकुर जिले (मैसूर) में कागज के कारखाने की स्थापना	Setting up of a Paper Mill in Tumkur District (Mysore)	104
561. नई दिल्ली नगर पालिका के लिये सदस्यों का मनोनयन	Nomination to N.D.M.C.	104
562. नई दिल्ली नगर पालिका के लिये सदस्यों का मनोनयन	Nomination of Members to N.D.M.C.	104
563. स्वदेशी प्रौद्योगिकी के लिये पृथक विभाग का बनाया जाना	Creation of a Department for Indigenous Technology	105
564. दिल्ली पुलिस की सेवा शर्तों की जांच करने के लिये आयोग की स्थापना	Commission to inquire into the service conditions of Delhi Police	105
565. दिल्ली में एक घातक दुर्घटना के बारे में जांच	Investigation into a Fatal Accident in Delhi	105
566. पंजाब के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने में सहायता के लिये विशेष शाखा	Special Cell to assist inquiry into charges of Corruption against former Ministers of Punjab	106
567. दक्षिण पूर्व एशिया से भारत आने वाली डाक का गुम हो जाना	Alleged loss of India bound Letters from South-East Asia	106
568. चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से ज्ञात राज्यों के संसाधनों की दशा में सामान्य ह्रास	General deterioration in the resources position of States as revealed in the Mid-term Appraisal of Fourth Plan	106—107
569. पश्चिम बंगाल अग्नि शमन सेवा के एक कर्मचारी की मृत्यु	Death of an Employee of West Bengal Fire Services	107
570. मध्य प्रदेश में लौह अयस्क निक्षेपों का उपयोग	Exploitation of Iron Ore deposits in Madhya Pradesh	107
571. मध्य प्रदेश में कागज मिलों की स्थापना	Setting up of Paper Mills in Madhya Pradesh	108

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
572. पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और जापान के सहयोग से औद्योगिक कारखानों की स्थापना	Setting up of Industrial Plants in Callaboration with West Germany, Britain and Japan	108
573. राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण आसाम के दो गांवों पर दण्डात्मक रूप में जुर्माना करना	Imposition of Collective Fines on Two Villages of Assam as Punitive Action Against Anti-National Activities	109
574. गीत तथा नाटक प्रभाग के सशस्त्र सैनिक मनोरंजन विभाग को समाप्त करना	Dissolution of Armed Forces Entertainment Wing of Songs and Drama Division	109
575. भारतीय रसायन उद्योग-पतियों के अध्ययन दल की जापान जात्रा	Visit by Indian Chemical Industrialists Study Team to Japan	109—110
576. गाड़ियों की गति बढ़ाने से डाक सेवा को हानि	Postal Service Hit by Speeding up of Trains	110
578. लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों में बेकार जन-शक्ति का उपयोग	Utilisation of Idle Manpower in small Scale and Cottage Industries	110—111
579. पश्चिम बगाल में राज्य सरकार के बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करना	Reinstatement of Dismissed State Government Employees in West Bengal	111
580. पश्चिम बंगाल में उद्योगों का विकास	Development of Industries in West Bengal	111—112
581. बड़ौदा में टेलीविजन केन्द्र	T.V. Station in Baroda	112
582. बड़ौदा को अहमदाबाद, बम्बई और दिल्ली के साथ सीधे टेलीफोन की व्यवस्था से जोड़ना	Connection of Baroda with Ahmedabad Bombay and Delhi by Trunk Dialling	112
583. पटना में टेलीविजन रिले केन्द्र	T.V. Relaying Station at Patna	113
584. अक्तूबर, 1971 में हुए बंगाल बन्द पर प्रतिवेदन	Reports on Bengal Band of October, 1971	113

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
585. अंदमान तथा अन्य भारतीय द्वीपों में संचार-व्यवस्था में सुधार	Improvement of Communications in Andaman and other Indian Islands	113—114
586. बिहार का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Bihar	115
587. दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र	Applications for Telephone Connections in Delhi	115
588. इंदौर, उज्जैन तथा देवास में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची	Waiting list for telephone connections at Indore, Ujjain and Dewas	115—116
589. पासपोर्टों की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात मध्य प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak Nationals over Staying in Madhya Pradesh after expiry of their Passports	116
590. पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं के कारण जन-धन की हानि	Loss of Life and property in West Bengal due to violent incidents	116
591. ठाकुर पेपर मिल्स समस्तीपुर (बिहार) का पुनः चालू किया जाना	Rehabilitation of Thakur Paper Mills Samastipur (Bihar)	116
592. आकाशवाणी का मिथला प्रसारण केन्द्र	Mithila Broadcasting Station of All India Radio	116
593. बड़ौच जिले में माओ-विरोधी पर्चियों का पाया जाना	Anti-Mao Leaflets found in Broch District	117
594. "ब्लिट्ज" में प्रकाशित "गांधी हत्या रहस्य" शीर्षक वाले लेख	Articles captioned 'Gandhi murder Mystery' Published in Blitz	117
595. अमरीका द्वारा तैयार किए गए प्लास्टिक विस्फोटक पदार्थों सहित पाकिस्तानी जासूसों की आसाम में गिरफ्तारी	Pak, Spies with U.S. Made Plastic Explosives arrested in Assam	117
596. भिवंडी दंगों के बारे में जांच रिपोर्ट	Enquiry Report on Bhivandi Riots	118

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
597. नक्सलवादी अभिशाप के कारण बंगाली फिल्म एक्टरों और व्यापारियों का बम्बई को पलायन	Migration of Bengali Film Actors and businessmen to Bombay as a result of Naxalite Menace	118
599. महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में औद्योगिक नमक का मूल्य	Prices of Industrial Salt in Maharashtra and West Bengal	119
600. मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड के शेयरों का बड़े व्यापार गृह द्वारा अर्जित किया जाना	Acquisition of Shares of Mysore Paper Mills Ltd. by a large Business House	119
विशेषाधिकार के बारे में प्रश्न	Re Question of Privilege	119
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	120
पंजाब में फरीदकोट और पिपली के बीच विस्फोटक सैनिक सामग्री से लदे हुए एक माल डिब्बे को उड़ा दिये जाने का समाचार	Reported blowing up of wagon carrying army explosives near Faridkot and Pipli in Punjab	120– 122
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा	Shri Devinder Singh Garcha	120
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri V. C. Shukla	120—122
डा० सरदीश राय और श्री भान सिंह भौरा के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न	Questions of Privilege re-police misbehaviour toward Dr. Saradish Roy and Shri B. S. Bhaura	122—123
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	123—127
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bill and Resolutions	128
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report	128
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	128
सातवां, आठवां और नवां प्रतिवेदन	Seventh, Eighth and Ninth Reports	128
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	128
बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन	Twelfth and Thirteenth Reports	128

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
निर्वाचन विधि में संशोधनों सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re-Report of Joint Committee on Amendments to Election Law	129
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के बारे में	Re-Dearness Allowance to Central Government employees	129
कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill	130—133
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	130
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	130
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	130—133
भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re-Eleventh Report of Commissioner of Linguistic Minorities	133—137
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha	133—134
श्री दशरथ देब	Shri Dasaratha Deb	134—135
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	135—136
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	136
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	136—137
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	137
पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion re-Law and Order situation in West Bengal	138—151
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	138—140
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munshi	140—141
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	142—143
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	143—144
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	144—145
श्री रामसहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	145—146
श्री श्याम नन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	146
श्री सिद्धार्थ शंकर राय	Shri Siddhartha Shankar Ray	146—149
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	149—150
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri	150
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	150—151
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	151
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	151
पांचवां प्रतिवेदन	Fifth Report	151
पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी	Motion regarding Law and Order situation in West Bengal	151—154

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 17 नवम्बर, 1971/26 कार्तिक, 1893 (शक)
Wednesday, November 17, 1971/Kartika 26, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की पद्धति को समाप्त करने की मांग

*61. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब सरकार कालेज प्राध्यापक संघ की मांगों की ओर दिलाया गया है जिनमें उन्होंने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की पुरानी पद्धति को समाप्त करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). पंजाब सरकार कालेज प्राध्यापक संघ से ऐसी कोई विशिष्ट मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, पंजाब सरकार को संघ द्वारा गोपनीय रिपोर्टों की पद्धति में सुधार और पुनरीक्षण से सम्बन्धित दिनांक 22 अगस्त, 1971 का पारित संकल्प प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों के सामान्य अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए इस पर जांच की जा रही है।

श्री अजीत कुमार साहा : क्या पश्चिम बंगाल अथवा अन्य किसी राज्य में वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की पद्धति अभी भी लागू है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न केवल पंजाब के बारे में है न कि पश्चिम बंगाल अथवा अन्य किसी राज्य के बारे में ।

श्री अजीत कुमार साहा : मंत्री महोदय ने कहा था कि केन्द्र द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार ऐसा किया जा रहा था ।

श्री राम निवास मिर्धा : इस सम्बन्ध में मैंने केन्द्र के किसी अनुदेशों का उल्लेख नहीं किया था । राज्य सरकार ने ऐसे अनुदेश दिये हैं क्योंकि राज्य कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का ही होता है ।

श्री अजीत कुमार साहा : क्या मैं जान सकता हूं कि स्वतन्त्र भारत में कहीं भी कालेज के प्राध्यापकों के साथ जिन्हें राष्ट्र-निर्माता माना जाता है ऐसा अफसरशाही बर्ताव क्यों किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब तर्क करने लगे हैं ।

श्री सेझियान : अभी भी ऐसा क्यों हो ? उनका यह प्रश्न है ।

श्री जगन्नाथराव जोशी : अब तक किसी ने इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया है ।

श्री रामनिवास मिर्धा : आपकी अनुमति से मैं संकल्प का ही कुछ भाग पढ़कर सुनाता हूँ । पंजाब सरकार कालेज प्राध्यापक संघ के संकल्प में यह नहीं कहा है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट होनी ही नहीं चाहिये । इसमें केवल यह कहा गया है :

> 'यह पुनः यह मांग करता है कि आचार्यों को चाहिए कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखते समय राज्य सरकार के अनुदेशों का कठोरता से पालन करें और यदि कोई प्रतिकूल टिप्पणी देनी हो, तो सम्बन्धित प्राध्यापक को ठीक निर्धारित अवधि के भीतर सूचना दी जाये और अनुदेशों के पालन न होने की स्थिति में यदि कोई प्रतिकूल टिप्पणी करनी हो, तो उसे टाला जाये ।"

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के मूल प्रश्न पर संघ को आपत्ति नहीं है परन्तु उनका कहना है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने के मामले में और प्रतिकूल टिप्पणियों की सूचना तथा उनके हटाये जाने के बारे में, यदि आवश्यक हो, तो सरकारी अनुदेशों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिये ।

चौथी पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण

\+

***62. श्री जगन्नाथ राव जोशी :** **श्री अमर नाथ चावला :**
श्री विश्व नारायण शास्त्री :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षण की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जा रहा है। संसाधनों की स्थिति के अध्ययन से पता चला है कि यदि दिसम्बर, 1971 के अन्त तक विस्थापित सहायता के कारण पड़ने वाले भार को भी ले लिया जाय, तो भी वित्तीय दृष्टि से योजना के आकार में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। परन्तु जनता को जो वचन दिए गये हैं उनको ध्यान में रखते हुए योजना का पुनर्निर्धारण करना आवश्यक होगा। इस पर काम किया जा रहा है और काम पूरा होने पर ही अन्तिम स्थिति की जानकारी हो सकेगी।

Shri Jagannathrao Joshi : So far as the Plans are concerned, it could be said about the Fourth Plan that it was not undertaken at a proper time. It is a matter of satisfaction that the new Minister of Planning has taken over. First of all, I would like to congratulate him on his assignment. At the same time I would like to bring it to his notice that it has been stated by him in his answer that "in the light of the commitments made to the people, it will be necessary to give a re-orientation to the Plan." The problem of unemployment has been gigantic one and to-day it has become more complicated. It has two aspects. The first is educated unemployed in urban areas and, second, rural unemployment which is also very serious. According to estimates, about two and a half crores of people in villages are unemployed. At the same time, about seventy thousand to one lakh engineers in urban areas are unemployed. May I know in what way the re-orientation is being given to the Plan ? Does it mean that a solution will be found out after dovetailing idle capacity and educated unemployed ? The unemployment among both the educated and uneducated is increasing. The commitment made to the people in the Fourth Plan is meant for providing employment to them. Is it not true ? At least assurance should be given to solve the problem of drinking water in rural areas in the Fourth Plan. Still there are about one lakh villages where there is no proper arrangement of drinking water. Whether an assurance would be given in regard to dovetailing the problems of unemployment and drinking water in rural areas ? Will this assurance be given that there would be no problem of drinking water by the end of the Fourth Plan ?

श्री मोहन धारिया : यह प्रश्न चौथी योजना के लिये अपेक्षित संसाधनों की अनुपलब्धता के बारे में है। यद्यपि अनुपूरक प्रश्न संगत नहीं है तथापि मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित और अशिक्षित दोनों की बेरोजगारी की समस्या के बारे में हम यह देखने के लिये हर संभव सावधानी बरत रहे हैं कि योजना आयोग इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे जबकि पेय जल की सुविधाओं की समस्या पर भी विचार किया जा रहा है। यह कार्य इस महीने के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

Shri Jagannathrao Joshi : It was reported that the Plan is being revised on account of non-availability of the required resources and this question has been asked on that basis. It is a matter of pleasure that there will be no cut in monetary terms. Three Plans have been completed. In those Plans emphasis was given on large scale industries. The problem of unemployment is solved very little as compared to the investments in them. Will any arrangement be made to provide maximum employment by establishing at least some small-scale industries in rural areas in the Fourth Plan ?

श्री मोहन धारिया : जी हां। जब योजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है तो मैं सदन को जानकारी दे सकता हूं कि समूची योजना ऐसी होनी चाहिये कि वह रोजगार और उत्पादन प्रधान भी हो। यह सुनिश्चित करने के लिये सावधानी बरती जायेगी।

Shri Amar Nath Chawla : The hon. Minister has stated that there may not be any substantial change in monetary terms by the 31st December. May I know what will be the position thereafter ?

श्री मोहन धारिया : समूचे कार्य पर विचार किया जा रहा है। मैंने अपने उत्तर में कहा है कि जहां तक संसाधनों की स्थिति का सम्बन्ध है, चौथी योजना में 31 दिसम्बर, 1971 तक कोई कमी नहीं होगी। परन्तु शरणार्थियों की इस समस्या का 1971 के बाद क्या होगा, इस बारे में मैं आज कुछ नहीं कह सकता हूँ। पुनर्विचार करते समय हम उस पर भी विचार करेंगे और सदन के समक्ष उपस्थित होंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मंत्री महोदय ने अपने मूल उत्तर में जो बात कही है और जो आश्वासन पिछले दो उत्तरों में दिये हैं वे परस्पर मेल नहीं खाते क्योंकि उत्तर में तो उन्होंने कहा है कि जहां तक योजना के वित्तीय पहलू का सम्बन्ध है, कि जितना निवेश किया गया है उसमें कोई कमी नहीं होगी परन्तु मूल्य तो बढ़ते रहते हैं और सही अर्थ में उसे देखते हुये जो पहले अनुमान लगाया गया उसमें काफी अन्तर आ जायेगा। क्या वह सदन को यह आश्वासन दे सकते हैं कि पहले जितनी राशि का निवेश किया गया था उसमें अब पुनर्विचार करते समय कोई अन्तर नहीं आयेगा ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : जब योजना में उपबन्धित की गई राशि तो उतनी ही है और मूल्यों में वृद्धि हो रही हैं तो इस बात को देखते हुये सही अर्थ में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक की कमी होने की संभावना है और हम इसी बात का पता लगाने की क्रियान्विति कोशिश कर रहे हैं ताकि योजना पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े और योजना की क्रियान्विति के भौतिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आज हम यही कार्य कर रहे हैं।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether Government are considering to give priority to the schemes which were undertaken and are still incomplete while re-orientating the Plan or they are going to make another Plan ?

Shri Mohan Dharia : We shall try to expedite the schemes which have already been undertaken and, if possible, employment will be provided alongwith that.

भारत में नगरीकरण की धीमी गति

*66 **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में की गई जनगणना के आंकड़ों से पता चला है कि भारत में नगरीकरण की गति धीमी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नगरीकरण की धीमी गति सम्बन्धी समस्याओं के बारे में कोई अध्ययन किया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहसिन) : (क) भारत की 197 की जनगणना के अस्थायी परिणामों से प्रतीत होता है कि शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 19.87 प्रतिशत है। यद्यपि यह अनुपात यू० के०, कनाडा, फ्रांस इत्यादि जैसे औद्योगिक देशों की तुलना में कम है तथापि श्री लंका अथवा पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की अपेक्षा अधिक है।

(ख) भारत जैसे विशाल कृषि प्रधान देश में यह आशा नहीं की जा सकती कि कुल जनसंख्या में शहरी क्षेत्रों का अनुपात बहुत बड़ा होगा। अतः आगे और जांच-पड़ताल करना आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री दशरथ देव : क्या सरकार यह समझती है कि भारत में नगरीकरण की कम दर भारत में औद्योगीकरण की धीमी गति के कारण है और औद्योगीकरण की कम दर से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या काभी अधिक हो जाती है, जिस कारण वहां काफी बेरोजगारी हैं। यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री मोहसिन : जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि देश में शहरी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या दूसरे देशों की तुलना में कोई इतनी ज्यादा नहीं है। यह कई कारणों से हो सकती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सुविधाए होती है जिससे वहां जीवन आराम से गुजरता है। यह एक कारण हो सकता है जिस कारण लोग शहरों में रहने के लिये कम आते हैं।

श्री दशरथ देव : क्या यह सही नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार की सम्भावनाएं लगभग नहीं के बराबर है जिस कारण लोगों को बेरोजगार होते हुये भी रहना पड़ता है और यदि हाँ, तो इस समस्या को हल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री मोहसिन : ब्रिटेन में कुल जनसंख्या में से 8.87 प्रतिशत व्यक्ति शहरों में रहते हैं और ऐसा अन्य कई देशों में भी है जबकि भारत में कुल जन संख्या में से 19.87 प्रतिशत लोग शहरों में रहते हैं। अतः शहरों में बहुत कम लोग आकर बस रहे हैं। अ : यह नहीं कहा जा सकता कि अन्य कारणों से लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आ कर बस रहे हैं। माननीय महोदय का अनुमान ठीक नहीं है।

Shri Jharkhande Rai : May I know whether the hon. Minister has got any information or received any complaint that the urbanisation rate is not slow but it is rapid and there are hundreds of thousands of persons in country who reside in rural areas as well as urban areas but they show their houses in rural areas. So these figures are defective ; if so, the steps proposed to be taken in this regard ?

श्री मोहसिन : इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं। इस पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मंत्री महोदय ने अभी ब्रिटेन का उल्लेख किया है। क्या उन्हें पता है कि ब्रिटेन में पचास प्रतिशत रोजगार शहरों में मिलता है क्योंकि वहां उद्योग धंधे हैं। भारत में लोगों का खिचाव शहरों की ओर नहीं है। लोगों का शहरों में खिचाव करने के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : प्रश्न यह है कि क्या यह वांछनीय है कि गांवों से अधिक से अधिक लोग शहरों में आकर बसें। जब कि सामान्यतः यह माना जाता है कि शहरों में अधिक संख्या में रहना प्रगति का सूचक है परन्तु इसकी भी अपनी समस्याएं हैं और मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं है कि हम दूसरे देशों की नकल करें जहां शहरों में इतने अधिक लोग हो गये हैं कि ऐसा होना भी समस्या है। मैं समझता हूं कि नगरीकरण की अपेक्षा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने, उन्हें रहने योग्य बनाने के सम्बन्ध में काफी कहा जा सकता है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या सरकार भारत में नगरीकरण को रोकने के लिये कुछ कार्यवाही करेगी क्योंकि कुछ ऐसे दल हैं जो हिंसा में विश्वास रखते हैं। और नगरों में गड़बड़ करना उनके लिये आसान होता है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हिंसा को तो समाप्त करना ही है चाहे वह गांवो में हो अथवा शहरों में।

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि नगरों में अत्यधिक लोगों को रहने के कारण मानव-सभ्यता गंभीर रूप से पथ भ्रष्ट हो जाती है, क्या सरकार हमारे देश में नगरों में अत्यधिक लोगों को रहने से और बड़े नगरों के विस्तार को रोकेगी और साथ ही परिवहन, विद्युतीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास द्वारा रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करके गांवों में लोगों को सुविधायें देंगी ताकि लोगों की नगरों में रहने की प्रवृत्ति को रोका जा सके ?

श्री मोहसिन : जी, हां ; सरकार का यही आशय है...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनके उत्तर से सहमत नहीं है ? इससे अधिक अच्छा और उत्तर क्या होगा ?

श्री समर गुह : वे कुछ शब्द और कहें कि वे किस प्रकार इसे क्रियान्वित करेंगे।

श्री मोहसिन : माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। यही सरकार का इरादा है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय भी बहुत अच्छे हैं।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि गांवों में उद्योग धंधे लगाये जायें ताकि नगरों में अधिक जनसंख्या को रोका जा सके ?

श्री मोहसिन : सरकार का इरादा है कि गांवों में भी उद्योग धंधे पनपें ताकि नगरों में बसने को रोका जा सके।

कलकत्ता के निकट कोसीपुर-बेरनगोर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की गई हत्याओं की न्यायिक जांच और पश्चिम बंगाल में जेलों में अभियोगाधीन राजनीतिक बन्दियों की हत्या की जांच

\+

*67. **श्री एच० एन० मुकर्जी** :
श्री विश्वनाथ झुन्झुनवाला :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महीने पहले कलकत्ता के निकट कोसीपुर-बेरनगोर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं के सम्बन्ध में न्यायिक जांच करने के बारे में, जिसका वचन दिया गया था, कोई प्रगति हुई है ; और

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बरहानपुर डमडम, अलीपुर और आसनसोल स्थित जेलों में अभियोगाधीन राजनीतिक बन्दियों की हत्या के सिलसिले में उच्च शक्ति प्राप्त आयोग द्वारा जांच किए जाने के बारे में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को क्रियान्वित करने के लिए अब तक कोई उपाय किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कोसीपुर बेरनगोर हत्या काण्ड की जांच करने के लिये एक सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी किन्तु उसने जांच करना अस्वीकार कर दिया। जांच करने के लिये उच्च न्यायालय के एक अन्य सेवा निवृत्त अथवा कार्यरत न्यायाधीश की सुवाएं प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे है।

(ख) आसनसोल जेल की घटनाओं के सम्बन्ध में एक न्यायिक जांच कराने का निश्चय किया गया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। प्रेजीडेन्सी डिवीजन के कमिश्नर ने बरहानपुर अलीपुर और डमडम कारावासों की घटनाओं की एक प्रशासनिक जांच की थी। कमिश्नर की सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या कोसीपुर बड़ानगर घटनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के मंत्री, श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने यह आश्वासन दिया था कि इन निंदनीय घटनाओं के सम्बन्ध में सर्व-दलीय जाँच कराई जायेगी। परन्तु उस आश्वासन को कार्यान्वित नहीं किया गया है और भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस विषय की जांच करने में असमर्थता प्रकट किये जाने के पश्चात इस हत्याकाण्ड, जो दो अत्याधिक शक्तिशाली राजनैतिक दलों अर्थात सत्तारूढ़ कांग्रेस दल और मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी और विशेष रूप के नक्सलवादियों के कथित सहयोग से हुआ था, की जड़ में जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है...

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह ठीक नहीं है। वह मेरे दल के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं...

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैंने "कथित" शब्द का प्रयोग किया है। सभी समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है। यदि अंग्रेजी भाषा ठीक प्रकार से नहीं समझी जाती तो मुझे दोष नहीं दिया जा सकता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं इसे समझ सकता हूं। आप अप्रत्यक्ष रूप से हमारे दल पर आरोप लगा रहे हैं। यह सच नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। जब सदस्य कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसे डरा रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं इसे सहन नहीं कर सकता कि मेरे दल के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाए जो सत्य नहीं। दूसरी ओर हमारे दल ने एक वक्तव्य जारी किया...

अध्यक्ष महोदय : शाँति, शाँति। जो तरीका वह अपना रहे हैं वह गल्त है। जब भी कोई ऐसी बात कही जाती है जो उन्हें पसन्द न हो, वह यहाँ पर खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं।

श्री पीलू मोदी : कृपया कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में विभेद कर दें।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। सरकार ने अपने मंत्री के माध्यम से एक आश्वासन दिया था—एक सार्वजनिक आश्वासन, जो कि समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था कि इन घटनाओं की जांच के लिए एक सर्वदलीय समिति गठित की जायेगी। समाचार पत्रों में यह आरोप प्रकाशित हुआ था कि इन में दो मुख्य राजनैतिक दलों, अर्थात सत्तारूढ़ कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल का हाथ है। यह ठीक है अथवा नहीं मैं नहीं जानता...

श्री दीनेन भट्टाचार्य : ××

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य प्रश्न पूछ रहा है और आप उसमें अन्तर्बाधा उपस्थित कर रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हम उनसे उत्तरदायित्वपूर्ण बात की आशा करते हैं। वह काफी समय से सदन के सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द कार्यवाही वृत्तांत में नहीं लिया जाएगा। श्री मोदी आप तो प्रारम्भ से ही अच्छी मन: स्थिति में हैं। दिन के बाकी भाग में क्या होगा ?

श्री पीलू मोदी : पूरे दो मिनट से मैंने कुछ भी नहीं बोला है।

अध्यक्ष महोदय : इस पहनावे में आप आज बहुत चुस्त प्रतीत हो रहे हैं।

श्री पीलू मोदी : आपका धन्यवाद।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था, जो कार्यान्वित नहीं किया गया और भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस विषय की जांच करने में असफल होने के कारण एक बहुत ही बुजदिली की घटना की, जिसके बारे में समाचार पत्रों में बहुत से आरोप प्रकाशित हुये हैं जाँच नहीं की गई है और इस बात के पश्चिम बंगाल तथा सारे भारत के राजनैतिक जीवन पर बहुत गम्भीर परिणाम हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मेरी जानकारी के अनुसार, 16 अगस्त को सिद्धार्थ शंकर राय ने पश्चिम बंगाल के राजनैतिक दलों के नेताओं को आश्वासन दिया था कि इस संबंध में न्यायिक जांच की जायेगी। 17 अगस्त को राज्य सरकार ने कुछ निर्देश पदों के साथ उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की। परन्तु जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर में बताया था, बाद में उन्होंने (भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने) जांच करने से इंकार कर दिया।

श्री दशरथ देव : उन्हें धमकी दी गई थी कि वे इस कार्य को न करें।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इससे प्रतीत होता है कि न्यायपालिका के प्रति उन्हें कितना विश्वास है। परन्तु इस से यह स्पष्ट नहीं होता कि हर बार आप न्यायिक जांच की माँग क्यों करते हैं। सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश ने इस रूप में कार्य करने से इंकार कर दिया। उसके पश्चात से विभिन्न उच्च न्यायालयों के सेवा निवृत्त न्यायाधीशों के नामों की सूची राज्य सरकार को प्रेषित की गई है। राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को भी यह लिखा है कि किसी सेवा कर रहे न्यायाधीश को जांच कार्य करने के लिए सहमत किया जाए। मूल रूप से यह विचार था कि किसी सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए। क्योंकि ऐसा सम्भव न हो सका तो अब ऐसा किया जा रहा है।

××अध्यक्ष के आदेशानुसार सभा के कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि श्री दीनेन भट्टाचार्य ने आरोपों, अक्षेपों व परिणामों का प्रश्न उठाया है। उन्होंने इस पर ठीक ही आपत्ति की है। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा में वे इस बात को ध्यान में रखेंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का संबंध है, आश्वासन के परिणाम स्वरूप, बहुत देरी के पश्चात केवल एक मामले में न्यायिक जांच की बात स्वीकार की गई है और दूसरे के बारे में यह समझा गया है कि आयुक्त द्वारा जांच ही उपयुक्त होगी। क्या मैं जान सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है? छुटकारा पाने के लिए केवल इतना मात्र न कह दें कि यह केवल आरोप है। राज्य भर में समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ, आन्दोलन हुए कि मारे गये युवा व्यक्तियों के संबंध में पोस्ट मार्टम रिपोर्टें न्यायालयों, व्यक्तियों अथवा मृतकों के परिवारों तक को नहीं उपलब्ध करवाई जा रहीं। क्या पश्चिम बंगाल में इसी ढंग से सरकार चलाई जा रही है और केवल मात्र इसी आरोप के आधार पर ही युवा व्यक्तियों की हत्या की जा रही है कि वह अति-क्रांतिकारी अथवा समाज विरोधी हैं व आप उन्हें जिस किसी अन्य नाम से पुकारते हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैंने बताया है आसनसोल जेल में हुई दुर्घटनाओं के संबंध में न्यायिक जांच करवाने का आश्वासन दिया गया था और अब उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा यह जांच की जाएगी। जहां तक अन्य मामलों का संबंध है, प्रेसीडेन्सी डिवीजन के आयुक्त ने प्रशासकीय जांच की है और यह पहला अवसर नहीं जब मैं सदन को यह बता रहा हूं। पहले भी मैंने यह कहा है कि प्रशासकीय जांच की जायेगी। यह कर ली गई है और राज्य सरकार को सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं। राज्य सरकार द्वारा सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के बारे में क्या है। बंगाल में ही नहीं सारे भारत में इस बारे में रोष है। जो युवक मारे गये उनके माता पिता नहीं जानते कि क्या हुआ और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट क्या है। क्या पश्चिम बंगाल में इसी तरह प्रशासन चल रहा है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वह रोब में हैं अतः इसी कारण इस प्रकार के विचार व्यक्त कर रहे हैं। यदि वह मुझे विशेष दृष्टांत बतायें तो मैं जांच कर सकता हूं। तब तक मैं अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता।

श्री एच० एन० मुकर्जी : महीनों तक वह उसकी जांच ही करते रहते हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है कोई भी सभ्य नागरिक उसे सहन नहीं कर सकता। लोगों के मन में इस बात के प्रति कोई सन्देह नहीं कि लोगों ने यह जुर्म उन समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध किये हैं जो पिछले कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में सक्रिय थे। तथापि मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि जिस न्यायाधीश को जांच करने को कहा गया था उसने जांच का कार्य करने से इंकार कर दिया है क्योंकि उन्हें कहा गया था कि यदि उन्होंने जांच की तो उनका जीवन संकट में आ जायेगा। दूसरे, तीन महीने बीत जाने के पश्चात न्यायिक जांच करने में क्या महत्व है क्योंकि अब तक तो बहुत से

प्रमाण लुप्त हो चुके होंगे । और पुलिस के उन दो बड़े अधिकारियों का क्या हुआ जिन्हें इन सार्वजनिक कत्लों के मामले की जाँच का कार्य दिया गया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहाँ तक सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस मामले की जाँच न करने का सम्बन्ध है मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं हूं परन्तु जहां तक मेरी याद है उन्होंने इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य सम्बन्धी कारण बतायें हैं ।

जहां तक पुलिस जांच का सम्बन्ध है पुलिस ने 14 मामले दर्ज किये थे, 5 मामले पहिले ही हल हो चुके हैं और नौ दोषी व्यक्ति अभी तक पकड़े गये हैं ।

श्री समर गुह : कोसीपुर-बड़ानगर क्षेत्र में जो कुछ हुआ उससे अधिक बर्बरतापूर्ण घटनाओं की सम्भावना किसी समय समाज में नहीं की जा सकती । दिन-दहाड़े सैकड़ों व्यक्तियों ने एक विशेष क्षेत्र मे प्रत्येक व्यक्ति के मकान को निर्भय होकर लूटा और 150 से अधिक पुरुषों स्त्रियों और बच्चों की हत्या की। दिन-दहाड़े मृतकों की लाशें गंगा नदी में फेंकी गयीं । यह बर्बरतापूर्ण घटना पुलिस की उपस्थिति में हुई । सारे पश्चिम बंगाल को इससे दुःख पहुंचा । हर समाचार पत्र में दो महत्वपूर्ण राजनैतिक दलों के नामों का इस सम्बन्ध में उल्लेख किया गया । इस बात को देखते हुए कि इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण घटना तीन मास पूर्व घटित हुई और हावड़ा क्षेत्र में फिर वैसी ही घटना दोहरायी गई वहां पर भी एक राजनैतिक दल द्वारा दिन-दहाड़े हत्यायें की गयीं और इस बात को देखते हुए कि न्यायाधीश ने न्यायिक जांच से इंकार कर दिया था, क्या सरकार जांच करने के उद्देश्य से देश के किसी अन्य भाग के किसी न्यायाधीश को नहीं पा सकती या हम यह समझें कि वह वहां के सत्तारूढ़ दल के पापों को छुपाना चाहती है ? यदि ऐसा नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कोसीपुर-बड़ानगर क्षेत्र की इन बर्बर हत्याओं की जांच के लिए सरकार भारत के अन्य भागों से कब तक किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी ?

दूसरे 10 000 से अधिक युवा व्यक्ति अभी भी जेलों में हैं और लगभग 40 युवा व्यक्तियों की हत्या की गई है । सरकार जेल हत्याओं सम्बन्धी जांच की सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य द्वारा यह कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि सरकार जांच नहीं करना चाहती अथवा तथ्यों को छिपाना चाहती है । तीन माह पूर्व हमने उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया था । यदि वह नियुक्ति स्वीकार न करें तो इसके लिए सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता । मैंने पहिले ही बताया है कि उसके पश्चात हमने सभी सेवा निवृत्त न्यायाधीशों के नाम एकत्र किये और राज्य सरकार को वे नाम प्रेषित किये राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से पूछा है कि क्या किसी कार्यरत न्यायाधीश की सेवायें प्रदान की जा सकती हैं । हमें यह बात समझनी चाहिए कि हर बात में प्रक्रिया के अनुसार चलना पड़ता है । एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी परन्तु उन्होंने नियुक्ति अस्वीकार कर दी । यह एक तथ्य है । इस तथ्य को देखते हुए सरकार पर इस प्रकार के दोष लगाना उचित नहीं ।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग की क्या स्थिति है ? जेल हत्याओं के सम्बन्ध में की गई जांच की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की क्या स्थिति है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक प्रशासकीय समिति की सिफारिशों की बात है उन पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। उन्होंने सूचित किया है कि कुछ सिफारिशों पर उन्होंने कार्यवाही की है। परन्तु मेरे पास ब्यौरे उपलब्ध नहीं और इसलिए मैंने इसके बारे उल्लेख नहीं किया।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस कोसीपुर बड़ानगर घटना से पूर्व सरकार ने पुलिस द्वारा किये गये घृणित अपराधों की जांच का आश्वासन दिया था। इसका उल्लेख सभी समाचार पत्रों में दिया गया था। आठ मृतक शरीर बड़ा नगर से बारामट ले जाये गये थे और इस घटना की जांच की जानी थी। अभी भी यह जांच की जानी है। अब यह दूसरी घटना है। सर्वदलीय बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया और कांग्रेस के एक पक्ष अर्थात श्री विजय सिंह नाहर का पक्ष, को छोड़कर सभी ने यह माँग की थी कि न्यायिक जांच के स्थान पर गैर-सरकारी सर्वदलीय समिति स्थापित की जानी चाहिये और जो पुलिस अधिकारी वहां पर उपस्थित थे और जो इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे, तत्काल निलम्बित किये जायें।

मैं समझता हूं कि इस बीच श्री पन्त को ये सब रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं। इस बात का क्या उत्तर है ? उन पुलिस अधिकारियों को निलंबित क्यों नहीं किया गया है ? पहले दिन श्री सिद्धार्थ शंकर राय इस बात से सहमत हो गये थे परन्तु बाद में शायद दिल्ली से उन्हें कोई आदेश प्राप्त हुआ हो— उन्होने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। ये पुलिस अधिकारी अभी भी पदासीन हैं।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या आप जेल हत्याओं के सम्बन्ध में कोई जांच करेंगे ? मैं आप से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। क्या आप जेल में जो बन्दी हैं और जो राजनैतिक दलों से सम्बन्धित हैं उनको राजनैतिक कैदी मानेंगे ? अब तक उनसे जो व्यवहार हो रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह व्यवहार ब्रिटिश शासन के दौरान किये जा रहे व्यवहार से भी निकृष्ट है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस पहलू पर विचार करेंगे कि राजनैतिक बन्दियों के साथ राजनैतिक व्यक्तियों जैसा व्यवहार किया जायेगा ? क्या आप ऐसा करेंगे ?

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : यह बात मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। महोदय मैं आपका निर्देश चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप उतना ही उत्तर दें जितना इस प्रश्न से सम्बन्धित है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : दो पुलिस अधिकारियों के निलम्बन के बारे में, मुझे याद है कि इस सदन में इस पर विचार हुआ था। माननीय सदस्य ने पिछले सत्र में भी यह प्रश्न पूछा था और मेरे साथी, श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने उन्हें उत्तर दिया था। उन्होंने इस विषय पर विचार किया और जहां तक मुझे याद है, सारी स्थिति का विस्तार से वर्णन किया था। इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है मैं नहीं जानता। जो प्रश्न यहां पर पूछा गया था उसका मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : सर्व-दलीय बैठक के पहले दिन श्री सिद्धार्थ शंकर राय इस बात से सहमत थे कि उन दो पुलिस अधिकारियों को निलम्बित किया जायेगा। यहां तक कि श्री विजय सिंह नाहर भी इससे सहमत थे। उन्हें निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका उसी दुर्घटना से सम्बन्ध है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इसका उसी दुर्घटना से सम्बन्ध है। उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह ठीक है कि इसका उस दुर्घटना से सम्बन्ध है। इसीलिए मैंने बताया था कि पिछले सत्र के दौरान माननीय सदस्य ने इस विषय को उठाया था।

श्री दीनेन भटटाचार्य : कृपया आप अपने कागजों का अध्ययन करें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं अपने कागजात का अध्ययन करूंगा। मैं अपने सहयोगी, श्री सिद्धार्थ शंकर राय से भी विचार विमर्श करूंगा। आज दोपहर पश्चात पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था स्थिति पर चर्चा है। उस चर्चा के दौरान हम इस पर भी विचार कर सकते हैं।

छोटी कार

*69. **श्री वनमाली पटनायक** : **श्री राम सहाय पाण्डे** :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्मित की जाने वाली छोटी कार के किसी माडल का चयन किया गया है ;

(ख) छोटी कार परियोजना पर कितनी पूंजी लगाई गई है और कार का उत्पादन कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ; और

(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का मॉडल के चयन में क्या योगदान रहा, क्या यह भारतीय परिस्थितियों के उपयुक्त रहेगी और इसके कारखाना पर तथा कुल विक्रय मूल्य कितने-कितने निश्चित किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) अध्ययन दल की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। वे सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रायोजना पर होने वाला विनियोजन निर्माण के लिए चुनी गई कार पर निर्भर करेगा। फिर भी सरकारी क्षेत्र में कार बनाने की परियोजना की स्थापना से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई अधिकारियों की समिति ने इस प्रकार के पूंजी-गत लागत का मोटा अनुमान लगाया है जिसकी संमीक्षा की जा रही है। अतः पूंजीगत लागत का अभी कोई निश्चित अनुमान नहीं बताया जा सकता। आशा की जाती है कि नमूने और सहयोगी चयन करने के पश्चात निवेश के बारे में निर्णय किये जाने की तारीख 3 वर्ष की अवधि के अन्दर प्रारम्भिक उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

(ग) सरकारी क्षेत्र में कार परियोजना की स्थापना से सम्बन्धित सभी पहलुओं का और इच्छुक विदेशी फार्मों से तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक पहलुओं के बारे में उनके प्रस्तावों पर चर्चा करने एवं उनकी तुलनात्मक शर्तों का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा गठित अधिकारियों की एक समिति की सहायता करने तथा सरकार द्वारा विचार किस स्थानों के लिये उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय आद्योगिक विकास निगम की नियुक्ति की गयी थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना चाहते ? नहीं। श्री लक्ष्मी नारायण पांडेय।

Shri Laxmi Narain Pandey : The hon. Minister has mentioned certain things in his statement. I would like to know the names of the firms from whom proposals for manufacturing of small cars have been received. I would also like to know as to which the proposals have already been considered by the Committee appointed by the Government and the time by which a final decision would be taken in this regard. If a decision has been taken, the time by which the small car will be available in the market ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : इटली से मैसर्स फिअट ; फ्रांस से मैसर्स श्री रेनाल्ट ; जापान से मैसर्स निस्सान ; आस्ट्रेलिया से मैसर्स फोर्ड ; पश्चिम जर्मनी से मैसर्स वाक्सवागौन ; युगोस्लाबिया से मैसर्स जावेदी क्रवेना जास्तावा ; जापान से मैसर्स टोयो-कोगयो तथा इटली से मैसर्स एल्फ़ा रोम्यो से प्रस्ताव प्राप्त हुये थे।

अक्तूबर, 1970 में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया था और उसने अक्तूबर, 1971 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

श्री बनमाली पटनायक : इस सम्बन्ध में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये कहा था परन्तु आपने उस समय प्रश्न नहीं पूछा।

श्री बनमाली पटनायक : सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया मेरी बात सुनिये। आप सरकार का निर्णय जानना चाहते हैं परन्तु अध्यक्ष निर्णय भी आपको सुनना चाहिये। आपसे कहा गया था कि अनुपूरक प्रश्न पूछें परन्तु आप बैठे रहे प्रश्न नहीं किया। इसीलिये मैंने अगले सदस्य का नाम पुकारा अब मैं आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति कैसे दे सकता हूं ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : गत सत्र के दौरान जब सदन में एक ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था तब मंत्री महोदय ने बताया था कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा। उस समय यही अनुमान लगाया गया था कि एक या दो माह में निर्णय हो जायेगा। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि कार का चयन करने के मामले में निर्णय करने के लिए सरकार कितना और समय लेगी ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : समिति ने अपना प्रतिवेदन अक्तूबर, 1971 में प्रस्तुत किया था। 27 अक्तूबर, 1971 को तकनीकी तथा ब्रिजीय ग्रुप का बैठक में प्रतिवेदन पर अन्तिमक्रम से विचार किया गया। 1-11-71 को मामला सरकार के पास भेज दिया गया तथा हमने 4-11-71 को इस पर विचार किया।

श्री नीलू मोदी : आज तो 17 नवम्बर है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : प्रतिवेदन में कुछ बातें ऐसी प्रतीत हुयीं जिन पर विचार करना आवश्यक समझ गया। इसीलिये हमने इन मामलों का शीघ्रता से अध्ययन करने के लिए कहा है और जैसे ही अध्ययन कार्य पूरा होगा सरकार द्वारा निर्णय कर लिया जायेगा।

Re-Constitution of Border Security Force into a Separate Service

*70. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme for constituting the Border Security Force into a Separate Service under the Ministry of Home Affairs ;

(b) whether Government have asked those employees of the Ministry of Home Affairs who have been working in the Headquarters of the Border Security Force for the last several years to give their options in this regard ;

(c) whether Government have circulated approved detailed rules and regulations in this connection among the employees ;

(d) whether Government have prepared any seniority list of the employees concerned ; and

(e) if so, the main features of the scheme and the additional expenditure likely to be incurred by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The question of constituting a separate Ministerial Cadre for the Headquarters of the Border Security Force is under examination of the Government. With a view to eliciting the response of the Ministerial Staff on deputation from the Central Secretariat Service and also from other non-participating offices, they were asked by D.G.B.S F. to indicate if they would like to opt to join this Cadre, if constituted.

(c) to (e). Do not arise in view of answer to (a) above.

Dr. Sankata Prasad : May I know the reasons for taking-out the Border Security Force from the jurisdiction of Home Ministry ?

Shri K. C. Pant : The reason is that a large number of these Ministerial Cadre officials who actually do not belong to this Cadre, and are posted on deputation, at the expiry of their deputation period take away with them the experience they get and which is needed here. Therefore, such type of organizations and Department should have their own Ministerial Cadre.

आदिवासी क्षेत्रों में प्रसारणों के पहुँचने के लिए आकाशवाणी केन्द्र

*72. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार ने देश के आदिवासी क्षेत्रों में प्रसारणों के पहुँचने के लिये नये आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने और कहां ; और

(ग) प्रत्येक केन्द्र पर अनुमानतः कितना व्यय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग). प्रधानतया आदिवासी क्षेत्रों में प्रसारण के लिए निम्नलिखित नये रेडियो केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं तथा वर्तमान केन्द्रों को शक्तिशाली बनाया जा रहा है। अनुमानित खर्चा प्रत्येक परायोजना के आगे दिखाया गया है :—

रेडियो केन्द्र	अनुमानित खर्चा (लाख रुपयों में)
छत्तरपुर (नया)	51.60
अम्बिकापुर (नया)	72.00
जगदलपुर (नया)	55.20
रेवा (नया)	72.80
तोवांग (नया)	10.00
तेजपुर (नया)	90.00
शिलांग (वर्तमान केन्द्र का विस्तार)	73.00
विशाखापटनम (वर्तमान केन्द्र का विस्तार)	71.65
एजल (वर्तमान केन्द्र का विस्तार)	54.45
इम्फाल (वर्तमान केन्द्र का विस्तार)	48.00
कोहिमा (वर्तमान केन्द्र का विस्तार)	50.00
जैपुर (वर्तमान केन्द्र का विस्तार)	26.98
योग	675.68

श्री बी० कं० दास चौधरी : विवरण से पता चलता है कि सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों विशेषतया पूर्वोत्तर भारत, में नये रेडियो स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की है। मैं यह जानना चाहता हूं क्या नेफा के बड़े क्षेत्र तथा विशिष्ट भूखण्ड में तोवांग स्थल पर छोटा अथवा मध्यमस्तर का ट्रांसमीटर लगाकर सम्पूर्ण क्षेत्र में रेडियो प्रसारण सुने जा सकेंगे। यदि नहीं, तो क्या इस क्षेत्र की विशिष्टताओं का ध्यान रखते हुये किसी अन्य रेडियो स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में कोई और प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

श्री धर्मवीर सिंह : तेजपुर, तोवांग, शिलांग आदि स्थानों पर हमारे रेडियो स्टेशन हैं। हमें आशा है कि इन से सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रसारण सुने जा सकेंगे। नेफा क्षेत्र के लिये नये स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में भी हम विचार कर रहे हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं, कृपया, बताया जाये।

श्री धर्मवीर सिंह : हम चौथी योजना में तोवांग, तेजपुर आदि क्षेत्रों के विषय में विचार कर रहे हैं। इसके साथ ही हम इम्फाल तथा कोहिमा स्टेशनों का विस्तार कर रहे हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैंने प्रश्न नेफा के विषय में पूछा है। उप मंत्री ने शिलाग के विषय में उत्तर दिया है। पता नहीं उन्हें यह बात ज्ञात है अथवा नहीं कि यह क्षेत्र नेफा के अन्दर नहीं आता है, खैर .....

श्री धर्मवीर सिंह : यह नेफा में नहीं है। परन्तु हम इन स्टेशनों का विस्तार करना चाहते हैं जिससे नेफा के क्षेत्रों में प्रसारण सुने जा सकें।

श्री बी० के० दास चौधरी : स्थानीय आदिवासी लोगों ने अनेकों ऐसी शिकायतें की हैं कि ये केंद्र स्थानीय संस्कृति को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। स्थानीय प्रतिभाशील व्यक्तियों तथा स्थानीय संस्कृति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। कार्यक्रमों से देश में भावात्मक एकता तथा राष्ट्रीय एकता की भावना भी जागृत नहीं होती है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि आदिवासी क्षेत्रों के रेडियो स्टेशनों में स्थानीय लोगों में से ही निदेशक नियुक्त किये जाने चाहिये। दूसरे क्या कार्यक्रम के कुल समय का 50 प्रतिशत इस प्रकार विभाजित किया जायेगा कि सदूर पूर्व क्षेत्र के स्थानीय तथा आदिवासी लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। मत्री को इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : चौथी योजना के दौरान नेफा में कितने रेडियो स्टेशन होंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मूल प्रश्न यह नहीं है कि कितने रेडियो स्टेशन होंगे। जैसा कि बताया जा चुका है कि डिब्रूगढ़ के अन्तर्गत नेफा का बहुत बड़ा भाग आ जाता है और तेजपुर को एक शक्तिशाली केन्द्र बनाने का सुझाव भी है और जब यह शक्तिशाली केन्द्र बन जायेगा तब नेफा के सम्पूर्ण क्षेत्र में रेडियो प्रसारण सुने जा सकेंगे।

गाँवों में पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था

*73. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस समय 560,000 गांवों में से 97,000 गांवों में एक-एक मील दूर तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना की अवधि में इस समस्या को कम से कम करने के लिए सरकार क्या विशेष उपाय कर रही है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां। भारत के लगभग 97,000 गांवों में एक मील की सीमा के अन्दर या 50 फुट की गहरा के अन्दर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय द्वारा अधिक सही पुर्नमूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) (1) दुर्गम तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्थित गांवों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था सम्बन्धी योजनाओं को प्राथमिकता की जाती है।

(2) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के द्वारा, विभिन्न राज्यों में गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था से सम्बन्धित समस्या पर अन्वेषण तथा उसका विश्लेषण किया जा रहा है।

(3) सख्त पथरीले क्षेत्रों में स्थित गांवों को पीने का पानी उपलब्ध करने के लिये नलकूपों के निर्माण हेतु 'वाटर वैल ड्रिलिंग रिग्स्' के रूप में यूनीसेफ से सहायता प्राप्त की गई है।

(4) गांवों में जल की पूर्ति के लिये राज्य योजनाओं में अलग से वार्षिक योजना परिव्यय रखे गये हैं।

श्री अर्जुन सेठी : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों को इस योजना में कोई प्राथमिकता दी गई है ?

श्री मोहन धारिया : ऐसे सब क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। चतुर्थ योजना में 125 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। सदन को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि चतुर्थ योजना में परिव्यय में 30 करोड़ रुपये की वृद्धि की जायेगी।

डा० महियतराय मेहता : क्या मंत्री महोदय को पता है कि कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्र में विशेषकर लखपत से बेला तक अधिकांश गांवों में जल सप्लाई करने की सुविधाएं नहीं है और साथ ही सीमा पर दुश्मन भी है, और यदि हां, तो सरकार उन सीमावर्ती गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहन धारिया : ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक केन्द्रीय योजना है जिसके अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों की जांच करने और इनका निश्चय करने के लिए, तथा अपनी योजनाएं बनाने और केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकारों को शतप्रतिशत सहायता दी जाती है। हम ऐसे क्षेत्रों को हर सम्भव सहायता देंगे।

श्री महियतराय मेहता : परन्तु वहां अभी तक एक भी योजना लागू नहीं की गई है।

Shri Ramavatar Shastri : As a result of floods the water of wells become contaminated. May I know whether there is any scheme to sink tube-wells in the chronically flooded areas ; and if so, the details thereof ?

श्री मोहन धारिया : यह समस्या भी ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत आ जायेगी। यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे अपनी योजनायें बनाएं। हमने इन योजनाओं के लिये हर सम्भव सहायता देने हेतु अपनी योजनाएं तैयार कर ली हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हम अगले वर्ष अपनी स्वतन्त्रता का 25 वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उन गांवों का जिनमें अभी तक पीने के पानी की सप्लाई नहीं की जा सकी है, संख्या सम्बन्धी राज्यवार आंकड़े क्या हैं, और क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसा कार्यक्रम तैयार किया है जिससे कि वास्तव में कुएं खोदे जायेंगे ? केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का जांच कार्य जो लिया गया है अभी तक केवल वही जांच कार्य ही चल रहा है परन्तु कुंओं की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या चतुर्थ योजना के अन्त तक सभी लक्षित गांवों में यह कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री मोहन धारिया : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं चतुर्थ योजना में इस कार्य के लिए 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और प्रतिवर्ष लगभग 30 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। कुएं खोदे जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध हैं। माननीय मंत्री 'हाँ' या 'ना' में उत्तर दें। इसका लम्बा उत्तर ना दें।

श्री मोहन धारिया : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। मुझे माननीय सदस्य की उत्कण्ठा का पूरा आभास है। परन्तु मैं यही कह सकता हूं कि जहां तक जांच कार्य का सम्बन्ध है यह कार्य चौथी योजना में ही पूरा हो जायेगा और हम प्रयत्न करेंगे कि जहां कहीं राज्य सरकारें अपनी योजनाएं प्रस्तुत करेंगी उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आप मेरी शंका का समाधन कर रहे थे परन्तु आप बीच में चुप हो गये। क्या आप पुनः मेरी सहायता करेंगे। प्रत्येक राज्य में पीने के पानी की सप्लाई के बिना कितने गांव बाकी रह गये हैं और इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री मोहन धारिया : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है। नोटिस मिलने पर ही मैं जानकारी दूंगा।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या इस समस्त समस्या को सुलझाने के लिये वित्तीय व्यय का कोई व्यापक अनुमान एवं मूल्यांकन किया गया है।

श्री मोहन धारिया : यह अनुमान लगाने के लिये ही तो केन्द्रीय सरकार द्वारा यह योजना प्रायोजित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत हम वास्तविक क्षेत्रों और कुएं आदि खोदने के लिए अपेक्षित सही राशि का अनुमान लगायेंगे। इसीलिये हमने यह योजना प्रायोजित की है।

Recruitment of Pakistani Nationals for CRP Training

*76. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether two Pakistani nationals undergoing training in the C.R.P. Training Centre at Badwaha in Madhya Pradesh had been arrested in September, 1971 ;

(b) whether an enquiry has been conducted as to how they were recruited in the Regular Police Service ; and

(c) if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). Two persons from District Ghazipur of U.P. were recruited by the CRP in April, 1971 and sent to the Recruit Training Centre, Badwaha. According to the normal procedure, a requisition for verification of their character and antecedents was simultaniously sent to District Ghazipur. Local police reported these individuals to be Pakistani nationals, whereupon they were discharged and handed over to the Madhya Pradesh Police. The persons concerned, however, represented that they were Indian nationals by birth and that they had never been to Pakistan. Enquiries made by the M.P. Police also supported this claim. Accordingly, they have been allowed to resume their training. However, the IG police U.P. has been requested to conduct fresh enquiries in the matter and further action, if any, will be taken on receipt of the results of their enquiry.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know from the hon. Minister on the basis of what information have they have arrested ? When did they receive the information that they were Pakistanis on the basis of which they were arrested and who gave them this information ? Has that information false ?

Shri K. C. Pant : As I have already stated in my original answer enquiries were made from the Government of Uttar Pradesh. The Report of U.P. Police was received in September, 1971. The report kevealed that they were Pakistanis. The action was taken on receipt of that report. Then the concerned persons, in their representation, stated that they were Indian Nationals by birth. On the basis of their representation the matter was referred to Madhya Pradesh Police. The M.P. police sent their officer to the U.P. village to investigate the matter. The enquiries made by the M.P. Police has supported their claim. After the officer reported that they, actually, were Indian Nationals, they were taken in training again. But I think that unless it is finally established that they were Indian Nationals or otherwise they should not be taken back on their training. It seems to me that there is definitely some misunderstanding in this matter ; because the I. G. of U. P. Police has been asked to conduct fresh investigations in this matter.

Shri Hukam Chand Kachwai : This matter is very clear and everybody knows that so many persons, who were, in fact, born in India are Pakistani Nationals. During the last many years tney have been going to Pakistan in large number and they lived there. But it seems that some officers concerned after taking some bribe wrote that they were Indian Nationals. I want to know the action Government propose to take against the officers who have such report before their recruitment ?

Shri K. C. Pant : The report, on the basis of which the action was taken, was correct. But since the M.P. Police submitted another report which supported their claim of being Indian Nationals, they have been allowed to resume their training. But it seems there is some misunderstanding in the matter. Therefore, the I.G. of U.P. Police has been asked to conduct a fresh inquiry in the matter and find out the real facts. Therefore, the question of taking any action against anybody in this matter does not arise, These are the facts and nothing else.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नैनी में दूरसंचार उपकरणों का कारखाना

*63. **श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद के निकट नैनी में दूर संचार उपकरणों के कारखाने की

स्थापना करने हेतु सहयोग प्रस्तावों की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या-क्या निर्णय किए गए हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख). इलाहाबाद के निकट नैनी में दूरसंचार उपस्कर के निर्माण के लिए दो नए कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। इन में से एक कारखाना लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिए है और दूसरा कारखाना टेलीफोन उपकरणों तथा अन्य सम्बद्ध मदों के निर्माण के लिए है। ये दोनों कारखाने आई० टी० आई० लिमिटेड बंगलौर के पास उपलब्ध तकनीकी जानकारी से स्थापित किए जा रहे हैं और किसी से सहयोग प्राप्त करने का विचार नहीं हैं।

दिल्ली में आग लगने की डाक घटना में पुलिस कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेजों का नष्ट हो जाना

*64. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सशस्त्र पुलिस की पहली बटालियन के असिस्टट कामान्डेंट्स, एडजुटेन्ट के कार्यालय में हाल ही में लगी आग में केन्टीन के लेखे, पुलिस कर्मचारियों की पारिवारिक आवास के आवंटन संबंधित महत्वपूर्ण फाइलें तथा क्वार्टरों के आवंटन से संबंधित शिकायतों के रजिस्टर नष्ट हो गए थे ;

(ख) क्या दो वर्ष पहले भी इसी कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज ऐसी ही परिस्थितियों में नष्ट हुए थे ;

(ग) क्या कार्यालय में लगी हाल ही की आग के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्रवाई की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) 6 सितम्बर, 1971 की रात्रि को दिल्ली सशस्त्र पुलिस के सहायक कमांडेन्ट के कार्यालय के कमरे में आग लगी थी। क्वाटर्स के आवंटन के बारे में एक पत्र को छोड़कर वे फाइलें जिनका वर्णन किया गया है, नहीं जली थीं।

(ख) दिल्ली सशस्त्र पुलिस की पहली बटालियन के कमांडेन्ट के निजी सहायक के कार्यालय के कमरे में लघु पथित (शार्ट सर्किट) के कारण 23-1-1970 को एक आकस्मिक आग लगी थी। कुछ लेखन सामग्री तथा फर्नीचर नष्ट हो गया था।

(ग) और (घ). आग लगने का कारण अभी ज्ञात किया जाना है। मामले को पुलिस थाने में दर्ज करा लिया गया है और जांच की जा रही है।

नक्सलवादियों के साथ औपचारिक वार्ता

*65. **श्री हरि सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कट्टर नक्सलवादियों, उग्रवादियों और उनके नेताओं के साथ कोई औपचारिक वार्ता करने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त वार्ता करने के सम्बन्ध में कब बैठक होगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ट्रांजिस्टरों का निर्माण

*68. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने कारखाने ट्रांजिस्टरों का निर्माण कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से छोटे, मध्यम और बड़े स्तर के कितने-कितने कारखाने हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कारखाने का उत्पादन कितना रहा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). सम्भवतः प्रश्न ट्रांजिस्टर रेडियो की उत्पादक इकाइयों का है, न कि ट्रांजिस्टर उपकरण का । देश में 1500 इकाइयां ट्रांजिस्टर रेडियों का उत्पादन कर रही हैं । इनमें से 13 संगठित सेक्टर में है । 1968, 1969, 1970 में संगठित सेक्टर में ट्रांजिस्टर रेडियों के उत्पादन की संख्या निम्न है :

क्रम संख्या	फर्म का नाम	रेडियों/ट्रांजिस्टरों का उत्पादन		
		1968	1969	1970
1.	मैसर्स सीमा प्राइवेट लि०	—	7282	5993
2.	,, ईस्टर्न इलैक्ट्रानिक्स	5920	4575	1590
3.	,, जनरल इलैक्ट्रिक कं०	23898	15744	18432
4.	,, ग्रामोफोन कं० आफ इंडिया	8872	18629	10985
5.	,, इंडियन प्लास्टिक्स	2093	2521	4213
6.	,, मलचंदानी इलैक्ट्रिकल एण्ड रेडियो लि०	305487	425828	409707
7.	,, मपर्ने इंडिया लि०	291170	437483	35578
8.	,, नेशनल रेडियोज एण्ड इलैक्ट्रानिक कं०	29321	84784	86893
9.	,, फिलिप्स इंडिया कलकत्ता	119845	172395	227034
10.	,, फिलिप्स इंडिया लि० पूना	259619	244904	303074
11.	,, रेडियो एण्ड इलैक्ट्रिक मैन्यूफैक्चरिंग कं०	5983	5472	13333
12.	,, टैलीफंकन इंडिया लि०	51630	77030	79610
13.	,, टैलीरेड प्राइवेट लि०	17184	10227	8183

उपरोक्त आंकडों में उन फार्मों को नहीं लिखा गया है जो पहले संगठित सेक्टर में थी पर अब वे नई लाइसेंसिंग नीति की दृष्टि से लघु-उद्योग में गिने जाते हैं ।

लघु उद्योग सेक्टर में स्थित फर्मों के यूनिट-अनुसार आंकड़े हाल में उपलब्ध नहीं हैं। इस क्षेत्र में लगभग 1500 रुपए लघु उद्योग यूनिट हैं जो उद्योग—निदेशक के यहां पंजीबद्ध हैं। दोनों तरह का उत्पादन वाल्व टाइप तथा ट्रांजिस्टर टाइप रेडियो सैट क्रमानुसार सन् 1968, 1969 और 1970 में 7.5 लाख, 9 लाख तथा 11 लाख हुआ। इनमें से 80 से 85% उत्पादन ट्रांजिस्टर टाइप रेडियो-सैट्स का हुआ।

इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान लाइसेंसिंग नीति की दृष्टि से दोनों प्रकार के रेडियो का निर्माण (वाल्व टाइप तथा ट्रांज़िस्टर टाइप) बिना लाइसेंस प्राप्त किये ऐसी किसी भी यूनिट द्वारा आरम्भ किया जा सकता है, जो किसी बड़े उद्योग या विदेशी फर्म से संबंधित नहीं है, इस प्रयोजन के लिये आवश्यक मूल-पूंजी एक करोड़ रुपए से कम ही है और आयात संयंत्र, मशीनरी तथा घटकों का मूल्य निर्धारित-सीमा से भी कम है।

डाक वस्तुओं पर वितरण तिथि की मोहरें लगाने की पद्धति को पुनः आरम्भ करना

*71. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक वस्तुओं के वितरण में विलम्ब का पता लगाने के प्रयोजन से उन पर वितरण-तिथि की मोहरें लगाने की पद्धति को पुनः प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे बिलम्बों को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) वितरण के स्थान पर डाक वस्तुओं पर वितरण की तारीख की मोहरें लगाने की पद्धति पुनः प्रारम्भ करने के आदेश जून 1971 में जारी कर दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसूर राज्य में तांबे की तारों की चोरी

*75. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में डाक तथा तार विभाग में तांबे की तारों की चोरी में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ट्रंक सर्किलों में तांबे की तारों के स्थान पर ऐल्युमीनियम की तारों का प्रयोग होता रहा है और उसका उत्पादन अचानक कम हो गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1968-69 तक मैसूर राज्य में तांबे के तार की चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई। अलबत्ता, 1969-70 और 1970-71 वर्षों में ऐसी घटनाओं में कमी देखने में आई है।

(ख) तांबे की तार की जगह क्रमिक तौर पर अल्युमीनियम के तार/तांबा मढ़े लोहे के तार का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलबत्ता, इन तारों की सप्लाई कम है।

(ग) तांबे के तार की चोरी की वारदातों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) राज्य के मुख्य मंत्री को लिखा गया है कि वे इंसपेक्टर जनरल, पुलिस को ऐसी हिदायत दें कि तांबे के तार की चोरी को रोकने के लिये इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दे और कारगर कदम उठाएं ।

(ii) चोरी की वारदातों की तफतीश करने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के काम में तेजी लाने के लिए विभागीय अधिकारी पुलिस प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए रखते हैं ।

(iii) अपराधियों के लिए और कड़े दण्ड की व्यवस्था करने के लिए टेलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) अधिनियम 1950 में कुछ संशोधन करने का विचार किया जा रहा है ।

(iv) महत्वपूर्ण मार्गों पर तांबे के तार की जगह ताँबे से झले तार/ए०सी०एस०आर० तार लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

अपराधियों से लोगों की रक्षा करने के लिए दिल्ली में पुलिस प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ाना

*77. **श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :** **श्री सतपाल कपूर :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि राजधानी में हाल के कुछ महीनों में अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या दिल्ली की पुलिस न तो अपराधियों को ही पकड़ सकी है और न ही हत्याओं, सेंधमारी, राह-जनी और चोरियों को रोक सकी है ;

(ग) यदि हां, तो राजधानी में गत छः महीनों में हत्या, सेंधमारी, राह-जनी और चोरियों के कितने मामले हुए ;

(घ) कितने मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा उन पर मुकद्मा चलाया गया ; और

(ङ) पुलिस प्रशासन की कार्य-कुशलता बढ़ाने और लोगों की अपराधियों से रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । गत् छः महीनों में वृद्धि पहले की छमाही की तुलना में बहुत मामूली है। परन्तु पिछले 10 महीनों के आंकड़ों की तुलना उससे पिछले वर्ष की समान अवधि के आंकड़ों से की जाय तो कमी हुई है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) और (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

अवधि	अपराध की किस्म	बताई गई कुल संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अपराधियों को दण्ड दिया गया ।
1-5-1971 से	हत्या	55	40	—
31-10-1971 तक	सेंधमारी	1320	204	17
	राहजनी	77	28	—
	चोरी	8543	702	60

(ङ) सरकार ने पुलिस प्रशासन सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय किये हैं जैसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा कारगर ढंग से निरीक्षण, वायरलेस यंत्र युक्त वाहनों में गश्त लगाना, पेचीदा मामलों की विशेष दस्तों द्वारा जांच कराना, वैज्ञानिक ढंग से अन्वेषण करना, अपराधी का पता लगाने के लिए कुत्तों के दल का प्रयोग, अपराधों के अभिलेखन में सुधार, दिल्ली में केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापित करना तथा पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना ।

फगवाड़ा (पंजाब) के व्यापारी का अपहरण

*78. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि फगवाड़ा, पंजाब के एक 30 वर्षीय व्यापारी का 21 अक्तूबर, 1971 को अपहरण किया गया और एक कार में दिल्ली से बाहर ले जाया गया ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया गया है और व्यापारी को छुड़ा लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां श्रीमान् । एक व्यक्ति श्री रविन्द्र सिंह आत्मज श्री रघुबीर सिंह का 21 अक्तूबर, 1971 को अपहरण किया गया था किन्तु उसे दिल्ली के बाहर नहीं ले जाया गया ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

मद्रास में टेलीविजन केन्द्र

*79. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना के लिए निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्य को विभाग द्वारा पूरा किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी ठेकेदार द्वारा ; और

(ग) इस योजना हेतु आगामी दो वर्षों के लिए कितना काम करने और कितना धन व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां ।

(ख) सिविल निर्माण कार्य किसी ठेकेदार को सौंपा जाएगा तथा उपकरण लगाने का काम विभागीय रूप से किया जाएगा ।

(ग) उम्मीद है 1972-73 में सिविल निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और उपकरण प्राप्त हो जायेंगे तथा 1973-74 में इन्स्टालेशन कार्य पूरा हो जायेगा और केन्द्र चालू हो जायेगा । इस परियोजना का अनुमानित खर्चा 182.76 लाख रुपए है ।

Acts of Pak Infiltrators after Mukti Bahini Intensified ITS Offensive against Pak Army

*80. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of places where Pakistani infiltrators and agents have committed acts of sabotage in Indian territory after the Mukti Bahini intensified its offensive against the Pak Army in Bangla Desh ;

(b) whether the Pakistani agents have been arrested with lethal weapons in Kishanganj area of Bihar State adjoining Bangla Desh ; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) Acts of sabotage have been committed by Pakistani agents in Tripura, the border districts of Assam, Meghalaya, and West Bengal and in the Purnea district of Bihar.

(b) and (c). Facts are being ascertained from the Government of Bihar.

प्राकृतिक संसाधनों के विकास हेतु उच्च अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय बोर्ड

*81. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्राकृतिक संसाधनों के विकास तथा समन्वय के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बोर्ड का गठन कब किया जायेगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) प्राकृतिक संसाधनों सम्बंधी सर्वेक्षणों के समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड गठित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । फिलहाल, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण से सम्बन्धित वर्तमान कार्य-कलापों का जायजा लेने, कमियों का पता लगाने तथा प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए उपाय सुझाने के

उद्देश्य से योजना आयोग के सदस्य श्री एम० एस० पाठक की अध्यक्षता में 25 सदस्यों का एक संचालन दल (स्टियरिंग ग्रुप) योजना आयोग द्वारा पहले ही गठित किया जा चुका है। संचालन दल के अधीन विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों आदि पर तेरह कृतिक बल (टास्क फोर्सिस) बनाये गये है जो कि विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति की विस्तार से जांच करेंगे और भावी विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेंगे। इस सम्बन्ध में सरकार का अगला निर्णय इन कृतिक बल (टास्क फोर्सिस) और संचालन दल के निष्कर्षों पर निर्भर होगा।

(ख) जैसा कि उत्तर के भाग (क) में बताया गया है।

(ग) संचालन दल (स्टियरिंग ग्रुप) द्वारा अपनी रिपोर्ट देने के बाद ही बोर्ड के गठन के प्रश्न की समीक्षा की जायेगी।

आकाशवाणी द्वारा प्रसारित भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा अपने इंगलैण्ड के दौरे के दौरान खेले गये टैस्ट मैचों का आंखों देखा हाल

*82. **राजमाता कृष्णा कुमारी** (जोधपुर) : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट टीम के हाल के इंगलैण्ड के दौरे के समय टैस्ट मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी द्वारा प्रसारित नहीं किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख): जी, नही। भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा खेले गये टैस्ट मैचों के आंखों देखे हाल को प्रसारित करने का प्रबन्ध करना संभव नहीं था।

आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व इन्स्पेक्टर-जनरल आफ पुलिस के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

*83. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या गृह मंत्री 24 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3750 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व इंस्पैक्टर-जनरल आफ पुलिस तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक आरोपों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) और (ख). जी हां श्रीमान्। सरकार द्वारा रिपोर्ट की सावधानी से जांच की गई है। रिपोर्ट में प्रकाशित तथ्यों को दृष्टि में

रखते हुए कानूनी सलाह के अनुसार निर्णय किया गया है कि कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व इन्स्पैक्टर जनरल आफ पुलिस श्री ए० के० के० नम्बियर तथा राज्य सरकार के कुछ अन्य पदाधिकारियों पर भी मुकदमा चलाया जाय ।

(ग) विभिन्न अभियुक्तों के सम्बन्ध में आरोप-पत्र हैदराबाद तथा बम्बई न्यायालयों में दायर किये गये हैं ।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा थाम्पसन प्रेस को छपाई का आर्डर

*84. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा बनाई गई मुद्रकों की स्वीकृत सूची में थाम्पसन प्रेस का नाम था ;

(ख) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा इस प्रेस को, जिसका सम्बन्ध विदेशों मे है, एक पुस्तक की छपाई का आर्डर दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या "नेशनल हेराल्ड" ने यह आरोप लगाया है कि इस अनियमित आर्डर के देने में एक भूतपूर्व सचिव तथा विज्ञापन और दृश्य निदेशालय के एक भूतपूर्व अध्यक्ष अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(घ) क्या थाम्पसन प्रेस ने अब प्रकाशन का कार्य भी आरम्भ कर दिया है और उनका एकमात्र प्रकाशन भूतपूर्व सचिव द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). थाम्पसन प्रेस को 'फोर्थ जनरल एलेक्शन्स' नामक प्रकाशन के छापने का काम सौंपते हुए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने गैर सरकारी मुद्रकों को काम देने के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित है उसका पालन किया था । इस मामले में कोई अनियमितता नहीं थी ।

(घ) मैसर्स थाम्पसन प्रेस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने अन्य पुस्तक भी प्रकाशित की हैं ।

डाक तथा तार विभाग के इंजीनियरी सुपरवाइजरों द्वारा डाक तार भवन, नई दिल्ली पर प्रदर्शन

*85. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

श्री एच० के० एल० भगत :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के इन्जीनियरी सुपरवाइजरों ने 20 अक्तूबर, 1971 को डाक-तार भवन, नई दिल्ली पर कोई प्रदर्शन किया था जिसमें उन्होंने अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की थी ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां, यह प्रदर्शन 19 अक्तूबर, 1971 को डाक-तार भवन पर किया गया था।

(ख) उन्हें समयोपरि भत्ता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण

*86. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रमुख समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण करने और उनके प्रबन्ध में श्रमिकों की पर्याप्त साझेदारी सुनिश्चित करने हेतु उपाय करने का है ; और

(ख) उपर्युक्त उपाय कब से लागू किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). प्रमुख समाचार पत्रों और समचार एजेंसियों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण करने के कुछ प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन हैं। मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए मंत्रियों की एक समिति का गठन किया जा रहा है। यह बताना संभव नहीं है कि किस समय तक जाँच पूरी हो जायेगी।

उपभोक्ताओं के घरों पर टेलीफोन काल लगाना

*87. **श्री राम कंवर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ताओं के घरों में टेलीफोन काल मीटर लगाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस योजना में कुल कितनी धनराशि व्यय होगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां, सिर्फ उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग कालों के लिए ही ऐसा किया जा रहा है।

(ख) प्रभार का संकेत देने वाले मीटरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का काम शुरू करने से पहले कुछ चुने हुए एक्सचेंजों में इन मीटरों का फील्ड परीक्षण किया जायेगा ; अभी यह बता सकना सम्भव नहीं है कि यह योजना कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है।

(ग) इन मीटरों के प्रोटोटाइप का परीक्षण करने के बाद निर्माण की लागत आदि ब्यौरों का पता चलेगा और उसके बाद ही इस योजना पर होने वाले कुल व्यय का पता लगाया जा सकेगा। इसकी कुल लागत इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इसकी मांग कितनी होगी और मांग का अनुमान इस सुविधा का विकास किये जाने और यह जनता को पेश किये जाने के बाद ही लगाया जा सकता है।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक की नियुक्ति

*89. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक की नियुक्ति के बारे में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और केन्द्रीय सूचना सेवा एसोसियेशन के बीच के मतभेद की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) सरकार को इस प्रकार के किसी मतभेद की जानकारी नहीं है । तथापि 10 अप्रैल 1970 को 'टाइम्स आफ इण्डिया' और 14 अप्रैल, 1970 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स" में 'आई० आई० पी० ए०' शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्रीय सूचना सेवा एसोसियेशन के उप-सभापति के नाम से प्रकाशित एक पत्र जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में निदेशक के रूप में नियुक्ति किये जाने की सूचित चेष्टा की आलोचना की गई थी जो सरकार को विदित हुई है । वास्तव में भारतीय प्रशासन सेवा का कोई अधिकारी संस्थान में निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में उत्पादन केन्द्रों के लिए निगम

401. **श्री वयालार रवि** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में उत्पादन में केन्द्र मुनाफे पर चल रहें हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इन संस्थाओं को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए निगम बनाने का है ;

(ग) क्या इन केन्द्रों के कर्मचारियों ने अपने वेतन के नियत किये जाने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं, इन केन्द्रों की स्थापना 1956 में शिक्षित बेकारों को उत्पादन कार्यों में प्रशिक्षिण देने के विचार से की गई थी ।

(ख) नहीं ; इन केन्द्रों को राज्य सरकारों अथवा अन्य एजेन्सियों को हस्तांतरित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अभ्यावेदन में उल्लिखित कुछ बातों को स्वीकार कर लिया गया है ।

केरल में टेलीफोन उद्योग कारखाने की स्थापना

403. **श्री वयालार रवि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टेलीफोन औद्योगिक फैक्टरी स्थापित करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ दल ने वहां कुछ स्थानों का दौरा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) तकनीकी विशेषज्ञ दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है ।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा से बाहर के सहायकों के लिए अनुभाग अधिकारियों की परीक्षा में बैठने की योग्यता

404. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई असिस्टेन्ट ग्रेड परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किये गये सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अन्तर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अंतर्गत न आने वाले मंत्रालयों/विभागों में नियुक्त किया जाता है ;

(ख) क्या केंद्रीय सचिवालय सेवा के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/विभागों में काम कर रहे सहायकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अनुभाग अधिकारियों की परीक्षा में बैठने की सुविधा प्राप्त है जबकि अन्य मंत्रालयों/विभागों में काम करने वाले सहायकों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या केंद्रीय सरकार इस सुविधा को उन सभी सहायकों को देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी जो असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा के माध्यम से भर्ती हुए हैं ?

कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). असिस्टेंट ग्रेड में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा केंद्रीय सचिवालय सेवा और कुछ अन्य संगठित सेवाओं एवं केंद्रीय सचिवालय सेवा में शामिल न होने वाले विभागों/मंत्रालयों/कार्यालयों में एकाकी पदों के लिए संयुक्त परीक्षायें हैं । सफल उम्मीदवारों को उनकी योग्यता व उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न सेवाओं/पदों में आवंटित किया जाता है । उम्मीदवारों द्वारा उनको आवंटित सेवा या पद ग्रहण करने के बाद, उनकी आगामी पदोन्नति सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा बनाये गये सेवा नियमों के अनुसार नियमित की जाती है । जहां तक केंद्रीय सचिवालय सेवा का सम्बंध है, अनुभाग अधिकारी के उच्च ग्रेड के पदों का कुछ अनुपात विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरा जाता है, जो कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के लिए सीमित है । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा और भारतीय विदेश सेवा (बी) में अनुभाग अधिकारी के अनुरूपी पदों के लिए इसी प्रकार की परीक्षायें ली जाती हैं जो उन सेवाओं से सम्बन्धित सहायकों के लिए ही सीमित हैं । क्योंकि ये

परीक्षायें विभागीय हैं, अतः उस विशेष विभाग या सेवा से सम्बंध न रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ये सुविधायें प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उन अन्य सेवाओं और पदों में इस प्रकार की परीक्षायें चालू करने के प्रश्न के बारे में, जिनमें कि इस समय ऐसी परीक्षायें नहीं ली जाती हैं, सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्णय लेना है।

डाल्टनगज मुख्य डाकघर

405. **कुमारी कमला कुमारी : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाल्टनगंज मुख्य डाकघर में तार कार्य केवल दो व्यक्तियों को सौंपा गया है, अर्थात एक हिन्दी के तारों के लिए और दूसरा अंग्रेजी के तारों के लिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश लोग तार हिन्दी में भेजते हैं जिससे हिन्दी के तारों का ढेर लग जाता है क्योंकि एक व्यक्ति सभी हिन्दी के तारों को नहीं भेज पाता ; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस समय डाल्टनगंज में तीन मिगनलर काम पर लगे हुए हैं। इनमें से दो को हिन्दी के तार निपटाने का प्रशिक्षण दिया गया है।

(ख) यह सही नहीं है कि अधिकांश लोग अपने तार हिन्दी में भेजते है और न ही हिन्दी तारों के ढेर लग जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में मुख्य डाकघर भवन का निर्माण

406. **कुमारी कमला कुमारी : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनका ध्यान बिहार के दिनांक 29 जुलाई, 1971 के 'साप्ताहिक हलधर' नामक समाचार पत्र में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें मुख्य डाकघर का विवरण दिया गया है ;

(ख) क्या मुख्य डाकघर इस समय एक भारी किराये के गैर-सरकारी भवन में स्थित है क्योंकि नौ वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी इसके लिए नये भवन का निर्माण नहीं हुआ है ; और

(ग) क्या वह पुराना सरकारी भवन, जिसमें यह डाकघर स्थित था गिरा दिया गया है और नया भवन कब तक बन जाने की आशा है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग). अनुमान है कि माननीय सदस्य डाल्टनगंज प्रधान डाकघर का उल्लेख कर रहे हैं। यह 17-2-63 से एक किराये की इमारत में काम कर रहा है। इसका किराया 950 रुपये प्रतिमास है, जो कि वाजिब है। 1963

से पहले डाल्टनगंज प्रधान डाकघर जिस विभागीय इमारत में काम कर रहा था, उसे नई इमारत बनाने के लिए गिरा दिया गया था। इसके नक्शे में बार-बार परिवर्तन करने के कारण कार्य में विलम्ब हो गया। तथापि अब इसका निर्माण शुरू कर दिया गया है और आशा है कि यह सितम्बर 1972 तक पूरा हो जायेगा।

छोटे समाचार-पत्रों को विज्ञापन सामग्री देना

407. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विज्ञापन अभिकरणों (गैर-सरकारी तथा सरकारी) की संख्या कितनी है जो छोटे समाचारपत्रों को विज्ञापन सामग्री सप्लाई करते हैं ;

(ख) क्या छोटे समाचार पत्रों (साप्ताहिकों) को प्रचार सामग्री सप्लाई करने के लिए सरकार ने उनको कोई अनुदेश दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली स्थित विज्ञापन अभिकरणों के पते क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). विज्ञापन एजेंसियां सरकार द्वारा नियन्त्रित नहीं है। इसलिए सरकार इस प्रकार की एजेंसियों की कोई सूची नहीं रखती।

जो विज्ञापन एजेंसियां सरकार से प्रत्यायित होना चाहती हैं वे विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रत्यायित की जाती है, बशर्ते कि वे और बातों के साथ-साथ, छोटे और मंझोले समाचारपत्रों को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति स्वीकार करें।

(ग) जो प्रत्यायित विज्ञापन एजेंसियाँ दिल्ली में स्थित है, उनकी एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए** संख्या एल०टी —1000/71]

Recruitment of Vice-Principals for Higher Secondary Schools in Delhi

409. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 7595 on the 11th August, 1971 regarding recruitment of Vice-Principals for Higher Secondary Schools in Delhi and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ; and

(b) if so, whether it will be laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) The Recruitment Rules for the post of Vice-Principal of Government Higher Secondary Schools under the Delhi Administration (Class II post), provide for filling up the post entirely by promotion from Class III posts in accordance with the following quota :

(1) Post-Graduate Teachers with 5 years service in the grade 50%.

(2) Assistant District Inspectors of Schools/Assistant Social Education Officers with 7 years service in the grade 10%.

(3) Trained Graduate Teachers with 10 years service in the grade 40%.

Under the Union Public Service Commission (exemption from Consultation) Regulations, 1958 save as otherwise, expressly provided in the Recruitment Rules, it shall not be necessary to consult the Commisson in regard to the Selection for appointment to a Central Services Class II or to a post included in Central Services Class II of any Officer who is already a member of Central Service, Class II or Central Service Class III. In view of this provision, the post of Vice-Principal of Government Higher Secondary School under the Delhi Administration is outside the purview of the Commission. There is no provision for reservation of vacancies for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Class I and Class II posts filled by departmental promotion. Moreover, none of the persons belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes were in the field of eligibility for promotion. As such the question of giving representation to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the promotions made does not arise.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की भर्ती

410. **श्री अम्बे** : क्या **प्रधान मन्त्री** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की भर्ती के बारे में 16 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2328 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी अब तक एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे सभा-पटल पर कब रखा जायेगा ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). अभी तक 32 मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित सूचना प्राप्त हुई है । अब तक प्राप्त सूचना को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—1001/71]

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर के चेयरमैन के विरुद्ध टीका टिप्पणी

411. **श्री अम्बेश** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के चेयरमैन के विरुद्ध एक जांच आयोग ने कुछ टीका-टिप्पणी की है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त टीका-टिप्पणी सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) **और (ख).** ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि० कानपुर के मामलों की जांच करने वाले अधिकारों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष की भूमिका केवल नाम मात्र के प्रधान के रूप में रही है । उनका कार्य केवल बोर्ड की बैठकों की प्रधानता करता रहा है और वे नीति सम्बन्धी निर्णयों और नित्य प्रति के प्रशासन पर कोई प्रभाव रखने में असमर्थ रहे हैं । अतः जांच अधिकारी में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के निदेशक मण्डल को और सबल बनाने तथा अध्यक्ष को प्रशासन संबंधी पर्याप्त अधिकारी देने की सिफारिश की थी ।

भारत में पूंजी निवेश की स्थिति

412 **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान फेडरेशन आफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ सलाहकार, सर नार्मन किपिंग्स के दिनांक 23 अक्तूबर, 1971 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स', नई दिल्ली छपे इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में पूंजी-निवेश की वह स्थिति नहीं है जो पहले थी और यह कि यह स्थिति सर्वोत्तम तकनीकी ज्ञान की आयात बनाए रख कर ही सुधारी जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) भारत में विदेशी निवेश के लिए स्थिति में और सुधार करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्यामभाई ओझा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). केवल उन्हीं प्रकरणों में जहां हमारी अपनी जानकारी में प्रौद्योगिकीय अन्तराल विद्यमान हैं, तकनीक आयात सीमित करने हेतु सरकार ने बोधपूर्ण निर्णय लिया है। फिर भी, भारत में विदेशी निवेशों की अनुमति होने के सम्बंध में हमारा दृष्टिकोण अधिक चयनात्मक होता है। जहां विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात साथ ही विदेशी निवेश की अनुमति अधिक उदार हैं, वहां निर्यातोन्मुख उद्योगों के विषय में विशेष विचार किया जाता है।

फिर भी, अक्तूबर में नार्मन किपिंग्स से हुए विचार विमर्श प्रारम्भिक प्रकार के हीं थे। इन पर कुछ समय पश्चात जब भारत में विदेशी विनियोजकों के लिए पूंजी निवेश की स्थिति में सुधार हेतु अधिक विस्तार से विचार विमर्श के लिए कदम उठाए जायेंगे तब इन पर इंडो-ब्रिटिश प्रौद्योगिकीय दल द्वारा भी विचार विमर्श किया जायेगा।

औद्योगिक सहयोग के बारे में भारत-ब्रिटिश वार्ता

413. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ सलाहकार सर नार्मन किपिंग ने अक्तूबर, 1971 में भारत का पांच दिन का दौरा किया था तथा उन्होंने उस समय आगामी भारत ब्रिटिश तकनीकी ग्रुप की बैठक जो कि अगले वर्ष के आरम्भ में होने वाली है के लिए तैयारी करने की दृष्टि से उनके मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी बातचीत का स्वरूप तथा रुख क्या था ;

(ग) क्या सर नार्मन किपिंग ने विदेशी सहयोग को धीरे धीरे खत्म करने की सरकार की तथाकथित नीति पर चिन्ता व्यक्त की थी ; और

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्यामभाई ओझा) : (क) से (घ). सर नार्मन किपिंग ने औद्योगिक विकास मन्त्रालय के सचिव से 19-10-71 को भेंट की थी। वार्तालाप के दौरान पारस्परिक हित के कई मामले जैसे भारतीय-ब्रिटिश तकनीकी दल की आगामी बैठक, ब्रिटेन के परचेज मिशन का भारत का दौरा, तकनीकी संबंधों को जारी रखना, अनुसंधान और विकास में सहयोग आदि बातचीत पर की गई। वार्तालाप जांच पड़ताल के प्रकार का था और न तो कोई निर्णय लिया गया न कोई आश्वासन ही दिया गया।

प्रतिभा-पलायन

414. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'प्रतिभा-पलायन' रोकने के लिए सरकार के सभी उपाय असफल रहे हैं क्योंकि 'वैज्ञानिक पूल' भी सीमित रूप से सफल रहा है और इसके साथ ही सरकार द्वारा अनेक परिपत्र जारी करने के बावजूद भी मितव्ययता अभियान के कारण अथवा विभिन्न विभागाध्यक्षों के उदासीन रवैये के कारण बहुविज्ञापित तथा अधिक वेतन वाले पद भी बनाए नहीं गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अन्वेषण परिषद सहित सभी सरकारी विभागों में लालफीता शाही और उच्च सरकारी अधिकारियों के उदासीन रवैये से बचाकर वैज्ञानिकों और तकनीकीविज्ञों को नौकरी देने का कार्य पूर्णतया सुनियोजित ढग से हो ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) वैज्ञानिक पूल 40% से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करा चुका है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास के नेशनल रजिस्टर (राष्ट्रीय रजिस्टर) अनुभाग में वहां रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों का पंजीकरण लगातार होता रहता है। अतः पूल से निरन्तर चयन होता रहता है तथा प्रतिभाह वैज्ञानिक वापिस आ रहे हैं और पूल में प्रवेश ले रहे हैं।

कुछ व्यक्तियों को अधिसंख्यक पद निर्माण योजना के अन्तर्गत भी नियुक्त किया गया है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अधिसंख्यक पदों सम्बन्धी योजना को कार्यान्वित न किए जाने के कारणों और उक्त योजना के बेहतर उपयोग के लिए प्रस्तावित उपायों को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। (अनुलग्न-I) [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी०—1002/71]

(ख) वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए जो कदम उठाए गये हैं उनका विवरण अनुलग्न-II में संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—1002/71] इसके अतिरिक्त रोजगार के प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये सरकार ने बेरोजगारी पर एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अपने निजी उद्योग चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए भी बहुत सी योजनाओं का श्री गणेश किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू० जी० सी०) ने भाषण देने के लिए आने वाले प्रोफेसरों के लिए एक योजना प्रारम्भ कर दी है।

अपराधों की संख्या का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण

4 5.**श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि देश में किये गये सर्वेक्षण से प्रकट हुआ है कि जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में अपराधों की घटनाओं में अधिक वृद्धि हुई है ; और

(ख) किस राज्य में अपराधों की घटनाएं सब से अधिक हुई और किस राज्य में सबसे कम घटनायें हुईं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 1969 वर्ष में मध्य प्रदेश में भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के अन्तर्गत प्रज्ञेय अपराध के मामलों की सबसे अधिक संख्या एक लाख की जनसंख्या में 21.8.4 थी जो समस्त राज्यों के आंकड़ों में सबसे अधिक है, जबकि हिमाचल प्रदेश में दर्ज किये गये एक लाख की जन-संख्या में 64.6 के आंकड़े देश में सबसे कम हैं ।

रूसी सहयोग से घड़ियां बनाने का कारखाना स्थापित करना

416. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रूसी सहयोग से घड़ियां बनाने का कारखाना स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सरकार ने पिछले अगस्त में एक भारतीय कम्पनी को सोवियत पार्टी के तकनीकी सहयोग से लघु क्षेत्र में कलाई की घड़ियां बनाने के लिए स्वीकृति दी है । कम्पनी का विचार पहले वर्ष में 20,000 घड़ियां और पाँचवें वर्ष और उससे आगे 80,000 घड़ियां प्रतिवर्ष बनाने का है ।

अनुसंधान संस्थाओं की देख-रेख के लिए विज्ञान विभाग की स्थापना

417. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : **क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश की प्रमुख अनुसंधान संस्थाओं की देख-रेख के लिये एक नया विज्ञान विभाग स्थापित किया है ; और

(ख) विज्ञान के संवर्धन तथा राष्ट्र के विकास तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों में इसके उपयोगार्थ इस नए विभाग को अन्य कौन-कौन से कार्य सौंपे गये हैं ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां, लेकिन निरीक्षण करने के लिये नहीं । इस विभाग का कार्य उनके समान हितों और क्षमताओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने में सहायता देना है ।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए निर्धारित कार्यों को संलग्न विवरण में दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1003/71**]

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

418. **श्री राम कंवर :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले सात महीनों के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) उपभोक्ता वस्तुओं की इस मूल्य वृद्धि का संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मध्य आय वाले तथा निम्न आय वाले परिवारों के बजट पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) क्या सरकार के मूल्यों में वृद्धि को रोकने सम्बन्धी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है और यदि नहीं तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश भर में प्रचलित उपभोक्ता वस्तुओं का खुदरा मूल्य सूचकांक एक ही स्थान पर इकट्ठा नहीं किया जाता। अप्रैल से अक्तूबर के बीच चुने हुये प्रमुख उपभोक्ताओं वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में आये परिवर्तन संलग्न विवरण में दी जा रही है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए** संख्या एल० टी०—1004/71]

(ख) अप्रैल से अक्तूबर 1971 की अवधि में केन्द्र शासित क्षेत्र दिल्ली में चुनी हुई उपभोक्ता वस्तुओं का खुदरा मूल्य और मध्यम श्रेणी तथा निम्न श्रेणी के पारिवारिक बजट पर उसके प्रभाव को दिखाने वाला विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—1004/71]

(ग) सरकार वस्तुओं की कीमत को स्थिर बनाये रखने के लिये सभी आवश्यक उपाय बरत रही है जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :

1. आवश्यकता की पूर्ति करने के विचार से कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना।
2. कानूनी तौर पर अथवा अनौपचारिक रूप में मूल्य निश्चित करना।
3. खाद्यान्न और दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं का जनता में वितरण करने की व्यवस्था करना।
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन कानूनी नियन्त्रण द्वारा आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण करना।
5. सहकारिता साधनों से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि करना।

भारत में विदेशी धर्म प्रचारक

419. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में भारत में विदेशी धर्म प्रचारकों की संख्या क्या थी ;

(ख) क्या भारत में आने वाले विदेशी धर्म प्रचारकों की संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 31 दिसम्बर, 1969 तथा 1970 में भारत में पंजीकृत धर्म प्रचारकों की संख्या क्रमश: 5,768 और 5,354 थी ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय रजिस्टर योजना

420. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'राष्ट्रीय रजिस्टर' योजना के लागू होने से लेकर अब तक प्राप्त प्रगति आशानुकूल नहीं है ;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रगति में तेजी लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). 4,30,000 से अधिक भारतीय वैज्ञानिकों टैक्नोलोजिस्टरें और चिकित्सा कर्मचारियों का पूरा विवरण नेशनल रजिस्टर (राष्ट्रीय रजिस्टर) के पास मौजूद है। पंजीकरण स्वैच्छिक होने के कारण पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है । फिर भी, बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति सम्बन्धी अध्ययनों में यह एक उदाहरण की तरह कार्य करता है ।

(ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारी विभाग) ने 1971 में भारतीय जनगणना विभाग के सहयोग से जनगणना के समय वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों से उनके सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा एकत्र करने के लिये एक विशेष प्रश्नोत्तरी तैयार कर प्रसारित की थी । इससे जानकारियों की पूर्णता में वृद्धि होगी । नवीन पंजीकरण और पंजीकृतों का पुनरीक्षण भी लगातार चल रहा है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों का प्रशिक्षण

421. **श्री सेझियान :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की कार्य क्षमता सुधारने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये कितने प्रशिक्षणार्थियों को चुना गया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). 26 मार्च, 1970 को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि प्रथम श्रेणी सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को संस्थागत प्रशिक्षण और गोष्टियों/संविदाओं/सम्मेलनों में जाने देने के लिए अधिक अवसरों की व्यवस्था की जायेगी। इन अनुदेशों में यह भी व्यवस्था है कि प्रथम श्रेणी के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों के आसन्न वरिष्ठ अधिकारियों का विशेष उत्तरदायित्व होगा कि वे उनको उनके कार्य स्तर में सुधार के लिए सलाह और मार्ग-निर्देशन करें।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था के बारे में हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

(i) प्रशिक्षण संस्थाओं के अधीक्षकों को अन्य लोगों के साथ साथ, जहां कहीं आवश्यक हो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सीधे भर्ती किये गये प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये गहन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने को कहा जायेगा।

(ii) समुचित क्षेत्रों में विभिन्न विभागों/प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को और अधिक संख्या में नामित किया जायेगा।

(iii) जहां तक सम्भव होगा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उन अधिकारियों को लेने के लिये जो मंत्रालयों द्वारा प्रवर्तक किये गये हैं, इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को बनाते समय पर्याप्त समय दिया जायेगा।

(iv) प्रशिक्षण गोष्टियों एवं सम्मेलनों के लिये अधिकारियों की प्रति-नियुक्ति करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(v) इस प्रकार के अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों से पद-प्रशिक्षण, उपयुक्त कार्यक्रमों में घनिष्ठ सम्बन्ध रखने और प्रशिक्षण देने के लिये उपयुक्त व्यवस्था करने के लिये कहा जायेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ऊपर निर्दिष्ट किये गये हाल के निर्णय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने अपने आगामी कार्यक्रमों में कार्यान्वित किये जायेंगे।

धनबाद स्थित केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दियां देना

422. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० पी० सी० घोष, महा मन्त्री (वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद) वैज्ञानिक कर्मचारी संघ, केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्थान शाखा, धनबाद (बिहार) ने 13 जुलाई,

1971 को वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद के सचिव को एक पत्र भेजा था जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पैंट तथा कमीजें देने के बारे में केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्थान के प्रबन्धकों पर गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) क्या उक्त पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि प्रत्येक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तीन कमीजें तथा तीन पैंट देने के स्थान पर इस वर्ष उन्हें केवल 2 कमीजें तथा 2 पैंट ही दिए गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आरोप की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). मामले की जांच करवाने के लिये एक विभागीय समिति स्थापित की गयी है । जांच-पड़ताल जारी है ।

राज्यों में मंत्रियों की संख्या नियत करने के लिए कानून बनाना

424. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दल बदल को रोकने के विचार से विधान सभाओं की सदस्य-संख्या के अनुरूप राज्यों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निश्चित करने हेतु कोई कानून बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). दल बदल सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष तथा छः अन्य सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त सूत्र के अनुसार मंत्रि परिषद के आकार को सीमित करने के लिए सरकार का एक विधान लाने का विचार है । उन्होंने यह सिफारिश की थी कि केन्द्र में मंत्रियों की संख्या लोक सभा की कुल सदस्यता के 11 प्रतिशत से अधिक न हो और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां विधान-मण्डल का केवल एक सदन है विधान सभा की कुल सदस्यता का 10 प्रतिशत और जहाँ विधान मण्डल के दो सदन है वहां विधान सभा की कुल सदस्यता का 11 प्रतिशत, किंतु जहां विधान सभा में 100 से कम सदस्य हैं वहां मंत्रियों की कुल संख्या विधान सभा की कुल सदयता का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

राजनैतिक बन्धों तथा हड़तालों को अवैध घोषित करने का प्रस्ताव

425. **श्री राजदेव सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक "बन्धों" तथा हड़तालों को, जिनका हिंसा की राजनीति से घनिष्ठ सम्बंध है अवैध घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). अनिवार्य सेवा संरक्षण अधिनियम 1968 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पास अधिनियम में निर्दिष्ट अथवा घोषित किसी "अनिवार्य सेवा" में हड़तालों को प्रतिबन्धित करने की शक्ति पहले ही है। सरकार को और अधिक शक्तियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Condition of Undertrials in Jails

426. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that many undertrials are required to spend a valuable part of their lives in jails even before conviction by the Courts as, being poor, they cannot offer bails ; and

(b) the action being taken by Government in this regard and whether Government intend to amend the relative rules ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). Matters relating to Bail are governed by the provisions of the Code of Criminal procedure, 1898. The said Code is being replaced by a new Code and the relevant Bill is now under consideration by a Joint Committee of Parliament. The points raised in the question will no doubt receive consideration by the Committee.

खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के बारे में अशोक मेहता समिति की सिफारिशें

427. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के बारे में नियुक्त अशोक मेहता समिति की सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). अशोक मेहता समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

दिल्ली में अवैध वायदा-व्यापार से सम्बन्धित दस्तावेजों का पकड़ा जाना

428. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराध शाखा के अधिकारियों ने 22 अगस्त, 1971 को राजधानी में अनेक स्थानों से वायदा व्यापार से सम्बंधित बड़ी मात्रा में दस्तावेज पकड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो इसमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के क्या नाम हैं ; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम भाई ओझा) : (क) जी, हां ।

(ख) जिन फर्मों पर छापे मारे गये थे उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) उपर्युक्त छापों में पकड़े गये दस्तावेजों को दिल्ली पुलिस ने 27 अगस्त, 1971 को वायदा बाजार आयोग को भेज दिया है और इस समय आयोग के विशेषज्ञ उनकी छान-बीन कर रहे हैं ।

विवरण

वायदा बाजार आयोग ने 21-8-71 को दिल्ली में जिन फर्मों पर छापे मारे उनकी सूची ।

1. मे० केशोराम राम कुमार
2. मे० ठाकुर लीलाधर भागजी भाई
3. मे० जगदीश प्रसाद विजय कुमार
4. मे० सतपाल मक्कर और अन्य
5. मे० पावा एण्ड कम्पनी
6. मे० सतपाल रूपलाल
7. मे० सतपाल दूलीचन्द
8. मे० मोतीराम लढाराम
9. मे० चमन लाल मुन्नी लाल
10. मे० दि चेम्बर आफ कलर्स एण्ड केमीकल्स

राजस्थान से पूर्वी राज्यों को नमक की ढुलाई

429. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान से पूर्वी राज्यों को नमक की रेल द्वारा ढुलाई बन्द करने का निश्चय किया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार देश के पूर्वी राज्यों में नमक किन मार्गों से पहुँचा रही है ;

(ग) क्या पूर्वी राज्यों में नमक का भाव बढ़ने की पूरी सम्भावना है यदि इसे रेल के अतिरिक्त अन्य मार्गों से वहां पहुँचाया गया ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार उन राज्यों में नमक के भाव बढ़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम भाई ओझा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पश्चिमी तट तथा तूतीकोरन से कलकत्ता को नमक सामान्य रूप से जहाजों द्वारा भेजा जाता है—जहां से उसे पूर्वी राज्यों के उपभोक्ता क्षेत्रों में फरक्का और गरहारा होते हुए ले जाया जाता है । कुछ नमक पूर्णरूपेण रेल मार्ग से भी ले जाया जाता है ।

(ग) यद्यपि पूर्णरूपेण रेल-मार्ग कुछ सस्ता पड़ता है किन्तु नमक का फुटकर मूल्य प्राय: दोनों स्थितियों में बराबर होता है।

(घ) यदि आवश्यक समझा गया तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यदि आवश्यकता हुई तो अधिक नमक भेजा जायेगा।

हरिजन महिला को अमानुषिक यंत्रणा

430. **श्री अम्बेश** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लोखनपुर गांव की हरिजन महिला श्रीमती बामवती, जिसे नंगा करके एक पेड़ से उल्टा लटका दिया था और जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अमानुषिक यंत्रणा देकर सताया था के सम्बंध में राज्य के सी० आई० डी० द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ये आरोप राज्य की खुफिया पुलिस द्वारा की गई जांच-पड़ताल से साबित नहीं हुए हैं। किन्तु कुछ संदेह है कि अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ हत्या के मामले में पूछ-ताछ के दौरान उसे डराया गया था तथा पीटा गया था और आगे जांच की जा रही है।

ऊटाकमंड में रंगीन फिल्मों के कारखाने की स्थापना

431. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विदेशी कम्पनी के सहयोग से ऊटकमंड में रंगीन फिल्मों का एक कारखाना स्थापित किया जाएगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम भाई ओझा) : (क) और (ख). मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो-फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटकमंड देश में रंगीन फिल्म बनाने के लिए एक विदेशी सहयोगी से पत्र-व्यवहार कर रही है। उक्त कम्पनी से प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण

432. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में कारखाने लगाने की योजना को इस बीच अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम भाई ओझा) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कचार जिले (आसाम) में गिरफ्तार किये गये संदिग्ध व्यक्ति

433. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** **श्री हुकम चंद कछवाय :**
श्री हरी सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य अगस्त, 1971 में एक रेलगाड़ी उड़ा दिए जाने से अब तक आसाम के कचार जिले में कितने संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ख) तोड़फोड़ करने वालों द्वारा ऐसे कार्यों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अगस्त, 1971 के मध्य से विध्वंसकारी होने के सन्देह में जिला कचार में 65 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

(ख) सभी उपचारी उपाय किये जा रहे हैं जिनमें अग्रिम आसूचना एकत्रित करने के लिए प्रबंधों को सुदृढ़ करना, मुख्य संस्थानों तथा महत्वपूर्ण केन्द्रों की रक्षा करना, महत्वपूर्ण स्थानों में प्रवेश को नियमित करना, रेलवे मार्गों तथा मिलाने वाली मुख्य सड़कों पर गश्त लगाना, पाकिस्तानी विध्वंसकारियों को शरण देने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखना इत्यादि शामिल है।

आसाम में सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना

434. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए आसाम के मुख्य मंत्री ने और अधिक वित्तीय सहायता देने तथा "पर्सोनैल" भेजने के लिए केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। वर्तमान स्थिति में असम की सहायता करने के लिए सीमा सुरक्षा कार्यों में नियुक्त "पर्सोनेल" को सुदृढ़ करने समेत विभिन्न उपाय किये गये हैं।

इस सम्बंध में अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिये मुख्य मंत्री का अनुरोध विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना

435. **श्री एम० एम० जोजफ :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री विश्वनारायण शास्त्री :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना के बारे में कोई निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता कितनी होगी और विदेशी सहयोग कर्ताओं से किस प्रकार की तकनीकी सहायता ली गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कार्यपालिका के कृत्यों और सिविल कर्मचारियों के सम्बन्ध में मन्त्रियों का उत्तरदायित्व

4 6. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मामले के सम्बन्ध में अक्तूबर 1971 में पश्चिम बंगाल की फैडरेशन आफ एसोसिएशन आफ इंजीनियर्ज एण्ड टेक्नीकल आपरेसर्ज ने मांग की थी कि केन्द्र को इस मामले के ब्यौरे को प्रकाशित करना चाहिये तथा कार्यपालिका के कृत्यों और सिविल कर्मचारियों के सम्बन्ध में मंत्रियों के उत्तरदायित्वों और उनके अधिकारों की सीमाओं सम्बन्धी सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से वर्णित करना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार द्वारा इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिक्ख होमलेंड की कथित मांग

438. **श्री एम० एम० जोजफ**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्टर तारा सिंह के अकाली दल की कार्यकारिणी समिति ने अक्तूबर, 1973 में अपने संकल्प में मांग की थी कि सिक्ख होमलैंड की तुरन्त स्थापना की जाए ताकि वे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक अस्तित्व को बनाये रख सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट देखी है। पंजाब सरकार से पूर्ण तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

पंजाब में नक्सलवादियों की हिंसात्मक गतिविधियां

439. **श्री हरीसिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पंजाब में नक्सलवादियों और उग्रवादियों की हिंसात्मक गतिविधियों की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन्हें रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

गृह मन्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकार पंजाब में नक्सलवादियों तथा उग्रवादियों की गतिविधियों को पूरी तरह समझती है। कई उग्रवादी नेता गिरफ्तार किये गये हैं और कुछ अन्य नेताओं की, जो छुपे हुए हैं, गिरफ्तारी के प्रयत्न जारी हैं।

मंत्रियों का आडम्बर पूर्ण रहन-सहन

440. **श्री दशरथ देव :**

श्री राजदेव सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को इस आशय का कोई परिपत्र प्रेषित किया था जिसमें आडम्बरपूर्ण विवाहों तथा जन्म दिवस समारोह आदि के आयोजन कदापि न करने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). विवाहों इत्यादि पर अपव्यय के बारे में भारी संख्या में पत्र प्राप्त होने पर प्रधान मन्त्री ने जून, 1971 में विवाहों पर आडम्बरों से बचने की आवश्यकता पर बल देते हुये महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों तथा केरल और बिहार की विधान सभाओं में कांग्रेस दल के नेताओं को पत्र भेजे थे। प्रधान मंत्री समय-समय पर सभी प्रकार के अपव्ययों से बचने की आवश्यकता पर भी बल देती रही हैं।

शरणार्थियों के बीच पाये गये जासूसों की गिरफ्तारी

441. **श्री डी० पी जदेजा :**

डा० लक्ष्मीनारायण पांडे :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1971 तक शरणार्थियों में कितने जासूसों का पता लगाया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया ; और

(ख) उन जासूसों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). प्राप्त सूचना के अनुसार त्रिपुरा को छोड़कर आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैण्ड, उड़ीसा तथा पंजाब राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। शेष राज्यों तथा त्रिपुरा के सम्बन्ध में सूचना अभी आनी है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में एक सुविख्यात कवि और कथित नक्सलवादी नेता की गिफ्तारी

442. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि सुविख्यात कवि और कथित नक्सलवादी नेता, श्री सरोज दत्त को हाल ही में पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके बारे में उसके पश्चात् कोई सूचना नहीं मिली है ;

(ख) क्या माननीय मंत्री को उनकी पत्नी से अथवा उनकी पत्नी की तरफ से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें यह भय व्यक्त किया गया कि श्री दत्त की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई है ; और

(ग) सरकारी तौर पर सही जानकारी दी जा कर ऐसे समाचारों का शीघ्र स्पष्ट न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रेस रिपोर्ट देखी हैं।

(ख) और (ग). श्रीमती बेला दत्त से एक पत्र प्राप्त हुआ है । पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सरोज दत्त की प्रतिवेदित गिरफ्तारी अथवा मृत्यु की पुष्टि करने के लिये उनके पास कोई सूचना नहीं है।

लघु स्तर पर ट्रांजिस्टर बनाने वाले कारखानों का बन्द किया जाना

443. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत कड़ी प्रतियोगिता के कारण ट्रांजिस्टर बनाने वाले अधिकांश छोटे निर्माताओं को अपने कारखने बंद करने पड़ेंगे ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) और (ख). लघु उद्योग सेक्टर में ट्रांजिस्टर रेडियो का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ रहा है। 1970 में इसकी संख्या 11 लाख रेडियो सेट्स तक पहुँच गयी जबकि 1965 में केवल 3.1 लाख थी। संगठित तथा लघु उद्योग सेक्टर में रेडियो का उत्पादन 1965 से 1970 तक निम्न प्रकार है।

उत्पादन वर्ष	संगठित सेक्टर में उत्पादन (लाखों में)	लघु उद्योग सक्टर में उत्पादन (लाखों में)	योग (लाखों में)	लघुउद्योग में उत्पादन का प्रतिशत
1965	5.8	3.1	8.9	34.8 %
1966	7.1	3.9	11	35.5 %
1967	8.5	4.5	13	34.6 %
1968	13.8	7.5	21.3	35.2 %
1969	17.3	9	26.3	34.3 %
1970	17.8	11	28.8	37.9 %

लघु उद्योग सेक्टर से इस बात की शिकायत मिली है कि उन्हें संगठित सेक्टर की स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस लघु उद्योग सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं।

1. संगठित-सेक्टर द्वारा निर्मित 165/- रुपये के सेट या उससे कम कीमत के सेट पर उन्हें 10/- रुपये उत्पादन शुल्क देना होगा जबकि लघु उद्योगों को इस महसूल से छूट दे दी गई है।

2. लघु उद्योग यूनिटों को अपने पिछले उत्पादन की अपेक्षा 50 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति दे दी गयी है जिससे वे आयात हकदारी का निश्चय कर सकें।

3. सरकार अपनी रेडियो आवश्यकताओं को लघु-उद्योगों से खरीद कर पूरी कर रही है।

सरकार यह भी विचार कर रही है कि और किन साधनों से लघु उद्योग-सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाय।

इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के अनुसार ऐसी लघु उद्योग सेक्टर को रेडियो के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है जिसका सम्बन्ध किसी बड़ी कम्पनी या विदेशी फर्म से नहीं है। इस प्रयोजन के लिये मूल-पूंजी 1 करोड़ से कम है तथा आयात करने वाले आवश्यक संयंत्र, मशीनरी तथा घटकों का मूल्य निर्धारित सीमा से कम है।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथायें अधिनियम के लागू किये जाने के पश्चात् एकाधिकार गृहों को दिए गए लाइसेंस

444. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथायें अधिनियम बन जाने के पश्चात् एकाधिकार गृहों को कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये ;

(ख) इन लाइसेंसों को देने का औचित्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित कर रखी है जिसके आगे किसी औद्योगिक गृह को बढ़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम भाई ओझा) : (क) औद्योगिक गृहों की अथवा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों को दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों की कुल संख्या जिन पर प्रथम दृष्टया एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथायें अधिनियम, 1969 के उपबन्ध लागू होते हैं इस अधिनियम के प्रारम्भ होने अर्थात् 1 जून, 70 से 23 अक्तूबर 71 तक 187 हैं, जिनमें से 105 लाइसेंस जो काम चालू रखने तथा केवल 52 लाइसेंस नए उपक्रम स्थापित करने तथा विद्यमान क्षमता का विस्तार करने के विविधकरण के लिए हैं।

(ख) से (घ). जैसी कि फरवरी 1970 में भारत सरकार ने संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति निरुपित की गई थी उसके अनुरूप प्रत्येक मामले में लागू प्रक्रिया अपनाये जाने के के बाद ही गुणावगुणों के आधार पर लाइसेंस दिए जाते हैं।

कारों का स्तर

445. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों का निर्माण करने वाले तीनों गैर-सरकारी कारखाने बार-बार जोर देकर कहे जाने पर भी कारों के स्तर में कोई सुधार नहीं कर सके हैं ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्यामभाई ओझा) : (क) और (ख). सरकार ने जुलाई, 1967 में कारों के गुण प्रकार (क्वालिटी) में गिरावट के कारणों की जाँच करने और सुधारात्मक अभ्युपाय करने के लिए सुझाव देने हेतु मोटर कार क्वालिटी इन्क्वायरी कमेटी नामक एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की थी। समिति ने कारों की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कई सिफारिशों की, अनुपालन के लिए कार निर्माताओं को इनसे सूचित कर दिया गया है। अनुपालन का सुनिश्चय करने के लिए इन सिफारिशों में से अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों के बारे में कार निर्माताओं को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 16 के अन्तर्गत कानूनी निर्देश भी जारी किये गये थे। समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कार निर्माताओं और मोटरगाड़ी और सहायक सामान संघ को निर्देश जारी किया गया था कि वे अपनी खरीद की वस्तुएं आई०एस०आई० प्रमाणीकरण चिन्ह वाली कम्पनियों से प्राप्त करें। इन उपायों के बावजूद भी कारों की क्वालिटी में कोई प्रशंसनीय सुधार नहीं हुआ है किन्तु शिकायतों की संख्या में कुछ कमी हुई। इसका मूल कारण कार निर्माताओं में क्वालिटी के प्रति सजगता का अभाव है क्योंकि संरक्षण प्राप्त और बेचवाल बाजार में उनका कार्य चलता है।

उड़ीसा के पिछड़े जिलों का विकास

447. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री मैसूर के तुमकुर जिले में उद्योग स्थापित करने के बारे में 22 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2754 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के पिछड़े जिलों के औद्योगिक विकास के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ख) वहां पर किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्यामभाई ओझा) : (क) और (ख). कुछ उपबन्धों के अधीन पूरे देश से चुने हुए पिछड़े जिलों में नये उद्योग स्थापित करने हेतु 10 प्रतिशत विनियोजन अनुदान के लिए अलग राशि की व्यवस्था की गई है। उड़ीसा के दो पिछड़े जिलों कालाहन्डी और मयूरभण्डी में स्थापित किये जाने वाले उद्योग भी 10 प्रतिशत विनियोजन सहायता के हकदार होंगे बशर्ते वे इस योजना के अन्तर्गत आते हों। इसके अलावा उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में लगाये जाने वाले उद्योगों को उद्योग अधिनियम के अधीन लिखने वाले राज्य सहायता के अन्तर्गत, राज्य सरकार भी प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक सहायता दे रही है।

उड़ीसा के निम्नलिखित पिछड़े जिलों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती दर पर आर्थिक सहायता भी उपलब्ध है :—

बोलंगीर, मयूरगंज, धेन्कानल, कालाहन्डी,
बालासोर, कुर्भार, कोरामुट और फुलमानी।

राज्य सरकार ने बालासोर, कोरापुट, कालाहन्डी और बोलंगीर जिलों का उनकी औद्योगिक क्षमता का पता लगाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण किया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भी राज्य का सर्वेक्षण किया है और रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। ऐसी आशा की जाती है कि राज्य की एजेन्सियां और उद्यमी लोग इन सर्वेक्षण रिपोर्टों का लाभ उठायेंगे और उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करेंगे।

Stagnation in Central Secretariat Stenographers' Service

448. **Dr. Sankata Prasad** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) wheeher the Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service in the grade of Rs. 210-530 are not permitted to take any competitive examination for promotion and there is stagnation in this grade ;

(b) whether Government are considering any measures for removing stagnation in this grade ; and

(c) if so, the steps so far taken in matter and in case no steps have been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c). The Central Secretariat Stenographers' Service at present consists of the following 4 grades :

	Rs.
Grade III	130-280
Grade II	210-530
Grade I	350-770
Selection Grade	350-900

All posts in Grade I snd Selection Gaade of the Service are filled by promotion from the lower grade on the basis of merit with due regard to seniority. No provision exists at present to fill any percentage of the posts in Grade I/Selection Grade through a departmental competitive examination.

The Central Secretariat Stenographers Service has been reorganised with effect from 1st August, 1969 as a result of which the promotion prospects of members of the Service have been improved by upward revision of Grade I scale, increase in the number of Grade I posts nnd introduction of a Selection Grade.

देश में परमाणु संयंत्रों की स्थापना

449. **श्री बी० के० दासचौधरी** : **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में परमाणु संयंत्र स्थापित करने के लिए स्थानों के बारे में निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो जहाँ यह केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं उन स्थानों के नाम क्या हैं और यह केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री, तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी विद्युत क्षेत्रों में परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों का चुनाव करने के उद्देश्य से एक स्थल चयन समिति नियुक्त की गई है। इस समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन पेश नहीं किया है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने और उस पर सरकार द्वारा विचार होने के बाद यह निर्णय किया जायेगा कि भविष्य के परमाणु बिजलीघर कहां-कहां स्थापित किये जायें।

स्कूटरों की मांग

450. **श्री बी० के० दास चौधरी :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्कूटरों की मांग और बढ़ी है ;

(ख) यदि हां, तो स्कूटरों की वार्षिक मांग क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा यह मांग पूरी करने के लिये क्या उपाए किये गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, हां। 31-10-71 को स्कूटरों तथा तीन पहियेवाले स्कूटरों के अनिर्णीत आर्डरों की संख्या 4,28,342 है जबकि 31-5-71 को 3,33,927 थी।

(ख) स्कूटरों का वर्तमान वार्षिक मांग का निर्धारण अलग से नहीं किया जाता है। यांत्रिक उद्योगों के योजना दल ने स्कूटरों, मोटर साइकिलों, तीन पहियेवाले स्कूटरों तथा योपेडों आदि की मांग का अनुमान 1973-74 तक प्रतिवर्ष 2;0,000 की संख्या में लगाया है। व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान (एप्लाइड एकोनोमिकरिसर्च) की राष्ट्रीय परिषद ने जिससे स्कूटरों की माँग निर्धारित करने का निवेदन किया था, 1979-80 तक स्कूटरों की मांग 2,43,000 निर्धारित की है।

(ग) स्कूटरों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता 54,000 प्रतिवर्ष है। विद्यमान स्कूटर निर्माताओं की प्रतिवर्ष 1,78,000 की कुल क्षमता का पर्याप्त विस्तार करने की योजनाएं, सरकार के विचार की विभिन्न अवस्थाओं में है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवर्ष 5,34,000 स्कूटरों की कुल क्षमता के 23 आशय पत्र पहले ही जारी कर दिये गये हैं। इसमें राज्य औद्योगिक विकास निगमों की 1,50,000 स्कूटर की कुल वार्षिक क्षमता की सात योजनाएं शामिल हैं। शेष सोलह योजनाएं गैर सरकारी क्षेत्र की पार्टियों की हैं जिनकी कुल क्षमता 3,84,000 स्कूटर प्रतिवर्ष है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिवर्ष 100,000 स्कूटर बनाने के लिए सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में भी एक परियोजना स्थापित करने का है।

ड्राफ्ट्समैन और सर्वेक्षकों की पदोन्नति और भर्ती के निगम

451. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **प्रधान मंत्री** ड्राफ्ट्समैन और सर्वेक्षकों की पदोन्नति और भर्ती के नियमों के बारे में 11 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7641 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). अनेक मंत्रालयों/विभागों से अभी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। अन्य मंत्रालयों/विभागों से ड्राफ्ट्समैन और सर्वेक्षकों की अनुभाग अधिकारी तथा सहायक इंजीनियर के पदों में पदोन्नति के सम्बन्ध में अभी तक प्राप्त सूचना को सभा के पटल पर रखे जाने वाले विवरण में सभाविष्ट किया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी० 1005/71] शेष सूचना को भी यथाशीघ्र सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

साम्प्रदायिक अपराधों के संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल) के लिये विशेष न्यायालय

452. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिक अपराधों के संक्षिप्त विचारण (समरी ट्रायल) के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिये संसद के समक्ष कानून लाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). सरकार का संसद में एक विधेयक लाने का इरादा है जिसमें राज्य सरकारों को साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न अपराधों के शीघ्र बिचारण के लिए ऐसे दंगों से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

कला और साहित्य में अश्लीलता

453. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी और देश के अन्य नगरों में कला और साहित्य में अश्लीलता बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अश्लीलता के विरुद्ध कड़े कानून लागू करेगी और ऐसे प्रकाशकों को सजा देगी जो लाभप्रद व्यापार स्थापित करने के लिए आदमी की कामुक भावनाओं का लाभ उठाते हैं और अश्लील फिल्मों के दिखाये जाने पर कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई है। अश्लील फिल्मों सहित केवल अश्लील साहित्य की बिक्री, परिचालन तथा प्रदर्शन को रोकने के लिए कानून में पर्याप्त उपबन्ध विद्यमान हैं। राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कानूनी उपबन्धों को कठोरता से लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रबन्धों के लिए उत्तरदायी हैं।

Missing Documents Relating to Indo-Pak Border

454. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct an enquiry in connection with the missing of important and secret documents related to Indo-Pak border from the possession of a senior Police officer of Rajasthan Police in Jodhpur ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government in future in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). The State Government have made inquiries into an incident in which a Police official of Rajasthan lost his brief case containing some papers while travelling from Jodhpur to Jaipur to attend a conference, and have found that no classified documents were in the brief case.

Alleged Plot to Murder Prime Minister and other Leaders

455. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any documents indicating a plot to murder the Prime Minister and other senior leaders we recovered at the time of arrest of Shri Shiv Kumar Mishra, a Naxalite Leader of Uttar Pradesh ;

(b) if so, Government's reaction thereto ; and

(c) the names of persons who visited Shri Mishra in the Jail during the last five months ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). According to the information furnished by Government of Uttar Pradesh, to such documents were recovered at the time of arrest of Shri Shiv Kumar Mishra. However, the security arrangements for the Prime Minister and other leaders are reviewed as and when necessary and are strengthened if required,

(c) Information is being collected.

Persons Escaped to Pakistan with Huge Amount from District Barmer Co-operative Bank Rajasthan

456. **Shri Hukam Chand Kachwai** :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct a high level enquiry in the incident in which about 413 persons escaped to Pakistan with an amount of rupees two lakhs approximately from the District Barmer Co-operative Bank, Rajasthan ;

(b) the measures proposed to be taken by Government for the recovery of the amount ;

(c) whether cases have also been registered under the Defence of India and Act against many of those persons who have gone to Pakistan ; and

(d) if so, the time by which an Enquiry Commission in this regard would be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (d). Information is awaited from the Government of Rajasthan and will be laid on the Table of the House.

रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये औद्योगिक विकास

458. **श्री ी० बी० चन्दगौडा :**

श्री के० लकप्पा :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिये औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). देश के आर्थिक विकास प्रक्रिया में औद्योगिक क्षेत्र को एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमारी औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य न केवल औद्योगिक विकास की गति बढ़ाना और उसे अधिकतम करना है जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र के उत्पादन में वृद्धि हो सके अपितु लाखों लोगों के लिये लाभप्रद रोजगार की व्यवस्था करना तथा औद्योगिक विकास प्रक्रिया को देश के अर्थ-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना भी है। सरकार की औद्योगिक तथा लाइसेंसिंग सम्बन्धी नीति इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये पूर्णतया प्रयत्नशील है। सरकार की ये नीतियां सरकार के अन्य सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप एक गतिशील तथा वृहत् औद्योगिक वृद्धि का ढांचा प्रस्तुत करते हैं। औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए 1 करोड़ तक की कुछ शर्तों के अधीन छूट सीमा बढ़ाने की नीति से केवल लघु क्षेत्र का विकास करने के लिए कुछ उद्योग आरक्षित रखने और ऐसे आरक्षणों की सीमा बढ़ाने तथा सहकारी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने से भी औद्योगिक आधार को वृहत् करने तथा रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने में सहायता मिली है।

'सिविल इन्जीनियरों की कमी'

459. **श्री पी० ए० सामिनाथन् :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन्स्टीट्यूट आफ एपलाइड मैन पावर रिसर्च के 8वें वार्षिक प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें संकेत दिया गया है कि वर्ष 1973-74 तक 'सिविल इंजीनियरों' की थोड़ी कमी हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कमी को टालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। इन्स्टीट्यूट आफ एप्लाइडमैन पावर रिसर्च द्वारा अभी हाल में प्रकाशित "भारत में सिविल इंजीनियर भण्डार, मांग तथा पूर्ति सम्बन्धी रिपोर्ट" में समाविष्ट एक मूल्यांकन में कहा गया है कि 1973-74 में 3,000 सिविल इंजीनियर स्नातक फालतू हो जायेंगे और 9,900 डिप्लोमाधारी सिविल इंजीनियरों की कमी हो जायगी। देश में 1973-74 में सिविल इंजीनियरों की 1,50,000 की कुल संख्या की तुलना में लगभग 6,900 की आंशिक कमी होगी। भविष्य में इंजीनियरों की मांग और इंजीनियरी संस्थानों में इन्जीनियरी नामनिवेश के लक्ष्यों की सरकार द्वारा लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है जिससे समय रहते उपचारी उपाय किए जा सकें।

Assistance to Small and Medium Industrial Units in Backward Districts

460. **Shri G. P. Yadav :** **Shri P. Narasimha Reddy :**
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether any plan has been chalked out for giving grants or assistance to the newly started small and medium industrial units in the backward Districts of the country ; and

(b) if so, the main features thereof and the action being taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyambhai Oza) : (a) and (b). A scheme in consultation with the Planning Commission and the State Governments has been drawn up and announced. According to this scheme, certain districts/areas have been selected for the grant of a Central subsidy amounting to 1/10th of the fixed capital investment of new units with fixed capital investment not exceeding Rs. 50 lakhs. The details of the scheme have been published in the Gazette Extraordinary dated the 26th August, 1971.

A transport subsidy for new units to be set up in Jammu and Kashmir, Nagaland, Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura and NEFA has also been announced on 27th July, 1971. This subsidy will be available for the transport of raw materials and finished goods produced in the units to be located in these areas.

Finance at concessional rates is available for industries to be set up in about 200 selected districts designated as backward.

Besides, Government are also operating a rural industries projects programme for small industries in different backward areas.

Arrears of Telephone Dues

461. **Shri G. P. Yadava :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total amount of arrears in respect of telephone dues during the last year and on the 1st November this year and the amount of arrears of telephone dues out of this outstanding against Government ; and

(b) the steps taken in this regard and results thereof ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The arrears as on 1-7-70 for bills issued upto 31-3-70 were of the order of Rs. 6.78 crores and those on 1-7-71 for bills issued upto 31-3-71 Rs. 6.28 crores. Their break up of the arrears is as below :

Arrears as on	Govt.	Private
1-7-70	3.49	3.29
1-7-71	2.33	3.95

Information regarding outstandings on 1st November, 1971 is not yet available.

(b) Telephones of defaulting subscribers (barring the telephanes of exempted category) are disconnected. Efforts to realise the outstandings are made by correspondence and personal contacts. In the case of Private subscribers whose connections have been closed, legal action is also reported to wherever necessary.

संकटकालीन स्थिति की घोषणा करने का प्रस्ताव

462. **श्री पी० वेंकटसुब्बया :**
श्री पी० एम० मेहता :
श्री पी० गंगा देव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर तनाव पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए संकटकालीन स्थिति की घोषणा करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या देश के किसी भाग में संकटकालीन स्थिति घोषित करने के किसी प्रस्ताव पर भी विचार किया गया था, और यदि हां, तो इसमें अन्तर्निहित बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकार स्थिति का लगातार पुनरावलोकन करती रहती है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए आवश्यकता पड़ने पर वह सभी उपयुक्त कार्यवाहियां करेगी ।

(ग) संविधान के अधीन किसी राज्य अथवा किसी क्षेत्र में अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत संकटकालीन स्थिति की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है, बल्कि समस्त देश के लिए ही की जा सकती है ।

Telegraph and Telephone facilities at Sahu Parbatta Village in Bhagalpur District (Bihar)

463. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a post office exists in Sahu Parbatta a village in Bhagalpur District of Bihar and whether residents of that area have been demanding telegraph and telephone facilities since long ; and

(b) if so, whether Government would provide telegraph and telephone facilities in the aforesaid village ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) An extra departmental branch post office exists at Sahuparabata in District Bhagalpur (Bihar). The residents of Sahuparbata have represented for provisions of telegraph and telephone facilities in September, 1971.

(b) The proposal to provide telegraph and telephone facilities at Sahuparbata is being examined. Necessary action will be taken on the basis of feasibility in accordance with the assessed policy of the department on the subject.

Setting up of Industries in Ratlam and Jhabua Districts (Madhya Pradesh)

464. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether several proposals for setting up industries in Ratlam and Jhabua Districts in Madhya Pradesh are under considerations of Government ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyambhai Oza): (a) and (b). Industries set up in Jhabua will be eligible for concessional finance from financial institutions as Jhabua is one of the backward districts selected for this purpose in Madhya Pradesh. Ratlam is however included in the list of backward districts. It is expected that the State agencies will take advantage of the concessions offered and set up industries in the backward districts of Madhya Pradesh as also in Ratlam. At present, the Ministry of Industrial Development does not have any proposal to set up industries in Ratlam and Jhabua districts.

मंत्रियों की आय और आस्तियों की विवरणियां

465. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय मंत्रियों ने अपनी आय और आस्तियों की विवरणियां नियमित रूप से उन्हें प्रस्तुत नहीं की हैं ; और

(ख) ऐसे केन्द्रीय मंत्रियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत पांच वर्षों में मंत्री पद पर नियुक्ति के पश्चात् अपनी आय और आस्तियों की विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मंत्री, तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). केन्द्रीय मंत्रीगण अपनी आय और आस्तियों की विवरणियाँ, जैसा कि मंत्री-आचार-संहिता में अपेक्षित है, बहुधा नियमित रूप से प्रस्तुत करते रहे हैं । वर्तमान मंत्रि परिषद के कुछ सदस्यों ने, जिन्होंने इस वर्ष की विवरणियां नहीं भेजी हैं, सूचित किया है कि वे शीघ्र ही इन्हें प्रस्तुत कर देंगे ।

सरकार द्वारा पुराने नियमों का पुनर्विलोकन

466. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आल इंडिया कन्फडरेशन आफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट आफिसर्स ऐसोसिएशन द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार पुराने नियमों का पुनर्विलोकन करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). प्राय: नियम तथा विनियमों पर लगातार संवीक्षा की जा रही है और उनमें पाई गई कमी या त्रुटियों को आवश्यक संशोधन करके तुरन्त सुधारा जाता है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में संयुक्त परामर्श तथा माध्यस्थ व्यवस्था योजना के अधीन स्थापित राष्ट्रीय परिषद् द्वारा केन्द्रीय सेवाएं (आचार) नियम, 1964 के कुछ नियमों की कार्य-प्रणाली के प्रश्न पर भी विचार किया गया था और अब आचार नियमों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विषय को परिषद् की समिति के पास रिपोर्ट के लिये भेजा गया है।

The Avantika, A Hindi Daily

467. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Ninister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 352 on the 26th May, 1971 and state the date on which publication of the Avantika, a Hindi Daily was started, the present capital invested therein and the names of its owners and partners as also the share capital of the partners at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : The Hindi Daily AVANTIKA commenced publication on 14.1.68. According to the Annual Statement for 1970, submitted by the publishers to the Registrar of Newspapers, the owners and partners of the Daily are :

1. Shri Goverdhan Lal Mehta
2. Shri Ram Chand Shrimal
3. Shri Gopal Mehta

} Holding equal shares.

The total capital invested is not known as the newspaper is not required to furnish this information under the law. The information about the value of the equity capital held by each of the shareholders is, however, being obtained and will be placed on the Table of the House.

योजना आयोग के कृत्यों का पुनर्निधारण

468. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने योजना बनाने, कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और उनके मूल्यांकन के सम्बन्ध में अपने कृत्यों का पुनर्निधारण करने का प्रयास करने के लिए हाल में कई बैठकें बुलाई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). योजना आयोग एक ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रहा है जिससे परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन, चुने हुये क्षेत्रों में प्रगति के पर्यवेक्षण तथा सूचना-प्रणाली के गठन से सहायता मिले। इस काम के लिए संचालन दलों (स्टियरिंग ग्रुप्स) तथा कार्यकारी दलों का गठन किया गया है। समुचित तंत्र की व्यवस्था तथा निर्धारण करने के लिये इनके दलों की अनेक अनौपचारिक बैठकें हो चुकी हैं। अभी काम जारी है।

मनीआर्डरों की जालसाजी को रोकने के लिए कार्यवाही

469. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीआर्डरों की जालसाजी को रोकने के लिये हाल ही में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस प्रकार की जालसाजी का स्वरूप क्या होता है और इसके लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) ये धोखाधड़ी के मामले बोगस मनीआर्डर जारी करने और उनका भुगतान करने से सम्बन्धित हैं जिन्हें जाली मुहरें आदि इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है और पारेषण के दौरान इन्हें असली मनिआर्डरों के बंडलों में चोरी-छिपे रख दिया जाता है। इस तरह के मनी-आर्डर की रकम भी ऐसे जालसाज या उनके एजेंट प्राप्त करते हैं।

मनीआर्डरों के सभी तरह के धोखाधड़ी के मामलों से बचने के लिये जिनमें उपर्युक्त प्रकार के मामले भी शामिल हैं, निगरानी सख्त करने और मनीआर्डरों को सूची में दर्ज करने और उनका लेखा रखने की कार्यविधि पर कड़ाई से अमल करने के लिये कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा डाकघरों/रेल डाक-सेवा कार्यालयों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर कड़ी निगाह रखी जा रही है, क्योंकि ऐसी धोखाधड़ी के पीछे आम तौर पर ऐसे बाहरी व्यक्ति होते हैं जो विभागीय कर्मचारियों की सांठ-गांठ से ऐसा काम करते हैं।

राज्य स्तर पर योजना निकायों की स्थापना

470. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य योजना आयोग स्थापित करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के अनुरूप कुछ अन्य राज्यों ने भी राज्य-स्तर पर योजना निकाय स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो ऐसी कार्यवाही करने हेतु राज्यों पर जोर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि योजना बनाने का कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सके ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). अधिकांश राज्यों में विभिन्न प्रकार के योजना संगठनों की स्थापना हो चुकी है परन्तु ये तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित राज्य योजना आयोग के ढाचे के समान नहीं हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार जिस प्रकार तमिलनाडु सरकार ने योजना-तंत्र की स्थापना कर दी है, उसी प्रकार अन्य राज्यों से भी अन्य बातों के साथ-साथ, अपने यहां दक्ष योजना संगठनों की स्थापना कर अपने-अपने योजना-तंत्रों को सुदृढ़ करने के लिए अनुरोध किये जाने पर कुछ राज्यों ने ऐसा करने की इच्छा व्यक्त की है परन्तु इस सम्बन्ध में उन्हें अभी अंतिम रूप से निर्णय करना है।

(ग) उच्च-स्तर पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार योजना संगठनों की स्थापना करें। उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया है कि इस सम्बन्ध में उन्हें जिस प्रकार की भी सहायता की आवश्यकता होगी वह योजना आयोग द्वारा उन्हें दी जायेगी। कई राज्यों से सूचना मिली है कि वे इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। योजना आयोग इस दिशा में प्रयास करता रहेगा।

दिल्ली में नागरिक सुरक्षा उपाय

471. **श्री शशि भूषण** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली ने नागरिक सुरक्षा को क्रियाशील बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) युद्ध के भारी खतरे को दृष्टिगत रखते हुए लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिये क्या योजनायें बनाई गई हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली में नागरिक सुरक्षा परिषद नहीं है। फिर भी दिल्ली प्रशासन ने सितम्बर, 1971 में मुख्य कार्यकारी पार्षद की अध्यक्षता में एक नागरिक सुरक्षा समिति का गठन किया था। अन्य लोगों के अतिरिक्त इसके सदस्य नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, दिल्ली उप-क्षेत्र के कमान्डर तथा दिल्ली छावनी प्रमण्डल के कार्यकारी अधिकारी सम्मिलित हैं। इस समिति के मुख्य कार्य संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नागरिक सुरक्षा संगठन से संबधित मुख्य समस्याओं तथा नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में तुरन्त निर्णय लेना और दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न एजन्सियों या विभागों को विभिन्न नागरिक सुरक्षा प्रबन्धों की जिम्मेवारी सौंपना है। इस समिति के कार्यों को बढाने के लिये उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में 12 नवम्बर, 1971 को एक नागरिक परिषद का गठन किया गया है जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य हैं और उसके कार्यों में एक कार्य नागरिक सुरक्षा के उपायों में लोगों का सहयोग प्राप्त करना भी है।

(ख) नागरिक सुरक्षा के प्रयोजन से दिल्ली को 17 क्षेत्रों में विभाजित किया है और प्रत्येक क्षेत्र एक उप क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट के अधीन रखा गया है। ये अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा उपायों का कार्यरूप देने तथा इस हेतु लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिये उत्तरदायी है। नागरिक सुरक्षा निदेशक तथा नियंत्रक भी समय-समय पर विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों से नागरिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए मिले हैं। नागरिक सुरक्षा की एक उप समिति स्थापित की गई है जो मुख्यत: नागरिक सुरक्षा उपायों में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिये है।

दिल्ली नागरिक परिषद्

472. **श्री शशि भूषण** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'दिल्ली नागरिक परिषद्' की स्थापना दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई है ;

(ख) यदि हां, तो परिषद् का गठन और इस के कार्य क्या हैं ; और

(ग) परिषद् पर होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिये सरकार ने कौन से वित्तीय प्रबन्ध किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी की गई परिषद के गठन तथा कार्यों के बारे में अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1006/71**]।

(ग) दिल्ली प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा स्वीकृति परिषद के व्यय को वहन करेगा।

जादवपुर (पश्चिमी बंगाल) में जय इंजीनियरिंग वर्क्स के एक कर्मचारी की हत्या

473. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जय इंजीनियरिंग वर्क्स का एक कर्मचारी श्री जमुना ठाकुर, 6 अक्तूबर 1971 को जादवपुर, 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में फैक्टरी क्वाटर्स के अन्दर समाज विरोधी तत्वों द्वारा उस पर गोलियां चलाकर निर्दयतापूर्वक मार दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 6 अक्तूबर, 1971 को जय इंजीनियरिंग वर्क्स के मजदूर श्री जमुना ठाकुर को उसके मकान के अन्दर एक उछलती हुई गोली लगी और यह घटना अन्तर दलीय हिंसात्मक झगड़े के परिणामस्वरूप हुई थी, जो उस क्षेत्र में हुआ था। उसे एम० आर० बंगुर हस्पताल में भेज दिया गया था जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जादवपुर पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत एक मुकदमा आरम्भ किया गया और जांच पड़ताल की जा रही है।

गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षमता का कम उपयोग

474. **श्री राम कंवर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान औद्योगिक क्षमता कम उपयोग के विषय में 5 सितम्बर, 1971 के 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) देश के गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षमता का कितना कम उपयोग किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक क्षमता के कम उपयोग होने के कारणों की कोई जांच कराई है ; और

(घ) क्या औद्योगिक क्षमता के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है अथवा की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** — 1007/71].

(ग) और (घ). अधिष्ठापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग न किये जाने के कारण प्रत्येक उद्योग में अलग-अलग है। उन उद्योगों की समस्यायों पर जिनमें अधिष्ठापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है सरकार बराबर ध्यान दे रही है और विभिन्न उद्योगों में अधिष्ठापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए सभी सम्भव अभ्युपाय बरते जा रहे हैं। अपनाये गये कुछ अभ्युपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) उद्योगों में काम आने वाले कच्चे माल पुर्जों के आयात को पर्याप्त उदार बना दिया गया है विशेषकर इस्पात के आयात को काफी उदार बना दिया गया है।

(2) पूंजीगत माल की मांग पुनः यथा सम्भव बढ़ाने के लिये विभिन्न विकास कार्यक्रमों का पुनरावलोकन किया गया है।

(3) कुछ शर्तों के अधीन औद्योगिक उपक्रमों को अपनी लाइसेंसिंग क्षमता के 25 प्रतिशत तक बिना औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए नई वस्तुओं के उत्पादन द्वारा विविधीकरण लाने की स्वीकृति दे दी गई है। संशोधित लाइसेंसिंग नीति में भी यह छूट कुछ परिवर्तनों के साथ देने की व्यवस्था की गई है।

(4) अनुसूचित बैंकों द्वारा उत्पादन एककों की अग्रिम राशि देने की भी व्यवस्था कर दी गई है।

Reports Submitted by A.R.C.

475. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the total number of reports submitted to Government by the Administrative Reforms Commission and the number out of them on which decisions have been taken and the time by which decisions would be taken on the remaining ones ; and

(b) the details of the decisions taken ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). The Administrative Reforms Commission submitted 20 reports.

A statement showing the decisions taken on the recommendations contained in the following 8 reports and the stages of implementation of those decisions was laid on the Table of the House on the 31st July, 1970 :

1. Problems of redress of ditizens' grievances.
2. Machinery for planning (Interim report).
3. Machinery for planning (Final report).
4. Public sector undertakings.
5. Finance, accounts and audit.
6. Economic administration.
7. Central direct takes administration.
8. The Machinery of the Government of India and its procedures of work.

At that time itself, decisions on all the recommendations in the interim report on the Machinery for Planning had been taken and implemented.

A similar statement embodying further developments in respect of 7 of the above (*i e.* excluding the interim report on Machinery for Planning) and 6 more reports is enclosed. [*Placed in Library. See* No. L.T.—1008/71].

The pending recommendations in respect of these 13 and the remaining 6 reports are at different stages of consideration. It is not possible to indicate the time by which the decisions on them would be taken.

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए पश्चिम बंगाल के अनिर्णीत आवेदन पत्र

476. **डा० सरदीश राय** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग स्थापित करने या उनका विस्तार करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पश्चिम बंगाल से प्राप्त कितने आवेदन पत्र सरकार के पास अनिर्णीत पड़े है ;

(ख) इन लाइसेंसों की मंजूरी न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का उन्हें तुरन्त मन्जूरी देने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम भाई ओझा) : (क) 1-11-1971 को पश्चिम बंगाल में नये उपक्रमों की स्थापना करने तथा वर्तमान एककों में विस्तार करने के अनिर्णीत पड़े आवेदनों का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

	1967	1968	1969	1970	1971	योग
					(31-10-71 तक)	
नये उपक्रम	—	—	1	7	30	38
पर्याप्त विस्तार	1	1	5	7	27	41
योग	1	1	6	14	57	79

(ख) तथा (ग). औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्रों की काफी विस्तार से जांच किया जाना आवश्यक है और कई कारणों से, जिसमें विभिन्न मन्त्रालयों से परामर्श भी शामिल है, किसी विशेष आवेदन पत्र के निपटारे में प्रायः विलम्ब हो जाता है। इनमें से कुछ मामलों में तो सभी बातें नहीं दी गई होती हैं और अतिरिक्त जानकारी मंगानी पड़ती है। अन्य कुछ मामलों में उद्योग पर नीति सम्बन्धी निर्णय लेना होता है । फिर भी, सरकार, अनिर्णीत आवेदनों का शीघ्र निपटारा करने के लिये हर सम्भव कदम उठा रही है और इस मामले पर निरन्तर विचार किया जा रहा है।

अहमदाबाद के प्रयोगात्मक भू-उपग्रह केन्द्र में परिवर्तन

477. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के प्रयोगात्मक उपग्रह भू-केन्द्र में कुछ परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीका के नेशनल एयरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किये गये समझौता-ज्ञापन के अन्तर्गत उपग्रह की सहायता से किये जाने वाले शैक्षिक दूर दर्शन परीक्षण को करने के लिये इस केन्द्र की मुख्य भू-स्थित केन्द्र के रूप में उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से ये परिवर्तन आवश्यक है।

इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा टेलीविजनों का निर्माण

478. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया का विचार 50,000 टेलीविजन सैट बनाने का है जो ग्रामीणों को शैक्षिक तकनीकी जानकारी प्रदान के लिए विभिन्न गांवों के पिछड़े क्षेत्रों में लगायें जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड (इजिल, को इस आशय का एक पत्र नवम्बर 1970 में दिया गया है जिसके अनुसार सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन परिक्षण (साइट) कार्यक्रम के लिये 5000 टेलीविजन का निर्माण किया जायेगा। ये टेलीविजन सैट ग्रामों के अंचल में लगाये जायेंगे। इनमें से 2000 टेलीविजनों में 'फ्रड एण्ड' परिवर्तक लगे होंगे जो कृतिम उपग्रह से सीधा अभिग्रहण प्राप्त करेंगे। ये 'फ्रड एड' हैदराबाद में (इजिल) और अहमदाबाद में इंडियन स्पेस रिसर्च औरगेनाइजेशन के इलैक्ट्रानिक्स सिस्टम डिविजल द्वारा विकसित किये जा रहे हैं।

केरल में अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना

479. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ने इस बीच केरल में अखबारी कागज के कारखाने की वास्तविक क्रियान्विति के बारे में ब्यौरा तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी और इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) इस परियोजना की अन्य मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग). केरल राज्य में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजना वार्षिक 80,000 टन अखबारी कागज बनाए जाने के लिये है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिये एक सविवरण परियोजना प्रतिवेदन नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने तैयार करके अभी ही

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड को दिया है जो उस पर विचार कर रहा है। इस प्रति-वेतन के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ है, इसी बीच परियोजना के कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भिक कदम उठा लिये गये हैं। कच्ची सामग्री के कारखाने के स्तर के परीक्षणों की व्यवस्था की गई है। परियोजना के लिये राज्य सरकार ने मुफ्त भूमि देकर अधिसूचित कर दिया है।

हावड़ा में कॉंग्रेसियों द्वारा कथित उपद्रव

481. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 सितम्बर, 1971 को हावड़ा में कांग्रेसियों द्वारा की गई हत्यायें और उपद्रव की ओर दिलाया गया है जिसमें बहुत से व्यक्ति मारे गये थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो अपराधियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हावड़ा जिले के सिबपुर पुलिस थाने के चौधरी पारा क्षेत्र में ९ सितम्बर, 197१ को उग्रवादियों द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या की गई। अपराधियों को पकड़ने के लिये पुलिस ने शांति दल के सदस्यों की सहायता से उस क्षेत्र की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उग्रवादियों तथा तलाशी दल के बीच कुछ मुकाबला हुआ। पुलिस ने आत्म-रक्षा में गोली चलाई जिसमें कुछ नामी उग्रवादी मारे गये। कुछ पुलिस कर्मचारी तथा शान्ति दल के सदस्य भी बम तथा अन्य हथियारों से जख्मी हुए। घटना के कुछ निश्चित मामले लिये गये हैं और जांच की जा रही है।

कृषि ट्रैक्टर निर्माण कारखानों के लागत ढांचे की जांच

482. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से खेती के ट्रैक्टर बनाने वाले पाँच कारखानों के लागत ढांचे की जांच करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार को रिपोर्ट मिल गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कौन सी सिफारिशें की गई तथा उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिये ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). सरकार ने सितम्बर, 1970 में ब्यूरो से उचित मूल्यों पर, ट्रैक्टर किसानों को बेचे जाने के बारे में सरकार को सलाह देने के विचार से कृषि के ट्रैक्टर बनाने वाले पांच कारखानों के लागत ढांचे की जाँच पड़ताल करने के लिये निवेदन किया था। ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में जो जुलाई, 1971 में प्राप्त हुई, ट्रैक्टरों के उचित बिक्री मूल्य की सिफारिश की और सिफारिश के आधार पर संशोधित बिक्री मूल्य निर्धारित किये गये और सरकार ने अधिसूचना सं० का० आ० सं० 3602 दिनांक 1-10-71 जिसकी प्रति संलग्न है, अधिसूचित किया। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—1009/71**]

आँध्र प्रदेश में स्थित रायल सीमा में भारी उद्योगों की स्थापना

483. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री पी० नरसिम्हरे :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आँध्र प्रदेश में स्थित रायल सीमा के पिछड़े और अकाल पीड़ित क्षेत्र में भारी उद्योगों की स्थापना के लिए कोई उपाय किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश उद्योग विकास निगम ने लाइलोन तथा पोलीएस्टर फिलामेंट धागा बनाने का एक एकक रायल-सीमा क्षेत्र में स्थापित करने तथा आशय पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन कर दिया है। यह प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। दूसरा आवेदन पत्र भी जो एक गैर सरकारी पार्टी द्वारा साबुन बनाने की अर्द्ध परिष्कृत सामग्री तथा संशिष्ट प्रक्षालक निर्माणार्थ एक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्ति के लिये दिया गया है, सरकार के विचाराधीन है। रायल सीमा क्षेत्र में कुछ पिछड़े जिले। भूमि भाग चुन लिए गये हैं जो उन प्रदेशों में नये उद्योगों का विकास करने के लिये केन्द्रीय सहायता तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा आर्थिक रियायतें पाने के पात्र हैं।

समुद्रपारीय संचार सेवा कर्मचारी संघ, कलकत्ता का प्रतिनिधिमंडल

484. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके पास कलकत्ता की समुद्रपारीय संचार सेवा कर्मचारी संघ, द्वारा कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल ने उनके सम्मुख कौन सी बातें रखीं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या कलकत्ता में उपग्रह स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग). मुझसे कोई प्रतिनिधिमण्डल नहीं मिला, किन्तु कलकत्ता में भूमि-स्थित उपग्रह केन्द्र की स्थापना के बारे में विदेश संचार सेवा कर्मचारी संघ, कलकत्ता ने एक अभ्यावेदन भेजा है। पूर्वी क्षेत्र में भूमि-स्थित उपग्रह केन्द्र की स्थापना परियात की आवश्यकताओं तथा साधनों के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगी और इस प्रश्न पर अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान विचार किया जाएगा।

पूर्वी क्षेत्र में फिल्म उद्योग का विकास

485. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में फिल्म उद्योग का विकास करने के लिये सरकार का विचार कलकत्ता में फिल्म डिवीज़न के एक एकक के साथ फिल्म वित्त निगम की एक पृथक शाखा खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और वह किस प्रकार किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). प्रदर्शन तथा वितरण गतिविधियों के आरम्भ हो जाने पर, फिल्म वित्त निगम कलकत्ता में एक पृथक शाखा कार्यालय खोलने के बारे में विचार करेगा।

कलकत्ता में फिल्म डिवीजन का पहले ही एक वितरण शाखा कार्यालय तथा न्यूजरील अधिकारी का कार्यालय है। कलकत्ता से एक साप्ताहिक प्रादेशिक न्यूजरील निर्माण करने के प्रश्न की भी जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में बन्द कारखानों का फिर से खोला जाना

486. **श्री प्रिय रजन दास मुन्शी :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **औद्योगिक** विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने बन्द कारखानों को पुनः खोला गया है ; और

(ख) उनमें से उद्योगवार कितने कारखानें बन्द रहते हैं और उनके बन्द रहने के कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) 30 जून, 1971 से 4 नवम्बर, 1971 की अवधि में 23 एककों को पुनः चालू कर दिया गया था।

(ख) दिनांक 4 नवम्बर, 1971 तक 246 एकक बन्द रहे । उद्योगवार ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है। औद्योगिक एककों के बन्द होने के प्रधान कारण श्रमिक संकट, अर्थसंकट, आर्डरों तथा कच्चेमाल की कमी का होना है।

सिलाई की मशीनों और पंखे बनाने वाले कारखानों का पश्चिम बंगाल से हैदराबाद ले जाया जाना

487. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सिलाई की मशीनें और पंखे बनाने वाले एक कारखाने ने अपने निर्माण एकक के बहुत बड़े भाग को हैदराबाद में स्थानान्तरित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न मैसर्स जय इजींनियरिंग वर्क्स लि० कलकत्ता से सम्बन्धित है। सरकार ने फर्म की अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता का कोई भाग कलकता से हैदराबाद ले जाने की कोई अनुमति नहीं दी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

शिकायतों के प्रकटीकरण के लिए पत्रकार सम्मेलन बुलाने के सम्बन्ध में अधिकारियों के लिए आचार संहिता

488. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च अधिकारियों द्वारा अपनी शिकायतों के प्रकटीकरण के लिए पत्रकार सम्मेलन में भाषण करने या पत्रकारों से औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से मिलने के सम्बन्ध में कोई आचार संहिता बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). केन्द्रीय सिविल सेवा (आचार) नियम, 1964 नियम 9 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, किसी रेडियो प्रसारण या प्रेस में दी जाने वाली किसी सूचना या किसी सार्वजनिक कथन में तथ्य या राय सम्बन्धी कोई ऐसा वक्तव्य नहीं देगा जिसके परिणाम-स्वरूप केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी वर्तमान या हाल की नीति या कार्यवाई की प्रतिकूल आलोचना हो। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए बनाए गए संगत नियमों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है।

राज्यों में नर-बलि के मामले

489. **श्री राजदेव सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु नर-बलि के राज्यवार कितने मामले केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ; और

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार समस्त देश में 1968, 1969 तथा 1970 वर्षों में तथा-कथित नरबलि के मामलों की संख्या 14 थी, राज्यवार तथा वर्षवार अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार हैं:—

	1968	1969	1970
जम्मू तथा काश्मीर	—	1	—
गुजरात	—	—	2
मध्य प्रदेश	1	2	—
उड़ीसा	2	—	1
राजस्थान	1	1	—
उत्तर प्रदेश	2	—	1

(ख) राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि नरबलि के मामलों की वरिष्ट पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में तुरन्त जांच कराई जाय जिससे ऐसे घृणित अपराधों को करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही की जा सके। राज्य सरकारों ने इस बात की पुष्टि की है ऐसे सभी मामलों में कानून के अनुसार कार्यवाही की गई है। आरम्भ की गई हैं।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबधी समिति की सिफ़ारिशें

490. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृति मुख्य-मुख्य सिफारिशें कौन सी हैं ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). अगस्त 1968 में भारत सरकार ने 3 वर्ष की अवधि के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति स्थापित की थी। अन्य कार्यों के साथ इसका कार्य विज्ञान तकनीकी के सम्बन्ध में सरकारी नीतियां निर्धारित और लागू करने तथा इस क्षेत्र में राष्ट्रीय प्राथमिकता के विषयों का निश्चय करने के संबंध में सरकार को सलाह देना था। वह समिति किसी खास मसले पर प्रतिवेदन देने के लिए स्थापित नहीं की गई थी किन्तु समिति ने कई प्रतिवेदन तैयार किये हैं और उसकी अनेकों सिफारिशों को सरकार ने मान भी लिया है। साथ में संलग्न विवरण में समिति द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रतिवेदनों का और सरकार द्वारा स्वीकृत सिफ़ारिशों का ब्यौरा दिया जा रहा है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1010/71]

आनन्द मार्ग संगठन के कार्यालयों पर केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का छापा

491. **श्री सतपाल कपूर** :

श्री अमर नाथ चावला :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आनन्द मार्ग संगठन के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें मिलती रही हैं ;

(ख) क्या 24 अक्तूबर, 1971 को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने आनन्द मार्ग के पटना, दिल्ली, कलकत्ता और रांची स्थिति कार्यालयों पर एक साथ छापा मारा था ;

(ग) यदि हां, तो वहां क्या कागजात और अन्य समान पकड़ा गया ; और

(घ) आनन्द मार्ग के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायतें हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चद्र पन्त) : (क) से (घ). 25 मई, 1971 को रांची में कुछ आनन्द मार्गियों तथा स्थानीय निवासियों के बीच एक झगड़ा हुआ। घटना के संबंध में आनन्द मार्गियों के विरुद्ध तीन मामलों समेत अनेकों मामले दायर किये गये थे। बाद में जून, 1971 में एक व्यक्ति ने सूचना दी कि आनन्द मार्गियों द्वारा बम बनाये जा रहे हैं और आग्नेस्त्र इकट्ठे किये जा रहे हैं। सूचना के आधार पर दो मामले और दायर किये गये थे। बिहार सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच मामलों की जाँच-पड़ताल की जा रही है। जांच-पड़ताल के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नई दिल्ली, वाराणसी, पटना, तथा कलकत्ता में

आनन्द मार्ग संस्थानों की अनेकों तलाशियां ली । परिणाम स्वरूप हथियार, गोलाबारूद विस्फोटक पदार्थ, मनुष्य-खोपड़ी, दस्तावेज इत्यादि बरामद हुए । पटना में श्री पी० आर० सरकार के निवास स्थान की तलाशी में भी ६,233 रु० के नोट भी बरामद हुए जो आयकर प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये हैं । छान-बीन हो रही है ।

आसाम तथा अन्य सीमावर्ती राज्यों में भारतीयों सहित तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानी व्यक्तियों की गिरफ्तारी

492. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री पी० के० देव :
श्री अमरनाथ चावला :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल भारतीय कर्मचारियों सहित तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने वाले पाकिस्तानी व्यक्ति भारी संख्या में गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ख) गत छः महीनों में अब तक कितने पाकिस्तानी तोड़-फोड़ करने वाले व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार असम और मेघालय में 67 व्यक्तियों को तोड़-फोड़ की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने के सन्देह में गिरफ्तार किया गया है । उनमें से 55 भारतीय नागरिक हैं, 10 पाकिस्तानी हैं जबकि शेष 2 व्यक्तियों की नागरिकता की अभी जांच नहीं की गई है । उन मामलों की जिनमें इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है विधि अनुसार जांच की जा रही है । पंजाब, गुजरात, राजस्थान में गत छः महीनों के दौरान तोड़-फोड़ करने वाले किन्हीं संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अन्य सीमावृर्ती राज्यों की सरकारों से सूचना अभी आनी है ।

भारतीय फिल्मों का चोरी-छिपे निर्यात

493. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई के फिल्म निर्माता संघ के अध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि 6 सितम्बर, 71 के पैट्रियट में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय फिल्मों के चोरी-छिपे निर्यात के कारण भारत को 2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है ;

(ख) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस प्रकार के गैर-कानूनी सौदों को रोकने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारतीय फ़िल्मों का चोरी-छिपे कितना निर्यात होता है तथा इसके परिणामस्वरूप ठीक कितनी विदेशी मु ा की हानि होती है, इसके बारे में कोई विश्वस्त सूचना उपलब्ध नहीं है । फिल्मों को चोरी-छिपे ले जाने को रोकने के लिए जो विभिन्न उपाय किये गये हैं उनमें विश्वस्त एवं विविष्ट स्रोतों के माध्यम से गुप्त सूचना एकत्र करना, यात्रियों के सामान पर सतर्क नजर रखना, सड़कों, समुद्रतट तथा अन्य आरक्षित क्षेत्रों और समुद्र में गश्त लगाना शामिल है ।

मुर्शिदाबाद में कृषि मजदूर संघ के अध्यक्ष की हत्या के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

494. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 दिसम्बर, 1971 को रात्रि के साढ़े आठ बजे मुर्शिदाबाद जिले के नवग्राम पुलिस स्टेशन में मारे गये कृषि मजदूर सघ के अध्यक्ष श्री इमान देयन ने अस्पताल में मृत्यु के समय पुलिस को दिये अपने बयान में किन-किन लोगों के नाम बताये थे ; और

(ख) उसकी हत्या के लिये जिम्मेदार उन अपराधियों को जिनके नाम मृतक ने मृत्यु के समय दिये अपने बयान में बताये थे पकड़ने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल में हिंसा निरोधक अधिनियम का प्रयोग

495. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिंसा निरोधक अधिनियम को लागू करने के संबंध में गृह राज्य मन्त्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त द्वारा संसद् में ऐसा आश्वासन दिये जाने के बावजूद कि उक्त अधिनियम केरल राष्ट्र विरोधी तथा समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध प्रयोग किया जायेगा, इसे पश्चिम बंगाल में मजदूरों, मजदूर संघों के सक्रिय कार्यकर्ताओं तथा अन्य प्रजातांत्रिक शक्तियों के विरुद्ध प्रयोग करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि विशुद्ध रूप से मजदूर संघ अथवा राजनैतिक गतिविधियों के लिए किसी भी व्यक्ति को पश्चिम बंगाल (हिंसात्मक गतिविधियां निरोध) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत नजरबंद नहीं किया गया है । अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों की नजरबन्द करने के सभी आदेश लोक व्यवस्था को खतरे में डालने वाले हिंसा के गम्भीर कार्यों को केवल रोकने की दृष्टि से दिये गये थे ।

थुम्बा राकेट स्टेशन में विस्फोट

496. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थुम्बा राकेट स्टेशन (आई० एस० आर० ओ०) में एक विस्फोट हुआ था जिसमें एक कर्मचारी मर गया था और कुछ अन्य घायल हो गये ;

(ख) क्या कोई जांच की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रोनिक मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) जी, हां। 6 सितम्बर, 1971 को राकेट सिलिन्डरों की जांच दाब की स्थिति में करते समय राकेट निर्माण सुविधा, थुम्बा में एक दुर्घटना हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा दो व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये।

(ख) जी, हां। जांच से पता लगा है कि दुर्घटना किसी की लापरवाही के कारण न होकर संयोगवश ही हुई थी। तथापि, जांच समिति ने सुरक्षा सम्बन्धी कुछ उपाय सुझाए हैं जिन्हें कार्य रूप दिया जायेगा।

पाकिस्तानी रेडियो, टेलीविजन तथा प्रेस द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

497. **श्री राम सहाय पांडे** :

श्री अमर नाथ चावला :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में उपद्रव कराने और लड़ाई की तैयारी करने के लिए भारत को दोषी ठहराते हुए अपने रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार-पत्रों में हर प्रकार का भारत-विरोधी प्रचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में और विदेशों में इस प्रचार का प्रतिकार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां।

(ख) सही तथ्यों तथा अपने दृष्टिकोण को भारत तथा विदेशों के श्रोताओं को आकाशवाणी की घरेलू तथा वैदेशिक सेवाओं के अन्तर्गत समाचार बुलेटिनों, न्यूजरीलों, कमेन्ट्रियों तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। आकाशवाणी की वैदेशिक सेवाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त समाचार सेवायें चालू की गई हैं।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों में बेरोजगारी दूर करने हेतु, बजट में की गई व्यवस्था का उपयोग न किया जाना

498. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी दूर करने के लिए 25 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जा सका ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए 1971-72 के केन्द्रीय बजट में 25 करोड़ रुपये के किये गये प्रावधान के अनुसार संबंधित मंत्रालयों ने योजना आयोग द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर योजनायें बनाई थीं। संबंधित मंत्रालय अब योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। योजनाओं पर विचार करते समय योजना आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ये योजनाएं केवल तदर्थ योजनायें नहीं होनी चाहिए बल्कि निरंतर चलने वाली होनी चाहिए। अतएव, अब जो योजनायें स्वीकृत की गई हैं वे चौथी योजना के शेष वर्षों में भी चलती रहेंगी।

संक्षेप में, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत योजनाओं का विवरण इस प्रकार है :—

शिक्षा मंत्रालय

इस प्रस्ताव के अनुसार इस वर्ष प्राथमिक स्कूलों में 30,000 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा निरीक्षकों और कृषि स्नातकों सहित अन्य वर्गों के शिक्षित व्यक्तियों को भी इतनी ही संख्या में रोजगार दिया जायेगा। इस प्रकार इस कार्य पर बारह महीने की अवधि में लगभग 12 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

सिंचाई एवं बिजली मन्त्रालय

क्रियान्वित की जा रही योजना में 500 ग्रामीण अभियान्त्रिकी सर्वेक्षण दलों के गठन का अनुमान है। प्रत्येक दल में इन्जीनियरिंग स्नातक, कृषि स्नातक, मैट्रिक पास व्यक्ति तथा कुछ अकुशल कर्मचारियों सहित 9 व्यक्ति होंगे। इस योजना पर बारह महीनों में लगभग 2.85 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय

इस योजना द्वारा भारतीय तेल निगम के अधीन डीलरशिप गठित करने के लिए बेरोजगार स्नातकों को सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता के रूप में बैंकों द्वारा उद्यमियों को दिये गये ऋण पर अदा किये जाने वाले सूद की पूर्ति के बराबर दी जाती है। युवा इन्जीनियरों को बीज पूंजी के रूप में सहायता देने के लिए मन्त्रालय ने एक आवर्ती निधि की भी कल्पना की है। इस प्रस्ताव पर प्रति वर्ष 40 लाख रुपए खर्च होंगे।

कृषि मन्त्रालय

चुनी हुई उपभोक्ता सहकारी समितियों के फुटकर केन्द्रों के विस्तार के लिए सहकार विभाग ने एक योजना बनाई है जिससे मैट्रिक पास लिपिकों, भण्डागार-सहायकों, लेखाकारों, कोषाध्यक्षों

आदि के रूप में लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस योजना पर 55 लाख रुपये वार्षिक व्यय होने का अनुमान है।

200 कृषि सेवा केन्द्रों के विकास के लिये कृषि विभाग ने एक योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत अभियान्त्री स्नातकों को प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता दी जायेगी। इस योजना पर लगभग 150 लाख रुपये वार्षिक व्यय होगा।

औद्योगिक विकास मन्त्रालय

लघु उद्योगों की स्थापना हेतु प्राविधिक योग्यता वाले लोगों को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से सहायता पहुंचाने का प्रस्ताव है। इसके लिए लगभग 650 लाख रुपये के वार्षिक परिव्यय की व्यवस्था किये जाने की आशा है।

जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय

पांचवी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में किये जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों की जांच के बारे में अग्रिम कार्रवाई करने के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना पर लगभग 90 लाख रुपये वार्षिक व्यय होगा।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय

ग्रामीण जल-आपूर्ति के लिए अच्छी डिजाइन तथा सम्भाव्य परियोजना-शेल्फ बनाने हेतु सभी राज्यों के लिए डिजाइन एककों की स्थापना करने की योजना है ताकि पांचवी योजना अवधि में कार्यान्वयन के लिए सुगठित-परियोजनायें चुनी जा सके। इस स्कीम पर लगभग 48 लाख रुपये वार्षिक व्यय होगा तथा इसके द्वारा लगभग 900 शिल्प वैज्ञानिकों को रोजगार मिलने की आशा है।

इस समय चौथी पचवर्षीय योजना का मूल्यांकन हो रहा है तथा योजना आयोग गम्भीरता पूर्वक और योजनायें तैयार करने का काम कर रहा है ताकि योजना की शेष अवधि में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किये जा सकें।

औद्योगिक विकास में कमी

499. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :**
श्री एच० के० एल० भगत :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास जो 1968 में 7.1 प्रतिशत था 1970 में 4.5 प्रतिशत रह गया और 1971 की पहली छमाही में एक प्रतिशत से भी कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस अत्यधिक गिरावट के कारण क्या हैं ; और

(ग) औद्योगिक विकास में और गिरावट को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या उपचारी उपाय करने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक वर्ष 1970 में 180 8 था, जिसमें, वर्ष 1968 की अपेक्षा वर्ष 1969 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि से तुलना करने पर, विगत वर्ष की अपेक्षा 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1971 (जनवरी-मई) के प्रथम पांच महीनों के उत्पादन की तुलना में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। फिर भी उत्पादन के सूचकांक से जैसे कि वे इस समय हैं ; लघु क्षेत्र या उद्योग के नये और बढ़ते हुए क्षेत्रों, जो औद्योगिक वृद्धि के सूचकांकों की संगणना करते समय हिसाब में नहीं शामिल किये गये थे, के उत्पादन में हुई पर्याप्त वृद्धि का पता नहीं चलता है।

(ख) हाल के महीनों में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि में हुई धीमी प्रगति के कारणों को संक्षेप में नीचे दिया जाता है ;

(क) कपास की कमी, जिससे सूती वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) इस्पात के उत्पादन में गिरावट के कारण इस्पात की कमी ;

(ग) मालगाड़ी के डिब्बों, स्टेशनरी डीजल इन्जन आदि जैसी वस्तुओं की मांग में कमी ;

(घ) कागज, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, और कैल्शियम कार्बाइड जैसे कई महत्वपूर्ण उद्योगों में क्षमता पर संरोध जहां वृद्धि इस कारण सीमित रही कि अधिस्थापित क्षमता सीमित थी ;

(ङ) विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता का अपर्याप्त उपयोग होना विशेष रूप से इन्जीनियरी उद्योगों में, जिसमें इस्पात जैसे कच्चे माल की अत्यधिक कमी थी ; और

(च) श्रम-प्रबंधक संबंध, और औद्योगिक अशांति, जिनसे कुछ उद्योगों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) औद्योगिक उत्पादन दर में सुधार करने के लिए कई उपाय किये गये हैं, नये एककों की स्थापना करने और विद्यमान एककों का विस्तार करने के लिए लाइसेंस क्षमता को तेज कर दिया गया है और आवेदनों पर शीघ्रता से विचार करने के लिए प्रक्रिया को भी सुप्रवाही बना दिया गया है। 1969 में 221 लाइसेंस और 331 आशय पत्र जारी करने की अपेक्षा 1970 में 263 लाइसेंस और 438 आशय पत्र और 3 अक्तूबर, 1971 तक 510 लाइसेंस, 752 आशयपत्र जारी किये गये हैं। उपर्युक्त और विदेशी मुद्रा आदि के कुछ नियंत्रण लगाकर एक करोड़ रु० तक के विनियोजन वाले एककों के लिए (5 करोड़ रु० से कम चल पूंजी वाले एककों के लिए एक करोड़ तक की विस्तार योजनाओं सहित) बिना औद्योगिक लाइसेंस के औद्योगिक एकक स्थापित करने की सुविधा दे देने से अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न हो जाने की सभावना पाई जाती है और जिसके सफल हो जाने पर औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने की आशा है।

पूंजीगत वस्तुओं के लिए लाइसेंस देने की गति को भी तेज कर दिया गया है, जैसा इस तथ्य से स्पष्ट है कि अप्रैल-अगस्त 1971 की अवधि में लगभग 100 करोड़ रुपये की पूंजीगत वस्तुओं के लाइसेंस जारी किये गये थे, जबकि 1970 की इसी अवधि में 55 करोड़ रुपये के लाइसेंस जारी किये गये थे। औद्योगिक कच्चे माल के आयात के लिये लाइसेंस देने में भी

काफी वृद्धि कर दी गई है। आवश्यक कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिए इस्पात के आयात की नीति को विशेषरूप से उदार बना दिया गया है। सितम्बर, 1970 में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के उत्तर में अतिरिक्त इस्पात के आयात करने की जो अनुमति दी गई थी, यह देश में पहले ही आना शुरू हो गया है और इससे आने वाले महीनों में औद्योगिक उत्पादन के बढ़ जाने की आशा की जाती है, इसके अलावा लघु उद्योगों के लिए आयातित कच्चे माल के लिये लाइसेंस देने की नीति को विशेष रूप से उदार बना दिया गया है। उदाहरणार्थ, लघु एककों के लिए 1971-72 में अलौह धातुओं की हकदारी में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई थी। हाल ही में, लघु एककों को अनुमति योग्य नरम इस्पात की सभी किस्मों की आयात में 25 प्रतिशत की अनुमति दे दी गई है।

चौथी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

500. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** **श्री पी० के० देव :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना का अपना मध्यावधि मूल्यांकन प्रकाशित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना प्राथमिकताओं और लक्ष्यों का पुनरीक्षण किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के सम्बन्ध में अनेक अध्ययन तथा व्यावहारिक कदम उठाये जा चुके हैं। प्रगति का पता लगाने, कमियों पर विचार करने तथा सर्वोत्तम सम्भव स्तर तक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपाय सुझाने हेतु योजना आयोग के द्वारा केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ अलग-अलग सिलसिलेवार विचार-विमर्श किया जा रहा है। इस कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारियों द्वारा विशेष अध्ययन किये जा रहे हैं। यद्यपि विस्थापितों की समस्या उत्पन्न हो जाने से हमारे संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ आ पड़ा है तथापि इस बात का हर संभव प्रयत्न किया जायेगा कि कार्यक्रमों, विशेष रूप से जिनमें अधिक रोजगार की सम्भावनायें निहित हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जहां तक सम्भव हो सके योजना को जनता को दिये गये वचनों के अनुरूप ढालने के लिए भी इस अवसर का उपयोग किया जा रहा है। परन्तु जब यह सारा काम पूरा हो जायेगा तब ही अन्तिम स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

फोटो फिल्मों की कमी

501. **श्री एच० के० एल० भगत**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन फिल्मों सहित फोटो सूक्ष्मग्राहीकृत सामग्री की अत्यधिक कमी रही थी ;

(ख) इसकी कुल वार्षिक मांग और उपलब्धता कितनी है ; और

(ग) इसका उत्पादन करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा): (क) जी नहीं, फिर भी, चिकित्सा का एक्सरे फिल्मों की कुछ थोड़ी सी कमी है। रंगीन फिल्में देश में नहीं बनाई जा रही है और उनकी आवश्यकता आयात से पूरी की जाती है। किसी विशेष किस्म को छोड़कर बाजार में रंगीन फिल्में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं।

(ख) वर्ष 1971 में लगभग 108 लाख वर्ग मीटर की कुल मांग में से देशी साधनों से केवल लगभग 55 लाख वर्ग मीटर की ही सप्लाई हुई है। विभिन्न प्रकार की प्रभावोसहिष्णु सामग्री की मांग और वर्तमान सप्लाई के बारे में एक विवरण संलग्न है।

(ग) अतिरिक्त उपकरण लगाकर हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, ऊटकमंड का उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं। आशा है कि देशी उत्पादन और लाइसेंस प्राप्त आयातों/दिये जा रहे लाइसेंसों को मिलाकर यह मांग से अधिक हो जायेगा।

विवरण

प्रभावसहिष्णु फोटोग्राफी सामग्री को 1971 की कुल मांग और पूर्ति निम्न प्रकार है :—

मांग	दस लाख वर्ग मी० में
सिने फिल्म पोजिटिव (वी एंड डब्ल्यू)	2.80
सिने फिल्म निगेटिव (वी एंड डवल्यू)	0.20
सिने फिल्म साउंड (वी एंड डबल्यू)	0.45
मेडिकल एक्सरे फिल्म	1.48
रोल फिल्में	0.54
प्रोट्रेट फिल्म	0.025
ग्रेफिक आर्ट फिल्म	0.52
फोटोग्रेफिक पेपर	4.46
डाकूमेंट कापीइंग पेपर	0.32
	10.795

पूर्ति	दस लाख वर्ग मी० में
सिने फिल्म पोजिटिव (वी० एण्ड डबल्यू)	1.511
सिने फिल्म साउन्ड	0.018
मेडिकल एक्सरे फिल्म	0.295
रोल फिल्म एंड 35 एम एम निगेटिव फिल्म	0.001911
प्रोट्रेट फिल्म	0.000195
ग्रेफिक आर्ट फिल्म	0.001203
फोटोग्रेफिक पेपर	3.658
	5.485309

दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के वेतनमान

502. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). खोसला आयोग की कुछ सिफारिशों पर जिन पर सरकार द्वारा पहले ही निर्णय कर लिये गये हैं, पुनर्विचार करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है । मामले पर यथाशीघ्र निर्णय किया जायगा ।

दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास योजनायें

503. **श्री एच० के० एल० भगत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिस कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार ने आगामी दो वर्षों के लिए कोई योजनाएं बनायी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तात्कालिक योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य पूरा किया गया है :

श्रेणी-3	श्रेणी-2	श्रेणी-1
128	813	1882

तात्कालिक योजना का द्वितीय चरण प्रगति पर है। इस कार्यक्रम में 20 योजनाएं हैं और 429 रिहायशी एकक बन कर तैयार हो गये हैं, 732 निर्माणाधीन है और आने वाले दो वर्षों के लिए 1519 की योजना बनाई जा रही है।

2. तात्कालिक योजना का तृतीय चरण तैयार किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 17 निर्माण कार्य द्वारा 1780 रिहायशी एकक बनने की अपेक्षा की जाती है।

3. सामान्य बजट प्रावधान में 9 अन्य निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इनसे 153 एकक उपलब्ध होंगे।

जम्मू राजस्थान उत्तर बंगाल और गुजरात में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी

504. **श्री विश्वनाथ भुनभुनवाला :** **श्री वरके जार्ज :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1971 के महीने में जम्मू में 127 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान, उत्तर बंगाल और गुजरात जैसे अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूसों की संख्या कितनी है ; और

(ग) गिरफ्तार किए गए जासूसों में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की अलग-अलग संख्या क्या है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि अक्तूबर, 1971 में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त महीने में जासूसी के सन्देह में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर और पश्चिम बंगाल से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

औद्योगिक विकास में पूंजी निवेश

505. **श्री विश्वनाथ भुनभुनवाला : क्या औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों में सरकार की औद्योगिक नीति ने औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी लगाने को किसी तरह से प्रोत्साहन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो पूंजी लगाने में किस सीमा तक वृद्धि हुई है ; और

(ग) औद्योगिक क्षेत्र में अधिक पूंजी लगाए जाने के बावजूद भी उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). पिछले दो वर्षों में किये गये विनियोजनों के बारे में कोई विशेष अध्ययन तो इस मंत्रालय द्वारा कराया नहीं गया है, परन्तु नई औद्योगिक लाइसेंस नीति की संवीक्षा निरन्तर की जाती रहती है। 1970 और 1971 के 10 महीनों में अभूतपूर्व बड़ी संख्या में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों से यह प्रकट होता है कि विनियोजन के बारे में अनुकूल वातावरण बना है और औद्योगिक एवं उद्यमियों की रुचि में पर्याप्त जागृति उत्पन्न की है। 1970 में 3033 (काम चालू रखने के लिए आए 807 आवेदन पत्रों सहित) आवेदन पत्र प्राप्त हुए जबकि 1969 तथा 1968 में क्रमशः 1420 और 905 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। 1970 में 363 औद्योगिक लाइसेंस तथा 483 आशय पत्र जारी किए गए थे। 1971 के प्रथम नौ मासों में 2208 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 481 लाइसेंस और 708 आशय पत्र जारी किए गए हैं। मध्यम क्षेत्र में लाइसेंसों को उदारतापूर्वक जारी करने से अर्थात क्षमता के विचार पर कठोरतापूर्वक जोर दिए बिना और साथ ही छूट सीमा को एक करोड़ रुपये तक बढ़ाने से मध्यम व नए उद्यमियों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है जिससे औद्योगिक विकास के बढ़ने की तथा उत्पादन कमी को पूरा करने की आशा की जाती है। जहाँ तक औद्योगिक उत्पादन की गति का सम्बन्ध है इस कार्रवाई के करने से प्राप्त परिणामों को शीघ्रता से जानना सम्भव नहीं है।

हाल के महीनों में औद्योगिक उत्पादन की धीमी गति के कारणों को इस प्रकार रखा जा सकता है।

(क) कपास की कमी जिसने वस्त्र उपयोग पर प्रभाव डाला है।

(ख) इस्पात उत्पादन में कमी होने के कारण इस्पात की कमी का होना।

(ग) कुछ वस्तुओं जैसे रेलवे बेगन स्टेशनरी, डीजल इंजिनों आदि की मांग की कमी।

(घ) कई महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे कागज, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश और केल्सियम कार्बाइड की क्षमता पर नियंत्रण लगाना जहां अधिष्ठापित क्षमता की सीमा के कारण विकास गति सीमित हो गई है।

(ङ) महत्वपूर्ण कच्चे मालों जैसे इस्पात आदि की कमी के कारण विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता का अपर्याप्त प्रयोग विशेषकर इन्जीनियरी उद्योगों में।

श्रमिक प्रबन्धक सम्बन्धों और औद्योगिक अशांति ने भी कुछ उद्योगों की निपज पर प्रभाव डाला है।

मनीपुर में कागज मिल की स्थापना

507. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में द्योदार और बांस पर आधारित कागज मिल स्थापित करने के लिए कोई वन सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में कागज मिल की स्थापना के लिए आवेदन के संबंध में प्रशासन ने मणिपुर में माइन्स इन्सुलरिस की औद्योगिक क्षमता पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि संघ राज्य क्षेत्र में विशेष कागज बनाने के लिए कागज मिल सम्भव है, प्रशासन को सलाह दी गई है कि वह विस्तृत सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०. को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने पर विचार करे।

मसूलीपटनम स्थित आंध्र साइन्टिफिक कम्पनी का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

508. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री मसूलीपटनम स्थित आंध्र साइन्टीफिक कम्पनी का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के बारे में 6 जूलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4018 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसूलीपटनम स्थित आंध्र साइन्टीफिक कम्पनी के कार्यों की इस बीच जांच सम्बन्धी रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य मुद्दे क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) समिति का यह विचार है कि यदि पर्याप्त धन की व्यवस्था करने से और इसे बढ़िया और सक्षक प्रबंधक मंडल के अधीन रखने से कम्पनी के पुनरुजीवित होने की काफी सम्भावनाएं हैं। अत: समिति ने यह सिफारिश की है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबधों के अधोन कम्पनी के प्रबंध को सरकार अपने हाथ में ले।

(ग) मामले पर सरकार विचार कर रही है।

मैसर्स अलकोक एराडाउन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, भावनगर

509. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री मैसर्स अलकोक एराडाउन कम्पनी लि० भावनगर के बारे में 6 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4022 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार को मैसर्स अलकोक एराडाउन एण्ड कंपनी, भावनगर के कार्य-कलापों सम्बन्धी जांच निकाय का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

Setting up of Atomic Power Station in Bihar

510. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Atomic Energy be pleased to state :

(a) whether, keeping in view the availability of uranium in Bihar, the Government of Bihar have sent any communication to the Central Government demanding the setting up of an Atomic Power Station in North Bihar ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Setting up of Scooter Factory in Bihar

511. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Industrial Development be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar have formulated a scheme to set up any scooter factory in their State ;

(b) if so, the particulars thereof ;

(c) whether the State Government have asked for any assistance from the Central Government for this purpose ;

(d) if so, the particulars thereof ; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza) : (a) Not to the knowledge of the Government of India.

(b) to (e). Do not arise.

पश्चिम बंगाल में पकड़-धकड़ के कार्यों पर सिविल अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन

512. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पकड़-धकड़ के कार्यों पर 29 जून, 1971 से, सिविल अधिकारियों से कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) अब तक (सेना तथा पुलिस द्वारा) कितने पकड़-धकड़ कार्य किए जा चुके हैं ; और

(ग) इन कार्यों पर नियंत्रण कौन करता है (अर्थात सिविल, पुलिस अथवा सेना अधिकारी) ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार सिविल अधिकारियों ने 29 जून, 1971 के बाद की गई 227 गहन तलाशियों के बारे में सेना के प्राधिकारियों से सहायता प्राप्त की।

(ग) ये दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग कर रहे सक्षम सिविल प्राधिकारी हैं जो गहन तलाशियों के कार्य हाथ में लेते हैं और इस प्रकार ऐसे कार्यों का नियंत्रण ऐसे सिविल प्राधिकारियों के हाथों में ही रहता है।

पश्चिम बंगाल के थानों में सेना केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तैनात करना

513. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में 29 जून, 1971 से कितने थानों में सेना को, कितने थानों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को अथवा दोनों को तैनात किया गया ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है।

1972-73 की योजना का आकार

514. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1972-73 की योजना के आकार पर चर्चा करने के लिये 6 अक्तूबर, 1971 को योजना आयोग की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) इस पर अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). योजना आयोग की 6 अक्तूबर, 1971 को एक बैठक हुई, जिसमें अन्य विषयों के अलावा वार्षिक योजना 1972-73 के दृष्टिकोण के बारे में भी सामान्य चर्चा हुई। वार्षिक योजना तैयार की जा रही है जिसके लिए योजना आयोग राज्यों की वार्षिक योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और केन्द्रीय योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्रालयों से सिलसिलेवार विचार-विमर्श कर रहा है। इस विचार-विमर्शों, जो सम्भवत: जनवरी, 1972 में पूरे हो जायेंगे, को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 1972-73 को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यमों पर औद्योगिक नीति का लागू किया जाना

515. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यमों के सम्बन्ध में औद्योगिक नीति का कठोरता से पालन न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) क्या भारत ने संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ईरान, यूगोस्लाविया, रुमानियाँ और संयुक्त अरब गणराज्य से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करार किये हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना संबंधी नीति में सरकार की ओर से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) भारत तथा लंका, ईरान, युगोस्लाविया, रुमानिया और अरब गणराज्य जैसे देशों के बीच आर्थिक एवं औद्योगिक सहकारिता सम्बन्धी बातचीत में साथ ही भारत, अरब गणराज्य और युगोस्लाविया के बीच त्रिपक्षीय वार्तालाप में संयुक्त उद्यमों की स्थापना की सम्भावनाओं के बारे में भी विचार विमर्श किया गया है। इस प्रकार के उद्यमों की वास्तविक स्थापना भारत और अन्य देशों के पारस्परिक हितों तथा सुविधाओं पर और सम्बन्धित प्रायोजना के तकनीकी-आर्थिक संभाव्यताओं पर निर्भर करेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रशिक्षित पाकिस्तानी जासूसों की घुसपैठ

516. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री पी० एम० मेहता :
श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में पाकिस्तानी जासूसों की घुसपैठ के कारण जो तोड़फोड़ के कार्यों में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गभीर खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तानी सेना ने सिलहट में जासूसी के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भारत में भारी संख्या में पाकिस्तानी जासूसों की घुसपैठ से उत्पन्न हुई स्थिति के साथ निपटने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ग). सरकार पूरी तरह ऐसे खतरे के प्रति सजग है जो जासूसों तथा तोड़फोड़ करने वालों द्वारा पैदा किया जा सकता है। सम्बन्धित प्राधिकारी पूर्णतः सतर्क है और शरणार्थियों के पंजीकरण, जाँच तथा पूछ-ताछ के सभी व्यवस्थित प्रबन्ध विद्यमान हैं।

(ख) ऐसे सन्देह करने के कारण हैं कि जासूसों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र सिलहट में पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा है।

निवेशकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन ब्यूरो की स्थापना

517. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने निवेश कर्त्ताओं के लिए एक मार्गदर्शन ब्यूरो की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) इस ब्यूरो की स्थापना से देश में आर्थिक विकास की गति किस सीमा तक बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ाने तथा रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय जन तथा भौतिक संसाधनों का किस हद तक उपयोग हो सकेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यूरो एक परामर्शदात्री निकाय होगा जो कि निवेश सम्भावनाओं एवं आवश्यकताओं इत्यादि के बारे में आधारभूत और वास्तविक सूचना में उद्यमियों को मार्गदर्शन की सुविधायें उपलब्ध करेगा। आशा है कि ब्यूरो उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहायता करेगा।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को रूसी सहायता

518. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री पी० एम० मेहता :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस भारत को उसके प्रौद्योगिकी क्षेत्र, यहां तक कि उन्नत क्षेत्रों में, विद्यमान अन्तर को अपनी तकनीकी जानकारी देकर समाप्त करने के लिए सिद्धांततः सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने रूस द्वारा मांगे गये प्रस्तावों को भेज दिया है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) पिछले कुछ वर्षों से भारत और रूस के बीच में ऐसे सम्बन्धों में वृद्धि हो रही है जो आर्थिक और तकनीकी सहयोग की दृष्टि से दोनों देशों के लिए हितकर हैं। प्रधानमत्री के अभी हाल ही में रूस के दौरे के समय दोनों देशों में इस बात पर समझौता हुआ है कि उनके सहयोग में विशेषकर तकनीकी के, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में, और अधिक विस्तार होना चाहिए और घनिष्टता आनी चाहिए।

(ख) और (ग). दोनों देशों के बीच यह तय पाया गया है कि उनके विशेषज्ञ मिलकर उक्त क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेष प्रस्ताव तैयार करेंगे। दोनों पक्षों ने वैज्ञानिक विकास और तकनीकी सहयोग के लिए एक अन्तर्राज्यीय आयोग स्थापित करने का भी निश्चय किया है।

सेवानिवृत्ति के पश्चात अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

519. **श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत तीन वर्षों में आई० सी० एस०, आई० ए० एस० और आई० एफ० एस० के कितने अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्त किया गया ; और

(ख) पुनर्नियुक्ति के ऐसे कितने मामले सरकार के विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारत सरकार के पास अपेक्षित सूचना केवल अंश रूप में ही उपलब्ध है क्योंकि केवल निम्नलिखित

अवस्थाओं को छोड़कर पेंशन पाने वालों के लिए नौकरी स्वीकार करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करना अथवा ऐसी नौकरियों के बारे में सरकार को सूचना देना अपेक्षित नहीं है :

(i) सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष के बीच वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नौकरी ; या

(ii) भारत से बाहर किसी सरकार के अधीन (या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के अन्तर्गत जिसका कि भारत सरकार सदस्य न हो) नौकरी करना ।

नौकरी की उपर्युक्त श्रेणियों के सम्बन्ध में 1 जनवरी, 1969 से स्थिति इस प्रकार है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (भारतीय सिविल सेवा के भूतपूर्व सदस्यों समेत) के 13 भूतपूर्व सदस्यों और भारतीय वन सेवा के दो भूतपूर्व सदस्यों को वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नौकरी स्वीकार करने की अनुमति दी गई है ।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भारतीय सिविल सेवा के भूतपूर्व सदस्यों समेत) के चार भूतपूर्व सदस्यों की वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नौकरी स्वीकार करने के लिए अनुमति दिये जाने सम्बन्धी प्रार्थनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रम

520. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमा पर तैनात हमारे सैनिक जवानों का मनोबल ऊंचा उठाये रखने के लिए आकाशवाणी पर कार्यक्रम प्रसारित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम आकाशवाणी के 14 केन्द्रों से प्रतिदिन प्रसारित किये जाते हैं । इन कार्यक्रमों में मुख्यतया वार्ताएं, संगीत, फीचर तथा व्यंग रूपक होते हैं । विविध भारती सेवा के अन्तर्गत जवानों के लिये 'जयमाला' शीर्षक से प्रतिदिन 45 मिनट का अनुरोध कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है । शनिवार को 'जयमाला' कार्यक्रम सुविख्यात फिल्मी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है । इसके अतिरिक्त, दिल्ली केन्द्र जवानों के लिए 'पोप एण्ड लाइट वैस्टर्न म्यूजिक' का एक साप्ताहिक अनुरोध कार्यक्रम प्रसारित करता है ।

नागरिक सुरक्षा हेतु आकाशवाणी से कार्यक्रम

521. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में आम जनता को शिक्षित करने के लिए सरकार ने आकाशवाणी से कार्यक्रम प्रसारित करने की क्या व्यवस्था की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : आकाशवाणी के केन्द्रों विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित केन्द्रों ने नागरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के परामर्श से आम जनता को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम प्रसारित करना पहले ही शुरू कर दिया है ।

Setting up of an Inter-State Council

522. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the present position in regard to setting up of an Inter-State Council under Article 263 of the Constitution as was suggested by the Administrative Reforms Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : The relevant recommendations of the Administrative Reforms Commission are under consideration.

Eradication of Poverty in India

523. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to eradicate poverty after the last General Elections to the Lok Sabha and the results achieved so far ;

(b) the impact of increasing prices on the monthly salaries of the middle-class people ; and

(c) whether the steps taken to eradicate poverty have proved ineffective due to the increasing prices ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) The Fourth Plan is being reoriented with the specific objective of improving the living conditions of the weaker sections. Meanwhile, priority has been assigned to the implementation of special schemes for the weaker sections like small farmers, sub-marginal farmers and landless labourers, and children in slums and tribal areas. A crash programme involving an expenditure of Rs. 50 crores during 1971-72 has been taken up for promoting employment in rural areas and another Rs. 25 crores has been provided in the current year's budget for increasing employment opportunities for the educated and technically trained persons. It is, however, too early to assess the results.

(b) and (c). Rise in Prices have certainly affected the salaried people. However the order of rise has not subtantially affected schemes intended to promote welfare of the weaker sections particularly of the fixed income earners in the lower and the middle-class.

Special cell for Development of Himalayan areas

524. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether a special cell is proposed to be set up in the Planning Commission to deal with the development of Himalayan areas and to find a solution for the problems being faced by these areas ; and

(b) the time by which the proposal is likely to be finalised ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) The composition of the special cell and the manner of its functioning are still to be decided. The matter is under careful examination and will be decided in consultation with the State Governments concerned and experts who have studied the problems of hill areas. This consultation for defining the tasks to be taken in hand and the approach to be adopted is taking some time. A final decision on the structure of the Cell will however be taken at a very early date.

Applicants on waiting list for Telephone connections

525. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of applicants on the waiting list for Telephone connections in the country at present ;

(b) the number of persons to whom Government propose to provide Telephone connections during the year 1971-72 ; and

(c) the time by which all the applications will be provided with Telephone connections ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) At the beginning of the current financial year, there were 3,09,999 applicants on the waiting list for new telephone connections for the country as a whole.

(b) During 1971-72, it is proposed to provide a net addition of about 1.0 lakh working connections (direct exchange lines) in the country as a whole.

(c) By about 75-76.

आसाम और मेघालय में तोड़फोड़ करने वाले पाकिस्तानी लोग

526. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों के अनुसार तोड़फोड़ करने वाले पाकिस्तानी लोगों को, जो बंगला देश शरणार्थियों के साथ आसाम और मेघालय राज्यों में अवैध रूप से आ गये हैं, यह निदेश है कि वे अपने कार्य के संचालन के लिये नागा और मिजो विद्रोहियों के परिचित व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करें ;

(ख) क्या ये तोड़फोड करने वाले पाकिस्तानी लोग इन राज्यों में अधिक सक्रिय हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनको गिरफ्तार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) पाकिस्तान और नागा व मिजो विद्रोहियों के बीच सम्बन्ध सर्वविदित हैं और विशुद्ध नागा व मिजो तथा तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानी व्यक्तियों के बीच सम्पर्कों की सम्भावनाओं के बारे में अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है ।

(ख) असम तथा मेघालय के सीमावर्ती जिलों में तोड़-फोड़ तथा तोड़-फोड़ करने की चेष्टा करने की अनेक घटनायें हुई हैं ।

(ग) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार असम और मेघालय में 67 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण आसाम में उद्योगों का बन्द हो जाना

527. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण पूर्वी क्षेत्र में, विशेषकर आसाम में बहुत से उद्योगों के बन्द हो जाने का खतरा है ;

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोहनुल हक चौधरी) : (क) सरकार को कुछ कच्चे माल की सामान्य कमी के बारे में मालूम है लेकिन इस कारण से आसाम में औद्योगिक एककों के बन्द होने के बारे में कोई विशिष्ठ सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). इस्पात (स्टेनलेस स्टील सहित) कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, और कैल्सियम कार्बाइड आदि औद्योगिक कच्चे माल की सामान्य कमी है, जो कुछ उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

औद्योगिक एककों को आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराने की दृष्टि से संभरण स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यक सुधार किये जाते हैं। जिन वस्तुओं का इस समय कम संभरण हो रहा है और आने वाले कुछ समय के लिये कम सम्भरण होने की संभावना है उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिये कई उपाय किये गये हैं।

औद्योगिक कच्चे माल के आयात से संबंधित आयात नीति की स्थायी आंतरिक विभागीय समिति द्वारा अल्पकालिक दुर्लभ स्थिति को पूरा करने के लिये समय समय पर समीक्षा की जाती है। 1971-72 की आयात नीति में जिन वस्तुओं का विश्व में कम संभरण हो रहा है उनके आयात के लिये विशेष व्यवस्था है विश्व में कच्चे माल के कम संभरण के कारण जिन उद्योगों पर असर पड़ा है, उनको एक समय में 6 मास की अधिक अवधि के लिए कच्चे माल का आयात करने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जा रही है।

आयात नीति में वास्तविक उपभोक्ताओं के हक की समीक्षा की भी व्यवस्था है। वास्तविक उपभोक्ताओं के ऐसे मामलों पर, जिनमें वर्तमान आयात नीति के संचालन में अनुचित कठिनाईयाँ पैदा हुई है और जिनसे औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के अधीन उप-समिति द्वारा आयात पर विचार किया जाता है।

मेघालय में उद्योग

528. **श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कामरुप जिले और मेघालय राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के सम्पूर्ण दक्षिणी तट में अधिक मात्रा में खनिजों के उपलब्ध होने के बावजूद भी कोई उद्योग नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). आसाम और मेघालय सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का सम्पूर्ण रूप से पता लगाने और उनके पूर्ण उपयोग के लिये (i) कृषि पर आधारित उद्योग, (ii) वनों पर आधारित उद्योग और (iii) कोयला और प्राकृतिक गैस या आमतौर पर खनिजों पर आधारित उद्योग इन तीन कार्यकारी दलों की पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के तत्वावधान में इन क्षेत्रों का एकीकृत औद्योगिक क्षमता का विस्तृत अध्ययन करने के लिये स्थापना की गई थी। इन अध्ययनों के आधार पर इन क्षेत्र के एकीकृत औद्योगिक विकास के लिये समन्वित योजना तैयार करने का विचार है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट इस समय पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के विचाराधीन है। यहां यह भी कहा जा सकता है कि दालचीनी के तेल की परियोजना और अन्वेषण, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता रिपोर्टें आदि तैयार करने आदि के लिये मेघालय को चौथी योजना के कार्यक्रम में व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा मेघालय में उद्योग स्थापित करने हेतु सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये हाल ही में औद्योगिक विकास मंत्रालय ने भी एक अध्ययन दल भेजा था। आशा है कि इन अभ्युदायों के फलस्वरूप मेघालय और कामरुप क्षेत्र में कुछ उद्योगों की स्थापना हो सकेगी।

अखबारी कागज उपलब्ध न होने के कारण आसाम में समाचार पत्रों का बन्द हो जाना

529. **श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अखबारी कागज उपलब्ध न होने के कारण आसाम में समाचार पत्र बन्द होने की स्थिति हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो आसाम में समाचार पत्र उद्योग को अखबारी कागज उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूरेनियम की नाजिल पृथक करने की प्रक्रिया में पश्चिमी जर्मनी द्वारा सहायता

530 **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरेनियम की नाजिल पृथक करने की प्रक्रिया का भेद बताने के लिये पश्चिम जर्मनी की सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों की सहायता की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां तो क्या इस उद्देश्य के लिये कुछ संयंत्र स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) एक संयंत्र की स्थापना पर कितना व्यय आने का अनुमान है ; और

(घ) ऐसा संयंत्र देश में विज्ञान और कृषि के विकास में कहां तक सहायक सिद्ध होगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यूरेनियम के पृथकीकरण के लिये पश्चिम जर्मनी द्वारा विकसित तुंड प्रक्रिया (नोजल प्रोसेस) से सम्बन्धित वर्गीकृत सूचना भारत को प्राप्त होगी।

(ख) से (घ). इस प्रक्रिया पर आधारित प्रायोगिक संयंत्र बनाने की योजना तैयार करने के बारे में बहुत सी अन्य वैकल्पिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के बाद निर्णय किया जा सकेगा।

बंगाल के फिल्म उद्योग को वित्तीय संकट

532. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल में फिल्म उद्योग को वित्तीय सकट का सामना करना पड़ रहा है और वहां स्टूडियों के बन्द होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त संकट के कारणों का पता लगाया है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या ईस्ट इण्डिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार से सहायता का अनुरोध किया है और यदि हां, तो सरकार से किस प्रकार की सहायता मांगी गई है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) ऐसी रिपोर्ट मिली है कि पश्चिम बंगाल में फिल्म उद्योग आर्थिक संकट से गुजर रहा है, परन्तु इससे उस राज्य के सभी स्टूडियों के बन्द होने की सम्भावना नहीं है।

(ख) राज्य सरकार से पूछ ताछ की गई है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि कुछ वर्गों से यह संकट उसका ध्यानाकर्षित करता रहा है। राज्य सरकार ने 1962 में न्यायाधीश के० सी० सेन की अध्यक्षता में एक फिल्म जांच समिति नियुक्त की थी। एक और तदर्थ समिति राज्य सरकार द्वारा 1966 में श्री आर० गुप्त की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी। इन दोनों समितियों की रिपोर्ट 1968 में प्रकाशित की गई थी।

जून, 1969 में राज्य सरकार द्वारा एक राज्य फिल्म सलाहकार समिति नियुक्त की गई थी जिसमें फिल्म उद्योग के सभी पक्षों के प्रतिनिधि शामिल किए गए थे। इस समिति की पहले की समितियों की विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के उपाय सुझाने तथा बदली हुई स्थिति को देखते हुये, नई सिफारिशें, यदि कोई हों, करने का काम सौंपा गया था। इसकी रिपोर्ट जिसमें फिल्म उद्योग में सुधार के लिये विभिन्न उपाय दिये गये हैं, अब राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, हां। फिल्म उद्योग की मांगों में सभी सिनेमाघरों में बंगला फिल्मों के लिये 20 प्रतिशत दिखाने का समय आरक्षित करना, राज्य फिल्म सलाहकार समिति की मुख्य सिफारिशों को कार्यान्वित करना, कलकत्ता में सुसज्जित स्टूडियों तथा प्रयोगशाला स्थापित करना, फिल्मों को दिखाने के लिये सुविधाओं का विस्तार करना, आदि शामिल है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाया है, क्योंकि इससे मुख्यतया वही सम्बन्धित है।

छोटी कार के निर्माण के लिए तकनीकी समिति का प्रतिवेदन

533. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस तकनीकी समिति को सरकारी क्षेत्र में छोटी कार के निर्माण के लिये विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया था क्या उसने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण की जाने वाली कार की प्रकार, उसके वास्तविक मूल्य तथा प्रस्तावित फैक्टरी की क्षमता तथा स्थान के बारे में समिति के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) (क) से (ग). ऐसी कोई भी तकनीकी समिति नियुक्त नहीं की गई । फिर भी, सरकार द्वारा एक तकनीकी तथा दूसरा वित्तीय अध्ययन दल नियुक्त किये गये थे । सम्बद्ध विभिन्न तकनीकी वित्तीय तथा वाणिज्यिक मामलों के सम्बन्ध में फर्मों से विचार-विमर्श करने, कारों का मूल्यांकन करने हेतु इन्ही तकनीकी तथा वित्तीय अध्ययन दलों में से ही पदाधिकारियों की एक समिति बना दी गई थी । अधिकारी समिति का प्रतिवेदन, जो अब प्राप्त हो चुका है, इस समय अध्ययन दलों के विचाराधीन है ।

पूर्ववर्तिता में एक महापौर का स्थान

534. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में हुई एक बैठक में महापौरों ने पूर्ववर्तिताक्रम में अपना स्थान सुनिश्चित कराने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) पूर्ववर्तिता-क्रम में महापौर का क्या स्थान होगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में पहले ही आदेश विद्यमान हैं कि नागरिक समारोहों जैसे विदेशी महानुभावों समेत गण्यमान्य व्यक्तियों के आगमन, राज्य महाभोज, अतिथि सम्मान भोज तथा जलपान समारोह के अवसरों पर उस नगर के महापौर को जहां समारोह हो रहा हो, कैबिनेट मंत्री के साथ स्थान दिया जाय तथा यह कि अन्य अवसरों पर महापौर का स्थान मंत्रि-परिषद के सदस्यों के पश्चात् परन्तु संसद के सदस्यों तथा राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों के पहले होगा । इस सम्बन्ध में यह भी आदेश है कि विदेशी महानुभावों समेत गण्यमान्य व्यक्तियों के किसी नगर में आगमन पर उनके स्वागत समारोह में उन महानुभाव का स्वागत करने वाले सर्व प्रथम व्यक्तियों में महापौर को भी सम्मिलित किया जाय :

यूरेनियम के नोजल पृथकीकरण प्रक्रिया के लिए पूर्व जर्मनी द्वारा सहायता

535. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व जर्मनी सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकी को यूरेनियम के नोजल पृथकीकरण का रहस्य बताने सम्बन्धी सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये कुछ संयंत्र स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) संयंत्र के स्थापित करने पर कितने व्यय का अनुमान है ; और

(घ) देश में विज्ञान और कृषि विकास के लिये यह संयंत्र किस सीमा तक सहायक सिद्ध होगा ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वाराणसी जिले (उत्तर प्रदेश) में बेहरा में हरिजनों पर हमला

536. **श्री गदाधर साहा :**
श्री बक्शी नायक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बेहरा (वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश) के हरिजनों पर 17 सितम्बर, 1971 को उच्च वर्ग के लोगों द्वारा बर्बर आक्रमण किये जाने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने हरिजनों की रक्षा करने और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) सरकार को उस घटना का पता है जो 14 सितम्बर, 1971 को वाराणसी जिले के बेहरा गांव में हुई थी जिसमें अन्य जातियों के व्यक्तियों द्वारा हरिजनों पर आक्रमण किया गया था। इस घटना में 17 व्यक्तियों के जख्मी होने तथा एक हरिजन के जान से जाने की रिपोर्ट है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार झगड़ा, मरे पशुओं की खाल उतारने के प्रश्न पर हरिजनों तथा अन्य जातियों के सदस्यों के बीच एक विवाद से उत्पन्न हुआ। घटना से पहले भी गांव में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के निरोधात्मक परन्तुकों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी। घटना के सम्बन्ध में एक मुकदमा दायर किया गया है और जांच-पड़ताल की जा रही है। 30 व्यक्तियों में से, जिनके नाम अभियुक्तों में हैं, 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष को पकड़ने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। गांव में सशक्त पुलिस दल को यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर दिया गया है कि हिंसा का पुनरावर्तन न हो। अभियुक्तों के हथियारों के लाइसेंस भी स्थगित कर दिये गये हैं।

नेफा और शिलांग में असैनिक दंगे

537. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा और शिलांग में हाल ही में असैनिक दंगे हुये हैं ;

(ख) क्या वहां कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये सेना बुलाई गई थी, और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं श्रीमान् । गत तीन अथवा चार महीनों में नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

बंगाल बन्द

538. **श्री एच० एम० पटेल :**
श्री समर गुह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बाम पन्थी दलों ने 13 अक्तूबर, 1971 को बंगाल बन्द मनाया था ;

(ख) क्या उक्त बन्द सफल रहा ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र को कितनी हानि हुई ; और

(घ) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 13 अक्तूबर, 1971 को पश्चिम बंगाल बन्द का आह्वान कुछ बाम पन्थी दलों ने किया था ।

(ख) बन्द के दिन यातायात सेवायें आम दिनों की तरह चलती रही थीं । सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थाओं में भी सामान्य रूप से कार्य चलता रहा । कलकत्ता बन्दरगाह तथा गोदियों तथा सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति संतोषजनक थी । अधिकांश स्थानों में दुकानों तथा सिनेमा घर खुले रहे । सब मिलाकर पश्चिम बंगाल के लोगों ने बन्द का समर्थन नहीं किया ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्रों में आर्थिक क्षति का अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(घ) सरकार महसूस करती है कि ऐसे बन्दों से राष्ट्र तथा राज्य की हानि होती है । इसलिए ऐसे अवसरों पर लोगों को अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जाने चाहिए ।

पंखों के मूल्यों में वृद्धि

539. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री पंखों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में 3 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6787 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के पंखों के मुख्य निर्माता अब भी बिजली के पंखों के मूल्य सरकार द्वारा आंके गए मूल्य की तुलना में बहुत अधिक बता रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें मूल्य कम करने को बाध्य करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ताकि वे उपभोक्ताओं से अनुचित मुनाफा न कमा सकें ; और

(ग) ऐसी प्रमुख फर्मों के नाम क्या हैं जो इस समय मूल्य बढ़ा कर अत्याधिक अतिरिक्त लाभ कमा रही हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं। आजकल बिजली के पंखों का बाजार भाव मई, 1971 में प्रचलित भावों के मुकाबले 25 रुपये से 45 रुपये तक कम है और वे करीब 2 उचित निर्धारित भावों तक हैं।

(क) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह सूचना पहले ही माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 6787 के उत्तर में दे दी गई थी।

टैनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड कानपुर के कार्य परिणाम

540. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कूपर ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन कानपुर के कूपर एलिन यूनिट को अपने नियन्त्रण में लेने के उपरान्त टैनरी एण्ड फूटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर के उत्पादन और आय में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) इस उपक्रम में सरकार ने कितना धन लगाया है ; और

(घ) इस कारपोरेशन के प्रबन्ध-ढांचे और कर्मचारियों में कौन-कौन से परिवर्तन किये गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) 1968 में कूपर एलोन में हुआ घाटा 96 लाख रुपया था। इसके मुकाबिले टैपकों में 1969-70 के 10 महीनों में 48 लाख और 1970-71 में 57 लाख रुपये का घाटा हुआ।

(ग) विवरण	सरकार द्वारा किया गया विनियोजन (जैसा 30-3-71 को था)
	लाख रुपयों में
अंशधन	23.42
ऋण	74.99
योग	98.41

(घ) प्रबन्धकों सहित अधिकतर पुराने लोगों को काम में लगाए रखा गया है।

पिछड़े क्षेत्र विकास योजना के प्रति उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया

541. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की सरकार द्वारा दी गयी एकमुश्त **समझौता** सम्बन्धी रियायतों के प्रति उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया आशाजनक रही है ।

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार योजना को वापिस लेने का विचार कर रही है ; और

(ग) पश्चिम **बंगाल** के आठ पिछड़े जिलों के सम्बन्ध में बड़े, मध्यम तथा छोटे स्तर की **औद्योगिक** इकाईयां स्थापित करने के लिए अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए दी गई **रियायत** की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना अभी समय पूर्व है ।

(ख) पश्चिम बंगाल के 8 पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए बड़े और **मझोले** क्षेत्रों से राज्य सरकार को अब तक 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं । लघु क्षेत्र के आवेदनों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में सेना, पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व द्वारा गोली चलाए जाने के फलस्वरूप मारे गये व्यक्ति

543. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अगस्त, सितम्बर, 1971 में पुलिस सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के फलस्वरूप कुल कितने व्यक्ति मारे गये ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में बामपन्थी दलों द्वारा गोली चलाये जाने की इन घटनाओं की न्यायिक जाँच कराने की मांगों की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने गोली चलाये जाने की इन घटनाओं की न्यायिक जांच करने का आदेश दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पश्चिम बंगाल में प्रजातान्त्रिक दलों की मिली जुली सरकार द्वारा समाज विरोधी तत्वों को रिहा करना

544. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 मार्च, 1970 और 10 अप्रैल, 1971 के बीच हिंसा निवारक अधिनियम तथा अन्य निवारक अधिनियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गए अनेक समाज विरोधी तत्वों को पश्चिम बंगाल की प्रजातांत्रिक दलों की मिली जुली सरकार ने रिहा कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या प्रजातान्त्रिक दलों की मिली जुली सरकार की उक्त कार्यवाही से पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति और खराब हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उन तत्वों को पुन: गिरफ्तार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में 1-1-1970 से 22 नवम्बर, 1970 तक, जब पश्चिम बंगाल (हिंसात्मक गतिविधियां निरोध) अधिनियम, 1970 प्रवृत्त हुआ, निवारक निरोध के लिए कोई कानून लागू नहीं था।

आकाशवाणी, कलकत्ता की सलाहकार समिति और कार्यक्रम समिति का पुनर्गठन

545. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, कलकत्ता के विरुद्ध कई संगठनों द्वारा लगाये गए विभिन्न आरोपों की दृष्टि में रखते हुए इसकी सलाहकार समिति और कार्यक्रम समिति को पुनर्गठित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समितियों में कौन कौन से व्यक्ति होंगे ; और

(ग) गत छह महीनों में आकाशवाणी, कलकत्ता के प्रसारण में कितनी बार अवरोध उत्पन्न हुआ और इससे समय की कुल हानि कितनी हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) आकाशवाणी, कलकत्ता से सम्बद्ध कार्यक्रम सलाहकार समिति फरवरी, 1971 में पुनर्गठित की गई थी। इसको फिर से पुनर्गठित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्पन्न हुए अवरोधों की कुल संख्या 173 थी, जिनकी अवधि कुल मिला कर 34 घण्टे 6 मिनट थी। इन कुल अवरोधों में से 123 अवरोध जिनकी कुल अवधि 28 घण्टे 31 मिनट थी, बिजली फेल हो जाने के कारण हुए थे।

काकद्वीप (पश्चिम बंगाल) में कागज तथा गत्ता उद्योग की स्थापना

546. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने हेतु काकद्वीप (सुन्दरवन क्षेत्र) में कागज तथा गत्ता उद्योग स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं। सरकार का काकद्वीप में कोई भी कागज और गत्ता उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सुन्दरवन क्षेत्र में कागज और गत्ता उद्योग स्थापित किए जाने हेतु यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सरकार उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विक्रमगढ़ कालोनी, जाधवपुर (पश्चिम बंगाल) के निवासियों पर हमला

548. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ जाने माने गुण्डों और समाज विरोधी लोगों ने विक्रमगढ़ कालोनी, जादवपुर, जिला परगना (पश्चिम बंगाल) के शान्तिप्रिय निवासियों पर हमला करके उनके घरों और दूकानों को लूटा, उनकी नकदी और बहुमूल्य वस्तुएं लूट कर ले गए, उनसे और उनकी औरतों से भी निर्दयता से पेश आए और उन्हें कालोनी से बाहर निकाल दिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस निर्दयतापूर्ण हमले के लिए जिम्मेदार गुण्डों को पकड़ने और उक्त कालोनी के निवासियों की रक्षा के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

छोटी सादड़ी स्वर्ण काँड

549. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छोटी सादड़ी स्वर्ण कांड की जांच के बारे में 26 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 359 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छोटी सादड़ी स्वर्ण कांड के मामले में इस बीच जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) श्री गनपतलाल तथा अन्य द्वारा स्वर्ण के तथाकथित गबन के सम्बन्ध में एक आपराधिक अभियोग उदयपुर में सिविल जज तथा सहायक सेशन जज की अदालत में अभी निलम्बित है। आपराधिक अभियोग के इस लम्बन के दौरान कानून के उपलब्धों को ध्यान में रखते हुए जाँच की जानी है और इसमें समय लगेगा।

(ग) यह अदालती मामले में हुई प्रगति पर निर्भर होगा।

दीपावली की पूर्व सध्या पर दिल्ली में आग लगने के मामले

550 **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के निकट और तंग गलियों में पटाखों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को सख्ती से लागू न किए जाने के कारण दीपावली की पूर्व संध्या पर राजधानी में कई जगह आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस अवसर पर राजधानी में हुई इन घटनाओं के परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी क्षति हुई ; और

(ग) भविष्य में दिल्ली में सुरक्षित और मितव्ययतापूर्ण ढंग से दीपावली मनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग). 15-10-71 को चांदनी चौक में एक आग लगी और दूसरी खारी बावली में जहां पर आतिशबाजी पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंसधारी दुकानें खोली गई थीं। ये स्थान न तो तंग गलियों में हैं और न झुग्गी झोंपड़ियों की बस्तियों के निकट ही। किसी भी मामले में कोई जन क्षति नहीं हुई। चांदनी चौक में सम्पत्ति की 10000 रुपए की क्षति और खारी बावली में 700 रुपए की हुई। ये दोनों आगें आकस्मिक थीं।

झुग्गियों में आग 25-10-1971 को लगी और दीपावली के एक सप्ताह बाद सेवा नगर, लोधी रोड, नई दिल्ली के टाल में 12 झुग्गियां जल गईं और लगभग 25000 रुपए के मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई। इस आग के लिए, जो आतिशबाजी के कारण थी, कुछ अज्ञात बच्चे उत्तरदायी थे।

दिल्ली प्रशासन से यह पता लगाने को कहा गया है कि क्या ऐसे खतरों को कम करने के लिए नियमों में कोई संशोधन करना आवश्यक है।

इण्डियन मर्चेन्ट्स चेम्बर के अध्यक्ष द्वारा उत्पादन प्रधान वित्तीय नीति बनाने के लिए अनुरोध

551. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय व्यापारी मंडल के अध्यक्ष श्री हर्ष महेन्द्र के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने उत्पादन प्रधान वित्तीय नीति बनाने का अनुरोध किया था जिससे उद्योग के विकास को गति मिले और औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति में शीघ्रता लाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने पहले ही एक उत्पादन परक औद्योगिक लाइसेंस नीति निर्धारित कर दी है जिसका उपयोग औद्योगिक उत्पादन को गतिशील और औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनपत्रों का शीघ्रता से निपटारा करने के लिए किया जा रहा है। फरवरी, 1970 में निरुपति की गई संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति का उद्देश्य देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करके उसमें शीघ्रता लाना है। सरकार की लाइसेंस व्यवस्था को और तेज कर दिया गया है, जिससे लाइसेंस के आवेदन पत्रों को शीघ्र ही निपटाया जा सके और इसका परिणाम पिछले तीन वर्षों की अपेक्षा काफी सन्तोषजनक रहा है। फिर भी, स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती है। और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादन में आई कमी को पूरा करने हेतु आवश्यकतानुसार उपयुक्त अभ्युपाय भी किये जाते हैं।

टाटाओं और बिड़लाओं को पंजाब में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लाइसेंस

552. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से पंजाब में स्थापित किए जाने वाली दो औद्योगिक परियोजनाओं के लिये टाटाओं और बिड़लाओं को लाइसेंस दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र में इन उद्योगों को आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) औद्योगिक लाइसेंस केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं न कि राज्य सरकार द्वारा। फिर भी 1-1-70 से 23-10-71 की अवधि में पंजाब में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये टाटाओं और बिरलाओं को अथवा उनसे नियन्त्रित किसी भी पार्टी को लाइसेंस/आशयपत्र जारी नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस द्वारा मुक्तसर (पंजाब) में विद्यार्थियों पर किए गए लाठीचार्ज के बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच

553. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री मान सिंह भौरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस द्वारा मुक्तसर (पंजाब) में विद्यार्थियों पर बिना पूर्व सूचना लाठीचार्ज किए जाने के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेट श्री दलीप सिंह की रिपोर्ट पंजाब सरकार को प्राप्त हो गई है ;

(ख) क्या लाठी चार्ज के लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). मैजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पुलिस ने उपद्रवी छात्र-भीड़ से निपटने के लिए किसी भी अवसर पर अधिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया। फिर भी राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने ले लिए कि घटनाओं से सम्बन्धित आपराधिक मामलों की जांच पड़ताल अथवा विचारण पर किसी अनुचित प्रभाव का कोई संदेह न हो, उन स्थानीय अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया है जिनका झगड़े से निपटने के कार्यों से सम्बन्ध था।

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवा से निकालना

554. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

डा० रानेन सेन :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के 13 कर्मचारियों को राष्ट्रपति के आदेशानुसार बिना कारण बताये या उन्हें अपने पक्ष में कुछ कहने का अवसर प्रदान किये बिना सेवा से निकाल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त असाधारण कार्यवाही के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या, केवल कुछ कार्मिक संघों को छोड़कर, सब कार्मिक संघों ने सरकार के कर्मचारियों को त्रुटिपूर्ण ढंग से निकालने के एक-पक्षीय निर्णय का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परन्तुक (ग) के अधीन राज्यपाल के आदेशानुसार, राज्य सरकार के 13 अराजपत्रित कर्मचारियों को राज्य की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए सेवा से निकाल दिया गया है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) विरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारियों को राज्य की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए सेवा से निकाल दिया गया था।

पंजाब के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने हेतु एक आयोग की नियुक्ति

555. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री नागेश्वर राव मेदुरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पंजाब के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को जाँच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग के निदेशपद क्या हैं ; और

(ग) क्या जन साधारण को आयोग के सामने गवाही देने की अनुमति दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). आयोग को नियुक्त करते हुए कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 16 अक्तूबर, 1971 को जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3863 की एक प्रतिलिपि जिसमें उसके निदेशपद दिये गये हैं, सभा-पटल पर रखी जाती है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—1011/71]।

(ग) जाँच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए जांच (प्रक्रिया) नियम 1960 और उसके द्वारा निश्चित की गई जांच (प्रक्रिया) के अनुसार आयोग गवाही देने की अनुमति दे सकता है।

प्रेस-ट्रस्ट आफ इण्डिया का निगम में परिवर्तन

556. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को सरकारी निगम में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने में बिलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) और (ख). प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया को एक सरकारी निगम में बदलने के प्रश्न पर, समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के फैलाव तथा उनके प्रबन्ध सम्बन्धी विचाराधीन प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने के बाद विचार किया जायेगा।

बंगलौर में छात्रों पर लाठी चार्ज

557. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 सितम्बर 1971 को बंगलौर में बंगलौर पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज किया और अनेक छात्रों को घायल किया ;

(ख) यदि हां, तो लाठीचार्ज के क्या कारण थे ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने छात्र घायल हुये ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). मैसूर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सितम्बर, 1971 में बंगलौर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी कुछ मांगों के सम्बन्ध में एक आन्दोलन किया। 13 सितम्बर को हुल्लड़बाजी तथा विश्वविद्यालय व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति की अनेकों घटनायें हुईं। ऐसी घटनाओं में बस परिवहन बसों और कुछ कालेजों की सम्पत्ति को क्षति हुई तथा लगभग 20 पुलिस वाले जख्मी हुए। उपद्रवी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को दो बार लाठी-चार्ज करना पड़ा तथा अश्रु गेस का प्रयोग करना पड़ा। लगभग 15 छात्र जख्मी हुए।

अलवाय टेलीफोन व्यवस्था का स्वचालित केन्द्र में बदला जाना

558. **श्री एम० के कृष्णन्** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नगरपालिका परिषद् अलवाय (केरल) की ओर से अलवाय टेलीफोन व्यवस्था को स्वचालित केन्द्र में परिवर्तित करने तथा इसे कोचीन स्वचालित व्यवस्था से जोड़ने सम्बन्धी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । अलवाय को आटो-एक्सचेंज बनाने के लिए आवश्यक साज-सामान का निर्माण इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के 1973-74 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है । जहां तक अलवाय टेलीफोन प्रणाली को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के जरिये कोचीन टेलीफोन प्रणाली से जोड़ने का प्रश्न है, अलवाय को आटो-एक्सचेंज बनाये जाने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा ।

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

कन्नानूर जिले में स्विच कारखानों की स्थापना

559. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा कन्नानूर जिले में स्थित कारखाने की स्थापना के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए स्थान का चयन करने हेतु एक अध्ययन दल ने कन्नानूर जिले में विभिन्न स्थानों का दौरा किया था ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) से (घ). इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर की टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से इन उपस्करों के निर्माण के लिए एक नया कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । यह कारखाना कहां लगाया जाएगा इसका अभी तक निर्णय नहीं किया गया है । इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के तकनीकी विशेषज्ञ दल से कहा गया है कि वह कुछ राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गये स्थानों की उपयुक्तता की जांच करें और जो स्थान इस कारखाने की स्थापना के लिए उपयुक्त हो/हों उसके बारे में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दें । दल ने केरल राज्य के कन्नानूर जिले में कुछ स्थान देखे भी हैं । आशा है कि यह दल अपनी रिपोर्ट लगभग एक महीने में सरकार को प्रस्तुत कर देगा ।

टुमकुर जिले (मैसूर) में कागज के कारखाने की स्थापना

560. **श्री के० लकप्पा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अधीन वर्ष 1971-72 के दौरान मैसूर राज्य के टुमकुर जिले में कागज का कारखाना लगाया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर कितना खर्च आयेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मैसूर राज्य में कागज की कोई मिल खोलने का सरकार का विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली नगर पालिका के लिये नामांकन

561. **श्री के० लकप्पा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास कुछ समय पूर्व संसद सदस्यों एवं कुछ अन्य व्यक्तियों से, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा श्रमिक संगठनों के कार्यकर्त्ताओं को 1971 के लिये नई दिल्ली नगर पालिका के लिये नामांकित किये जाने के लिये पत्र तथा ज्ञापन प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) ऐसे प्रत्येक पत्र अथवा ज्ञापन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) नामांकन के समय इन पत्रों पर विधिपूर्वक विचार किया गया था ।

नई दिल्ली नगर पालिका के लिये सदस्यों का मनोनयन

562. **श्री के० लकप्पा** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जनसंघ के एक प्रतिनिधि मण्डल ने, जिसमें अनेक संसद-सदस्य तथा अन्य पदाधिकारी शामिल हैं, नई दिल्ली नगर पालिका के लिये सदस्यों के मनोनीत किये जाने के बारे में कुछ समय पूर्व राष्ट्रपति से भेंट की थी और उन्हें इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन भी दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या बातें उठायी गयी थी ; और

(ग) उनके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). दिल्ली प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष श्री एल० के० अडवानी, संसद सदस्य तथा श्री विजय कुमार मल्होत्रा, मुख्य कार्यकारी पार्षद के नेतृत्व में दिनांक 5-10-1971 को जनसंघ के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्रपति से मिला और नई दिल्ली नगर पालिका के सदस्यों के मनोनयन के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया । उक्त अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०—1012/71]**

(ग) मामले के सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करने के बाद नई दिल्ली नगर पालिका के सदस्यों को मनोनीत किया गया था । अतः कोई अन्य कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं थी ।

स्वदेशी प्रौद्योगिकी के लिये पृथक विभाग का बनाया जाना

563. **श्री पीलू मोदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिये तथा देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए किसी पृथक विभाग की स्थापना की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विभाग की स्थापना के परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकी के विकास में कितनी वृद्धि की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख)) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस की सेवा शर्तों की जांच करने के लिए आयोग की स्थापना

564. **श्री पीलू मोदी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली पुलिस की सेवा शर्तों की जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया है ;

(ख) यदि हां तो उस आयोग के निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में एक घातक दुर्घटना के बारे में जांच

565. **श्री पीलू मोदी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अक्तूबर, 1971 के "दि स्टेट्समैन" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जो संघ राज्य क्षेत्र में एक घातक दुर्घटना के बारे में दिल्ली पुलिस द्वारा जांच करने में गम्भीर उपेक्षा करने के बारे में है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). किसी घातक दुर्घटना के मामले की जांच-पड़ताल में दिल्ली पुलिस को उपेक्षा के बारे में 4 अक्तूबर, 1971 के "स्टेट्समैन" में कोई समाचार नहीं था ।

पंजाब के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने में सहायता के लिए विशेष शाखा

566. **श्री निहार लास्कर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार की जांच हेतु नियुक्त किये जाने वाले जांच आयोग की सहायता के लिये सचिवालय में एक विशेष शाखा खोली है ; और

(ख) यदि हाँ, तो वह आयोग सम्भवत: कब तक अपना प्रतिवेदन पेश कर देगा ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने सचिवालय में पंजाब राज्य के भूतपूर्व मंत्रियों और अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों पर कार्यवाही के लिए एक विशेष शाखा खोली है। यह विशेष शाखा जांच आयोग को जब कभी इसे आवश्यक हो, तत्सम्बन्धी रिकार्ड इत्यादि भी भेजेगी।

(ख) आयोग की 3 मास की अवधि के बीच अपना प्रतिवेदन पेश करना है।

दक्षिण पूर्व एशिया से भारत आने वाली डाक का गुम हो जाना

567. **श्री निहार लास्कर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व एशिया से भारत आने वाली डाक में होने वाली चोरी इतनी अधिक बढ़ गयी है कि कई लोग भारतीय डाक तार विभाग को ही अपने पत्रों के गुम होने के लिये दोषी ठहराते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से ज्ञात राज्यों के संसाधनों की दशा में सामान्य ह्रास

568. **श्री निहार लास्कर** :
श्री प्रवीण सिंह सोंलकी :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से राज्यों के स्रोतों में सामान्य रूप से ह्रास का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो आसाम की तथा देश के अन्य राज्यों की क्या स्थिति है ; और

(ग) जिन राज्यों की स्थिति में ह्रास हुआ है उसे सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं। राज्यों के कुल वित्तीय संसाधन मूल अनुमानों से अधिक होने की आशा है।

(ख) और (ग). प्रत्येक राज्य की स्थिति तथा इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल अग्नि शमन सेवा के एक कर्मचारी की मृत्यु

569. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल अग्नि शमन सेवा का एक कर्मचारी श्री लक्ष्मण गोराय 5 सितम्बर, 1971 की केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारी द्वारा मारा गया था ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 5 सितम्बर, 1971 को रात्रि के 1·15 बजे पश्चिम बंगाल पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस के गश्ती दल को जिसमें राज्य सरकार की सेवार्थ गुजरात राज्य शसस्त्र पुलिस से लिए गए व्यक्तियों को एक कुछ भीड़ ने घेर लिया और उस पर पाइपगनों और पटाखों से हमला कर दिया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सहायक उप-निरीक्षक के आदेश से दल के एक सदस्य ने गोली चलाई। इसके फलस्वरूप भीड़ तितर-बितर हो गई और एक व्यक्ति जो गोली से घायल हो गया था पीछे रह गया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया। मृतक की पहिचान करने पर ज्ञात हुआ कि वह फायरमैन लक्ष्मन घोराई था। गोलीबारी में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का कोई कर्मचारी शामिल नहीं था।

(ख) और (ग). भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। शिकायत के दो अन्य मामले भी दर्ज किए गये हैं और उनकी जांच की जा रही है।

मध्य प्रदेश में लौह-अयस्क निक्षेपों का उपयोग

570. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने राज्य के लौह अयस्क निक्षेपों का उपयोग, खनन तथा निर्यात करने के लिए स्वयं राज्य सरकार को ही एकमात्र अधिकार देने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर योजना आयोग से हाल ही में विचार-विमर्श किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त विचार विमर्श का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). अन्य विषयों पर हो रहे विचार-विमर्श के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा खनिज लोहे के निक्षेपों के उपयोग, खनन और निर्यात से सम्बन्धित विषय अनौपचारिक रूप से उठाये थे। परन्तु कोई ठोस प्रस्ताव अथवा योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

Setting up of Paper Mills in Madhya Pradesh

571. **Shri Narendra Singh** : Will the Minister of Industrial Development be pleased to state :

(a) whether two paper mills are being set up in Madhya Pradesh in private sector ;

(b) if so, the time by which the said mills are likely to be set up ;

(c) the estimated expenditure to be incurred thereon ; and

(d) the places where these mills are being set up ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza) : (a) to (d). Letters of Intent have been issued to 3 parties in the private sector for the establishment of new industrial undertakings in Madhya Pradesh for the manufacture of Pulp and Paper. Salient features of these schemes are as follows :

Name of the Party	Estimated cost		Location	Estimated time taken for the establishment of the unit
	Land and Buildings	Machinery		
	(Rs. lakhs)			
1. Shri K. L. Rajgarhia, New Delhi.	100	330	Balaghat	3 years
2. Dr. P. L. Anand, New Delhi.	200-400	2200	Not decided	4 years
3. Shri Ramgopal Ganeriwala, Calcutta.	110	300	Not decided	4 years

पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन और जापान के सहयोग से औद्योगिक कारखानों की स्थापना

572. **श्री पी० के० देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन और जापान ने अपने कतिपय बड़े औद्योगिक कारखानों को हटाकर उन्हें भारत में स्थानीय उपक्रमियों के सहयोग से स्थापित करने की पेशकश की है ; और

(ख) क्या भारत सरकार ऐसी परियोजनाओं को आरम्भ करने की अनुमति देगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). निर्यातोन्मुख और श्रम प्रधान उद्योगों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक रूप से विकसित कुछ देशों ने अपने औद्योगिक संयत्र भारत में स्थानान्तरित करने में रुचि दिखाई है। इस प्रकार के सभी आवेदनों पर विदेशी सहयोग विदेशी विनियोजन और निर्यातोन्मुख उद्योगों में पूंजी गत वस्तुओं का आयात के संबंध में सरकार की विद्यमान नीतियों के अनुसार गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और ऐसे दो प्रस्ताव पहले ही स्वीकार किये जा चुके हैं।

राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण आसाम के दो गांवों पर दण्डात्मक रूप में जुर्माना करना

573. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में लामाजोर कौर शरालीपुर गांवों पर तोड़-फोड़ तथा राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां करने के कारण दण्डात्मक रूप में जुर्माना किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जुर्माना करने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला कछार के लमजुआर तथा शरालीपुर गांवों के इर्द-गिर्द के क्षेत्र में कुछ तोड़-फोड़ की घटनाएं घटीं । इन दो गांवों के निवासियों पर पाकिस्तानी तोड़-फोड़ करने वालों को शरण देने सहायता देने का सन्देह किया गया था । इसलिए असम सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम 1947 की धारा 5 का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने इन दो गांवों के निवासियों पर सामूहिक रूप से 10,000 रुपये का अर्थ दण्ड किया ।

(ख) असम सरकार से इस बात की पुष्टि की जा रही है कि क्या यह अर्थ दण्ड वास्तव में वसूल किया गया या नहीं और इससे तोड़-फोड़ की गतिविधियां कम हुई या नहीं ।

गीत तथा नाटक प्रभाग के सशस्त्र सैनिक मनोरंजन विभाग को समाप्त करना

574. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने गीत नाटक प्रभाग के सशस्त्र सैनिक मनोरंजन विभाग को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या गीत तथा नाटक कर्मचारी एसोसिएशन ने इस प्रकार की कार्यवाही का विरोध करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय रसायन उद्योगपतियों के अध्ययन दल की जापान यात्रा

575. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रसायन उद्योगपतियों के एक अध्ययन दल ने हाल ही में जापान की यात्रा की थी ;

(ख) क्या उसने भारत में संयुक्त उपक्रमों की सम्भावनाओं के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : सितम्बर, 1971 में फेडरेशन आफ इंडिया चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा प्रायोजित एक रसायन सम्बन्धी अध्ययन दल जापान गया था ।

(ख) फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री से पता चला कि प्रतिवेदन अभी भी तैयार नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

गाड़ियों की गति बढ़ाने से डाक सेवा को हानि

576. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री वरके जार्ज :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों की गति बढ़ाने के प्रयास के फलस्वरूप डाक सेवा को हानि पहुँचाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो डाक विभाग द्वारा की गई आपत्ति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं । डाक डिब्बे उन रेलगाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी गति बढ़ाई गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों में बेकार जन-शक्ति का उपयोग

578. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन श्रमप्रधान लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के बारे में विचार किया गया है जिनमें बेकार जनशक्ति का उपयोग किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). चौथी योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में एक उद्देश्य अंशकालिक और पूर्णकालिक रोजगार के अवसरों को बड़ी मात्रा में प्रदान करना है। इसके लिए ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास की चौथी योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है। औद्योगिक विकास मंत्रालय में एक उपयुक्त तकनीकी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है, जिसका कार्य अर्थ-व्यवस्था के श्रमिक प्रधान कुछ क्षेत्रों के लिए उचित तकनीकी की पुनरीक्षा करना है। इसके अलावा, चौथी योजना में श्रमिक प्रधान योजनाओं जैसे सड़क, लघु सिंचाई योजना, भूमि संरक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास और शहरी विकास, पर भी काफी जोर दिया गया है। हाल ही में योजना आयोग ने इन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विशेष रूप से उत्पन्न रोजगारों का निर्धारण करने की दृष्टि से विकास कार्यक्रमों को आंकने का काम किया है।

पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करना

579. **डा० रानेन सेन :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन ने मांग की है कि नौकरी से पदच्युत किए गए राज्य के कर्मचारियों को बहाल किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) चूंकि राज्य सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को पदच्युत किया गया था, अत: सम्बन्धित कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने की मांग पर कार्रवाई नहीं की गई है।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों का विकास

580. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से वहां औद्योगिक विकास हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अनुमानत: कितना धन व्यय किया जाएगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये अनेक अभ्युपाय किये गये हैं। ये मुख्य रूप से निम्नप्रकार हैं:—

(i) बन्द और संकट ग्रस्त उद्योगों को पुन: स्थापित करने और फिर से चालू करने के लिए एक औद्योगिक पुन: निर्माण निगम की स्थापना की गई जिनका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है।

(ii) पश्चिम बंगाल में 8 जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है और इन जिलों में उद्योगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से रियायती दरों पर आर्थिक सहायता देने और अन्य सुविधायें प्रदान करने की दिशा में विशिष्ट अभ्युपाय अपनाये गये हैं।

(iii) सरकार द्वारा एक 16 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसका वस्तुतः कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ख) इन योजनाओं पर आने वाले कुल व्यय का ब्यौरा अभी नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनमें से अनेक योजनाएं, अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है।

बड़ौदा में टेलीविजन केन्द्र

581. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन केन्द्र की स्थापना के लिए स्थान का चयन किस आधार पर किया जाता है ;

(ख) क्या टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बड़ौदा में टेलीविजन केन्द्र कब तक स्थापित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) चौथी योजना के दौरान टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के लिये वृहत् जनसंख्या वाले केवल कुछ ही बड़े शहर चुने गये थे।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) बड़ौदा तथा अन्य स्थानों पर टेलीवीजन केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न का निर्णय देश में टेलिवीजन के विकास के अगले चरण के लिये प्रस्ताव हो जाने के बाद किया जायेगा।

बड़ौदा को अहमदाबाद, बम्बई और दिल्ली के साथ सीधे टेलीफोन की व्यवस्था से जोड़ना

582. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बड़ौदा को अहमदाबाद, बम्बई और दिल्ली के साथ सीधे टेलीफोन की व्यवस्था से जोड़ने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मंत्री श्री हेमवती नन्दन (बहुगुणा) : (क) और (ख). आशा है कि बड़ौदा-अहमदाबाद और बड़ौदा-सूरत मार्गों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग मार्च 1972 से पहले चालू कर दी जाएगी।

बड़ौदा और बम्बई के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा तभी शुरू की जाएगी जब अहमदाबाद में ट्रंक आटो-एक्सचेंज लग जायेगा। आशा है कि यह काम '1976 के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

बड़ौदा और दिल्ली को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग से जोड़ने की तारीख तकनीकी कारणों से अभी निश्चित नहीं की जा सकती। तथापि यह बड़ौदा और बम्बई के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा चालू किए जाने के बाद ही होगी।

पटना में टेलीविजन रिले केन्द्र

583. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कई ऐसे शहरों में टेलीविजन केन्द्र बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है जहां अब ऐसे केन्द्र नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पटना में भी एक टेलीविजन रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान टेलीविजन केन्द्र श्रीनगर, बम्बई (पूना में रिले केन्द्र सहित), मद्रास, कलकत्ता तथा लखनऊ (कानपुर में रिले केन्द्र सहित) में स्थापित किये जा रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पटना में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अक्तूबर, 1971 में हुए बंगाल बंद पर प्रतिवेदन

584. **श्री सेझियान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 13 अक्तूबर, 1971 को हुए बंगाल बन्द के बारे में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से तथा केन्द्रीय गृह मंत्रालय के कलकत्ता स्थित अतिरिक्त सचिव से अलग अलग प्रतिवेदन मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अण्डमान तथा अन्य भारतीय द्वीपों में संचार व्यवस्था में सुधार

585. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री अण्डमान द्वीप-समूह में संचार व्यवस्था के सुधार के बारे में 26 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 322 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अण्डमान तथा अन्य भारतीय द्वीपों में संचार व्यवस्था में सुधार के लिए किसी योजना को इस बीच अन्तिम रूप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्देश्य के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(ग) उक्त योजना को कब चालू किया जायेगा ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 26-5-71 के अतारांकित प्रश्न स० 322 के उत्तर में बताई गई डाक-तार सुविधाओं में विकास और सुधार करने की योजनाओं में से निम्नलिखित प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है :

(i) मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच दूसरी श्रेणी की डाक लाने ले जाने के लिये पहले से ही जो दो स्टीमरों की सेवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके अतिरिक्त एक तीसरी स्टीमर सेवा का प्रयोग भी किया जाता है।

(ii) द्वीपसमूह में डाकघर खोलने के लिए कम से कम आपकी शर्त में छूट देकर डाकघर खोलने की अनुमानित लागत का 15 प्रतिशत कर दी गयी है जबकि देश के देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए यह आय 25 प्रतिशत निर्धारित है।

(iii) वितरण के लिये मुख्य भूमि से आई डाक की छंटाई में तेजी लाने के लिये अंशकालिक ड्यूटी कर्मचारियों की सेवाओं की काम में लाने की व्यवस्था की गई है।

(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में डाक सुविधाओं में सुधार और विकास लाने के प्रस्तावों के लिए धन की व्यवस्था समूचे डाक-तार विभाग की विकास योजना के लिए निर्धारित निधि में से ही की जाती है। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में डाकतार सुविधाओं के लिए अलग से कोई निधि नहीं रखी गई है। यह उल्लेखनीय है कि चालू वर्ष में नये डाकघर खोलने और मौजूदा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए 15 लाख रुपये की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। इस काम के लिए 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी रिजर्व रखी गई है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो यह राशि भी अलाट की जा सकती है :

(i) दक्षिण के द्वीपसमूह में चलने वाले अन्तर्द्वीपीय स्टीमर पर चलता-फिरता डाकघर खोलने के निर्णय पर अमल इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि स्टीमर के कर्मीदल सदस्य विभागेतर एजेंट का काम करने के लिये तैयार नहीं हैं।

(ii) विभिन्न द्वीपों के बीच दूसरी ड्यूटी पर काम करने वाले सभी सरकारी जहाजों की जल यात्राओं का प्रयोग विभिन्न डाकघरों के बीच डाक लाने ले जाने के लिए करने का मामला अभी इसलिए रुका पड़ा है क्योंकि द्वीप प्रशासन को शुल्क की अदायगी के प्रश्न का फैसला अभी नहीं हुआ है।

(iii) पोर्ट ब्लेयर में मोटर साइकल डिस्पैच राइडरों के जरिये तारों के वितरण के प्रश्न पर और पुलिस बेतार व्यवस्था के जरिये 100 रुपये तक के तार मनीआर्डर भेजने के प्रश्न की जांच की जा रही है। इन दोनों मामलों पर निर्णय जल्दी लिया जायेगा।

(iv) आशा है कि मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच बेतार तार/रेडियो टेलीफोन सम्पर्क की व्यवस्था 1972 के अन्त तक पूरी हो जायेगी।

(v) आशा है कि पोर्ट ब्लेयर और दूसरे द्वीपों पर पांच स्थानों के बीच बेतार तार/रेडियो टेलीफोन सम्पर्क की व्यवस्था इस वर्ष के अन्त तक पूरी हो जायेगी।

बिहार का औद्योगिक विकास

586. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य की सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास हेतु केन्द्रीय सरकार से अधिक सहायता की माँग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). बिहार सरकार से सहायता के लिये केन्द्रीय तथा राज्य की चतुर्थ योजना एवं वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित कार्यक्रमों के अतिरिक्त, कोई भी प्रार्थना न तो योजना आयोग को प्राप्त हुआ है न इस मंत्रालय को ही ।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्र

587. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये 1 अक्तूबर, 1971 को कितने आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े थे ;

(ख) 1 जनवरी, 1971 से 31 अक्तूबर, 1971 तक की अवधि में कुल कितने कनेक्शन दिए गए ; और

(ग) अनिर्णित अभ्यावेदनों के निपटारे के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 49402 ।

(ख) 8003 ।

(ग) वर्तमान विकास कार्यक्रम के अनुसार 1974-75 तक दिल्ली टेलीफोन प्रणाली में करीब 50,000 लाइनों की अतिरिक्त टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता की वृद्धि किये जाने की संभावना है ।

Waiting list for telephone connections at Indore, Ujjain and Dewas

588. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of persons on the waiting list at present for Telephone connections at Indore, Ujjain and Dewas ;

(b) the time by which they will be provided with Telephone connections ; and

(c) the action being taken in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahaguna) : (a) The waiting list at Indore, Ujjain and Dewas on 31-10-71 was as under :—

Indore	.....	1686
Ujjain	.....	72
Dewas	.....	41

(b) and (c). Steps are being taken to lay underground cables at Indore and to expend the existing exchange capacity at Ujjain and Dewas. It is difficult to indicate the time by which the entire waiting list is likely to be wiped out, but it is expected that the bulk of pending demands will be met with the next one year.

Pak nationals over staying in Madhya Pradesh after expiry of their Passports

589. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals still staying in Madhya Pradesh without passports after the period of their passports has expired ; and

(b) the number of persons staying in Indore and Ujjain after the expiry of the period of their passports ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Loss of life and Property in West Bengal due to Violent incidents

590. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the extent of loss of life and property sustained due to violent incidents during the President's rule in West Bengal and its affect on industrial production ; and

(b) the reaction of the Administration thereto and the steps taken by them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b). Government are aware of the adverse effects on industrial production of the abnormal law and order conditions in West Bengal, where the violent and unlawful activities of extremists and anti-social elements have caused considerable loss of life and property and created a climate of fear and uncertainty. But no estimates have been made of the value of loss of property. Information regarding loss of lives is being collected. All possible steps, administrative as well as developmental, are taken to restore normalcy and a favourable climate for productive activities in the State.

ठाकुर पेपर मिल्स समस्तीपुर बिहार का पुनः चालू किया जाना

591. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में ठाकुर पेपर मिल्स को पुनः चालू करने के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है और इसमें कब तक उत्पाद आरम्भ होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : अद्यतन स्थिति का बिहार सरकार से सुनिश्चय किया जा रहा है और जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आकाशवाणी का मिथला प्रसारण केन्द्र

592. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दरभंगा (बिहार) में आकाशवाणी के मिथला प्रसारण केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है तथा उक्त केन्द्र के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : ट्रांसमीटर तथा स्टुडियो के लिये स्थान अधिग्रहण कर लिये गये हैं। सिविल निर्माण कार्य शुरू करने के लिये प्रारम्भिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उपकरण प्राप्त करने के लिए इंडेंट भेज दिये गये हैं। आशा है यह परायोजना 1973-74 तक पूरी हो जाये ी।

बड़ौच जिले में माओ-विरोधी पर्चियों का पाया जाना

593. **श्री बालतण्डायुतम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 8 सितम्बर, 1971 को पुलिस ने बड़ौच जिले के बंग्रा तालुका के अम्फेटी गांव से चीनी भाषा में छपे कुछ माओ-विरोधी पर्चों को अपने अधिकार में लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो किन लोगों ने यह पर्चे प्रस्तुत किये तथा ये भारत तक कैसे पहुँचे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार पांच मील के क्षेत्र में बिखेरी गयी चीनी भाषा में कुछ पर्चियां 10 सितम्बर, 1971 को पडारिया, वाव, कडोड़ा. नारनवी तथा सम्भेती गांव के, जो सभी गुजरात राज्य के बडौच जिले के बंग्रा तालुका में हैं ग्राम वासियों द्वारा देखी गयी । जांच-पड़ताल करने पर पाया गया कि पर्चियों में राष्ट्रवादी चीन समर्थक तथा साम्यवादी चीन विरोधी प्रचार है । ऐसा प्रतीत होता था कि वे फारमूसा मूल के थे और चीन की मुख्य भूमि में भेजने के इरादे से बेलूनों द्वारा वायु में छोड़े गये थे तथा सम्भवत: बेलून प्रतिकूल मोसमी बहाव अथवा उन्हें छोड़ने के साधन की असफलता के कारण भारत में उड़कर आ गये थे ।

"ब्लिटज" में प्रकाशित गाँधी हत्या रहस्य शीर्षक वाले लेख

594. **श्री बालतण्डायुतम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "ब्लिट्ज" के 28 अगस्त, 1971 के तथा उससे आगे के अंकों में प्रकाशित "गांधी हत्या रहस्य" नामक क्रमबद्ध लेखों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). लेख श्री के० एल० गोबा द्वारा लिखित पुस्तक "महात्मा गांधी की हत्या" जो 1969 में प्रकाशित हुई थी में समाहित सामग्री पर आधारित हैं । महात्मा गांधी की हत्या के षड़यन्त्र की जांच आयोग द्वारा मामले की विस्तार से जांच की गयी है । आयोग की रिपोर्ट 28 जुलाई 1970 की सभा पटल पर रखी गई है ।

अमरीका द्वारा तैयार किए गए प्लास्टिक विस्फोटक पदार्थों सहित पाकिस्तानी जासूसों की आपस में गिरफ्तारी

595. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा बनाये गये प्लास्टिक विस्फोटक पदार्थों सहित कुछ पाकिस्तानी जासूस आसाम में हाल ही में गिरफ्तार किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की ओर अमरीकी सरकार का ध्यान दिलाया गया है ?

उप गृह मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भिवंडी दंगों के बारे में जांच रिपोर्ट

596. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय श्री मदन ने, जो मई, 1970 में भिवंडी में हुये दंगों की जाँच के लिए आयोग के रूप में नियुक्त किये गये थे अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । जांच पड़ताल अभी चल रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

नक्सलवादी, अभिशाप के कारण बंगाली फिल्म एक्टरों और व्यापारियों का बंम्बई को पलायन

597. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों के हमलों के भय से प्रसिद्ध बंगाली फिल्म एक्टर, उद्योगपति और अन्य व्यक्ति कलकत्ता से बम्बई का पलायन कर गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप बम्बई में आवासी फ्लैटों तथा कार्यालय आवासों के मूल्यों में पिछले तीन महीनों में 25 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है ; और

(ग) यदि हां तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हाल में कुछ प्रमुख बंगाली फिल्म कलाकार अपने व्यवसायिक कार्य के लिये बम्बई गये हैं। किसी प्रमुख व्यापारी का बम्बई में पलायन करने का मामला उनके ध्यान में नहीं आया है। प्रमुख फिल्म एक्टरों व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों का कलकत्ता से बम्बई पलायन करने की सूचना की पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कोई पुष्टि नहीं की है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार रिहायशी मकानों तथा कार्यालय भवनों के मूल्यों में वृद्धि का कारण कलकत्ता से पलायन ही नहीं माना जा सकता है। पिछले अनेक वर्षों में मूल्यों में लगातार वृद्धि, रिहायशी मकानों और कार्यालय भवनों की कमी का कारण सारे देश से भारी संख्या में लोगों का बम्बई जाना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में औद्योगिक नमक का मूल्य

599. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र राज्य में औद्योगिक अथवा रासायनिक नमक 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन बिक रहा है जब कि पश्चिम बंगाल में यही नमक 120 रुपये प्रति मीट्रिक टन बिक रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी नमक पैदा करता है लेकिन पश्चिम बंगाल को अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति पश्चिमी तट और तूती कोरन से करनी पड़ती है और विक्रय मूल्य में परिवहन व्यय भी मिला हुआ होता है। इन परिस्थितियों में मूल्य विभेद होना आवश्यम्भावी है।

मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड के शेयरों का बड़े व्यापार गृह द्वारा अर्जित किया जाना

600. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े व्यापार गृह से सम्बन्धित कुछ व्यक्ति मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड, जिसमें केन्द्रीय सरकार के अत्यधिक शेयर हैं, के शेयर प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बंध में कम शेयर-धारकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। लेकिन केंद्रीय सरकार का इस कम्पनी में कोई हिस्सा नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) कम्पनी के कार्यों पर किसी एक दल का नियंत्रण न हो सके इस बात का सुनिश्चय करने के लिए राज्य सरकार को विभिन्न सुझाव दिए गए हैं।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

Shri B. S. Bhaura : (Bhatinda) : Mr. Speaker, what about my Privilege motion.

अध्यक्ष महोदय : उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद लिया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा (लुधियाना) : श्रीमान्, मैं रक्षा मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"पंजाब में फरीदकोट और पिपली के बीच विस्फोटक सैनिक सामग्री से लदे हुए एक माल डिब्बे को उड़ा दिये जाने और सड़कों एवं पश्चिम बंगाल, असम तथा त्रिपुरा में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की रेल लाइनों को नुकसान पहुँचाये जाने का समाचार"

रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : 15 नवम्बर, 1971 को दोपहर 3 बज कर 32 मिनट पर एक सैनिक ट्रक में (जिसमें गोला-बारूद के बक्स थे), और जिसे एक खुले वैगन में लादा गया था, आग लग गई। यह घटना फरीदकोट के निकट पिपली पश्चिमी कलान फ्लैग स्टेशन के पास हुई। इसके फलस्वरूप कुछ गोला-बारूद में आग लग गई और वे फट गये। हमारी वर्तमान सूचना के अनुसार आग दुर्घटनावश लग गई थी और किसी तोड़-फोड़ की कार्यवाही का संदेह नहीं किया जा रहा है।

25 मार्च, 1971 से पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में, रेल मार्गों पर तोड़-फोड़ की 12 घटनायें घटी हैं। हमें उचित आधार पर यह विश्वास है कि इन घटनाओं के पीछे पाकिस्तानी तोड़-फोड़ करने वालों तथा जासूसों का हाथ है। सड़कों पर बने पुल तथा पुलियों को क्षति पहुँचाने की सात घटनायें भी इन राज्यों में घटी हैं।

माननीय सदस्यों को 15 नवम्बर को इस सदन में दिया गया वक्तव्य स्मरण होगा, जिसमें मैंने उस गम्भीर स्थिति का उल्लेख किया था जिसका कि हमें पाकिस्तान के सैनिक शासकों के षडयंत्र के कारण अपनी सीमाओं पर सामना करना पड़ रहा है। यह तोड़-फोड़ के कार्य, उनकी पूर्वनियोजित योजना का अंग है जिसका ध्येय इन सामरिक महत्व के क्षेत्रों में हमारी संचार व्यवस्था को अस्त-व्यस्त तथा जनता के बीच आतंक पैदा करना है। हमने इन घटनाओं को रोकने के लिए जन साधारण की रक्षा के हेतु और इस क्षेत्र में संचार व्यवस्था को कायम रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। बंगला देश के साथ हमारी सीमा पर संकटों के प्रति हम पूर्णरूप से जागरूक हैं और भारतीय नागरिकों की जान-माल की रक्षा के लिए हम सब संभव कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : यह संतोष का विषय है कि विस्फोट तोड़-फोड़ के कारण नहीं हुआ परन्तु यह चिन्ता की बात है कि हम अपने गोला बारूद को भी खुले वैगनों में भेजते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पिछले सात महीनों में केवल पूर्वी क्षेत्र में ही तोड़-फोड़ की 19 घटनायें हुई।

क्या रक्षा मन्त्री सदन को विश्वास दिलायेंगे कि भविष्य में तोड़-फोड़ की घटनायें यदि समाप्त नहीं होतीं तो कम अवश्य हो जायेंगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : खतरनाक विस्फोट पदार्थों के भेजने की एक प्रक्रिया है। उसमें कुछ भूल हो गई। रेलवे उसके कारण जानने के लिए जाँच करवा रही है।

भविष्य में तोड़-फोड़ की घटनायें रोकने के लिए आवश्यक क्षेत्रों में सतर्कता बरती जायेगी।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण) : शेख मुजीबुर्रहमान के बन्दी बनाये जाने के एक महीना बाद मुक्ति फौज ने बंगला देश को स्वतन्त्र करने के लिये पूरी चेष्टा आरम्भ कर दी। तब से ही पूर्वी क्षेत्र के कुछ भागों में तोड़-फोड़ की अधिक घटनायें होने लगीं। मैं समझता हूं कि गृह विभाग, राज्य आसूचना विभाग और सेना में कुछ सहयोग का अभाव है।

मैं समझता हूं राज्य आसूचना विभाग तथा अन्य आसूचना स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का समन्वय नहीं हो पाता। मैं रक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वी क्षेत्र के कुछ भागों में ठीक सूचना प्राप्त करने तथा तोड़-फोड़ को रोकने में असहयोग का सामना करना पड़ता है। यह तो स्पष्ट है कि तोड़-फोड़ करने वाले भारतीय नागरिक नहीं हैं परन्तु कुछ राजनीतिक गुप्तचरी के मामले में पकड़े गये थे। यदि तोड़-फोड़ के विशिष्ट स्थानों की ओर ध्यान दिया जाये तो पता चलता है कि नक्सलवादियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में ऐसी घटनायें होती हैं। अलीपुर द्वार में 9 नवम्बर को पकड़े गये विस्फोटक पदार्थों पर भारतीय आयुद्ध फैक्टरियों के चिन्ह थे। बहुधा ये तोड़-फोड़ करने वाले तोड़-फोड़ करने के बाद रेल द्वारा अन्यत्र चले जाते हैं और उन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाती। दुर्गापुर में 2 बसें जला दी गयीं। यदि सेना उस क्षेत्र में घेरा डाल लेती तो उसके बाद और बसें न जलाई जा सकती थी।

क्या मन्त्री महोदय को पता है कि तोड़-फोड़ करने वालों का प्रशिक्षण हाजीपुर में होता है तथा क्या पश्चिम पाकिस्तान में भी इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सम्बद्ध असूचना स्रोतों में कोई असहयोग नहीं तथा सूचनाओं में समन्वय भी किया जाता है। जहां भी जो सुधार अपेक्षित हैं, वे किये जाते हैं। हमें सूचना मिली है कि पाकिस्तान में एक दो नहीं अनेक स्थानों पर ऐसे प्रशिक्षण दिये जाते हैं और वहां से ही इन्हें योजनाबद्ध ढंग से कुछ क्षेत्रों में भेजा जाता है। हमें पता है कि यह क्षेत्र संवेदनशील है और उनमें निरन्तर सतर्कता आवश्यक है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम स्थिति की गम्भीरता के बारे में प्रबुद्ध हैं और अपेक्षित कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : पाकिस्तानी एजेंट इन तोड़-फोड़ की घटनाओं द्वारा हमारे रक्षा प्रतिष्ठानों, आसाम, मेघालय, मिजो पहाड़ियों और उत्तर बंगाल में विस्थापित कैम्पों की संचार व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। मुख्य रूप से उनका लक्ष्य आसाम मेल लिंक तथा राष्ट्रीय राजपथ है। करीमगंज क्षेत्र राष्ट्रीय राजपथएवं रेलवे की संचार व्यवस्था का मूल स्थल है। तोड़-फोड़ की अधिकांश घटनायें करीमगंज सिल्चर क्षेत्र में होती हैं।

यह बात साफ है कि तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां करने वाले बहुत से लोग भारतीय राष्ट्रिक हैं। करीमगंज सिल्चर क्षेत्र में पकड़े गये 64 व्यक्तियों में 54 भारतीय राष्ट्रिक हैं। खेद की बात है कि पकड़े गये 500 व्यक्तियों में 200 भारतीय हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार 5000 युवा

भारतीयों को बंगला देश में पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षणार्थ भेजा गया है। करीमगंज में पकड़े गये व्यक्तियों ने स्वीकार किया है कि विधान सभा सदस्य चौधरी जलील अहमद के घर पर तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों की तैयारी की जाती है। परन्तु उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण वह व्यक्ति अभी भी मुक्त है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री समर गुह : इस्लामपुर किशनगंज, सिल्चर और बदरपुर के क्षेत्रों में मुसलमानों का बहुत से लोगों पर प्रभाव है और उनका दृष्टिकोण पाकिस्तान बनने से पहले जैसा ही है। खेद की बात है कि हमारी सरकार अपने देश के नागरिकों के एक भाग को अपना दृष्टिकोण नहीं समझा सकी। भारतीय नागरिकों को पकड़ा जाना शर्म की बात है। नक्सलवादियों का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजी कोट) : भारतीय मुस्लिम लीग का इससे कोई संबंध नहीं है। लीग देश की सरकार के साथ है।

श्री समर गुह : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा में कितने पाकिस्तानी तोड़-फोड़ करने वाले तथा उनके सहयोगी पकड़े गये हैं। क्या सरकार ने रेलवे लाइनों एवं राष्ट्रीय राजपथों की रक्षा के लिये चल सुरक्षा दलों का गठन किया है अथवा ऐसा किया जायेगा ? क्या प्रभावित क्षेत्रों में जनता को गुमराह न किया जा सके, इस उद्देश्य से प्रचार अभियान को व्यापक बनाया जायेगा जिससे कि उन क्षेत्रों के अराष्ट्रीय तत्वों का सामना किया जा सके ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अपनी संचार व्यवस्थाओं की संरक्षण के लिये सभी संभव यत्न किये जा रहे हैं।

संबंधित क्षेत्रों में हमें जनता से पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। पाकिस्तान से कुछ एजेन्ट तोड़-फोड़ की कार्रवाहियां करते हैं। इन कार्रवाहियों के लिये किसी सम्प्रदाय विशेष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

डा० सरदीश राय और श्री मान सिंह भौरा के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार के बारे में
Re: Police Misbehaviour towards Dr. Saradish Roy and Shri B. S. Bhaura

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार के मामले में हम उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे जोकि इस सदन में पहले अपनाई जाती रही है।

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : मैं 9 नवम्बर, 1971 को एक घटना की, जिसमें कि पुलिस और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस ने एक गांव पर धावा बोला था और झोंपड़ियों को जलाने

तथा लूटपाट करने के पश्चात् 23 परिवारों को वहां से निकाल दिया गया। जानकारी प्राप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल में वीरभूम जिले में इलम बाजार थाना के अन्तर्गत काशीपुर गांव में गया था।

जब मैं वहां पहुँचा और कुछ महिलाओं के साथ बात कर रहा था तो गुजरात राज्य आरक्षित पुलिस के सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों के एक दल ने मुझे गालियां दीं और यह कहते हुए कि हम तुम्हें गांव का दौरा नहीं करने देंगे, मुझे सुल्तानपुर पुलिस कैम्प जाने के लिये बाध्य किया गया। वहां के पुलिस प्रभारी अधिकारी ने काशीपुर गांव जाने से रोका और जब हम पुनः काशीपुर गांव पहुंचे तो उक्त प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा भेजा हुआ एक दल हमारे पास आया।

संसद-सदस्य होने के नाते मेरे विशेषाधिकारों का हनन हुआ है क्योंकि, (1) मुझे गालियां दी गईं, (2) मेरी गतिविधियों में बाधा डाली गई और मुझे काशीपुर गांव जाने से रोका गया।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : हम यह नियम अपनाते रहे हैं कि पहले सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जाये और फिर मैं पूरे मामले पर अपना विनिर्णय देता हूं।

श्री मान सिंह भौरा (भटिंडा) : मैं भी विशेषाधिकार के निम्न मामले की सूचना देता हूं :

27 अगस्त, 1971 को मुक्तसर, जिला फिरोजपुर में पुलिस ने उन छात्रों पर गोली चलाई जो पुलिस ही की पहली ज्यादतियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और जब मैं तीन घायल छात्रों को अपनी कार में अस्पताल में ले जाने लगा तो पुलिस इंसपैक्टर जसमेर सिंह ने डी० एस० पी० के सामने मुझे अपशब्द कहे और उन छात्रों को कार से घसीट कर बाहर निकाला और मेरी कार का हैण्डल तोड़ दिया और कहा कि वह किसी कि परवाह नहीं करता। अतः मेरे विचार से पुलिस ने संसद-सदस्यों के विशेषाधिकार भंग किए हैं।

मैंने पहले भी इस बारे में लिखा है, उस पर भी आप ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर भी मेरा पहले दिया गया निर्णय लागू होता है।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे

योजना मन्त्री और विज्ञान और औद्योगिकी विभाग के मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के वर्ष 1970 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति तथा वर्ष 1969-70 के लेखापरीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखता हूँ। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—991/71]**

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (दिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय टेलीग्राफ (तीसरा संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 26 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 971 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय टेलीग्राफ (आठवां संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई, 1971, में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1024 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय टेलीग्राफ (नौंवां संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1049 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय टेलीग्राफ (छठा संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1131 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय टेलीग्राफ (बारहवाँ संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1210 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये** संख्या एल० टी०—992/71]

(2) भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के बीच किये गए ऋण करार (तीसरी दूर-संचार परियोजना) की अनुसूची 4 के पैरा 2 के अनुसरण में भारतीय डाक-तार विभाग की दूर-संचार शाखा के वर्ष 1969-70 के लाभ और हानि के लेखे तथा संतुलन-पत्र (प्राप्ति के आधार पर) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—993/71]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहसिन) : **श्री राम निवास मिर्धा** की ओर से मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय वन सेवा (आरम्भिक भर्ती) दूसरा संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 1052 में प्रकाशित हुये थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1112 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1113 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) (तेरहवां संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई, 1971, में अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० 1114 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) जी०एस०आर० 1115, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें अधिसूचना संख्या 1/24/71 ए०आई० एस० (दो) दिनांक 29 मई, 1971 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) बारहवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1177 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन, नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1178 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) चौदहवां संशोधन विनियम, 1969, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2ˎ अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1231 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) चौथा संशोधन, नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1267 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) चौथा संशोधन, नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1268 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आपात कमीशनप्राप्त तथा अल्प-सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1269 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय पुलिस सेवा (आयात कमीशनप्राप्त तथा अल्प-सेवा कमीशनप्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन, विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1270 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय वन सेवा (भर्ती) चौथा संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1271 में प्रकाशित हुये थे ।

(चौदह) भानतीय वन सेवा (सेवामुक्त आपात कमीशनप्राप्त और अल्प-सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० 1272 में प्रकाशित हुए थे ।

(पंद्रह) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1273 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) दूसरा संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1275 में प्रकाशित हुद थे ।

(सत्रह) जी०एस०आर० 1276, जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुये थे तथा जिसमें अधिसूचना सख्या /27/71-ए आई एस (एक), दिनांक 15 मई, 1971 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

(अट्ठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 2 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1432 में प्रकाशित हुये थे ।

(उन्नीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1971 का चौदहवां संशोधन, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 अक्तूबर 1971में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1502 में प्रकाशित हुआ था ।

(बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) तेरहवां सशोधन विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1503 में प्रकाशित हुए थे ।

(इक्कीस) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1504 में प्रकाशित हुये थे । [**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए** संख्या एल०टी०—994/71]

(2) सीमा सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 146 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस०ओ० 2843 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 1971 में प्रकाशित हुई थी । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल०टी०—995/71]

ट्रैक्टर (वितरण और बिक्री) नियंत्रण आदेश

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (८) के अन्तर्गत ट्रैक्टर (वितरण और बिक्री) नियन्त्रण आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3258 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी०—996/71]

मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम तथा नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहसिन) : श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) मंत्रियो के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के के अन्तर्गत मंत्रियों के (भत्ते चिकित्सीय उपचार तथा अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1109 क में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी०—997/71]

(2) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अर्न्तगत नागरिकता (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना सख्या जी०एस०आर० 1347 में प्रकाशित हुये थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी०—998/71]

बम्बई सिनेमा (गुजरात पहला संशोधन) नियम

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ, पठित, बम्बई सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत बम्बई सिनेमा (गुजरात पहला संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखती हूं, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 1 मई, 1971 में अधिसूचना सख्या जी/एच/जी/63/बीसीआर-3270/7291-ए में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल०टी०—699/71].

Review Report of National Small Industrial Corporation Ltd., New Delhi

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act. 1956 :—

(1) Review by the Government on the working of the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi, for the year 1969-70.

(2) Annual Report of the Natioanal Small Industries Corporation Limited, New Delhi, for the year 1969-70 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No, LT—999/71]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILL, AND RESOLUTIONS

छठा प्रतिवेदन

श्री यमुना प्रसाद मण्डल (समस्तीपुर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

सातवां आठवां और नवां प्रतिवेदन

श्री के० एन० तिवारी (बेतिया) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) संसदीय कार्य नौवहन और परिवहन मंत्रालय—सीमावर्ती सड़कों—के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 112वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सातवां प्रतिवेदन ।

(2) गृह मंत्रालय —अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र – के सम्बन्धों में प्राक्कलन समिति के 128वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में आठवां प्रतिवेदन ।

(3) वित्तमंत्रालय—व्यय की कतिपय मदों के लिये बजट व्यवस्था के अन्तरण—के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 131वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में नौवां प्रतिवेदन ।

———

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बोकणम): लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(1) पूर्त्त और धार्मिक न्यासों के सम्बन्ध में समिति के 121वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बारहवां प्रतिवेदन ।

(2) गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग के सम्बन्ध में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1969 सम्बन्धी समिति के 107वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन ।

———

निर्वाचन विधि में संशोधनों सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON AMENDMENTS TO ELECTION LAW

श्री जगन्नाथ राव (छतर पुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा निर्वाचन विधि में संशोधन सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को 15 दिसम्बर, 1971 तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा निर्वाचन विधि में संशोधनों सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को 15 दिसम्बर, 1971 तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के बारे में

RE : DEARNESS ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आप को याद होगा कि पिछले सत्र में कुछ सदस्यों ने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव द्वारा मांग की थी कि क्योंकि जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक 225 तक पहुँच गया है इसलिये मौजूदा सत्र के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महगाई भत्ते में वृद्धि की जानी चाहिये इस पर श्री के० आर० गणेश ने श्री चह्वाण की अनुपस्थिति मे बताया था कि तीसरे वेतन आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के अनुसार यह अक 228 तक पहुंचने पर ही भत्ता बढ़ाया जा सकता है।

यद्यपि अब भी मेरा विचार है कि यह वृद्धि 225 पर दी जानी चाहिये थी, फिर भी अब जबकि यह संख्या 228 तक पहुँच गई है, सरकार अपने कर्मचारियों को इस भत्ते से अब वंचित नहीं रख सकती। अत: मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यह सच है कि सूचकांक 228 तक पहुँच चुका है और वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हम स्थिति पर पुनर्विचार कर रहे हैं। बस मैं इतना ही बता सकता हूँ।

श्री एस० एम० बनर्जी : पुनर्विचार का तो प्रश्न ही नहीं है। 228 तक पहुँचने पर महंगाई भत्ता तो देना ही होगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पुनर्विचार के लिये पहला कदम हम उठा चुके हैं और वेतन आयोग की सलाह मांगी गई है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इसमें सलाह लेने का प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट सिफारिश दी है कि.....

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे पता होता कि आप इसे वाद-विवाद में बदल देंगे तो मैं इसकी अनुमति ही नहीं देता। अब मैं और किसी बात की आज्ञा नहीं दे सकता।

———

कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक—जारी

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL—CONTD.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : जैसा कि मैं कल कह रहा था, कानून ऐसा होना चाहिये कि ईमानदार और निरपराध लोगों को तंग न किया जा सके। इसलिये जहाँ मैं करों के अपवंचन को रोकने के प्रयत्न की सराहना करता हूं। वहां मैं चाहता हूं कि इस लोगों को फंसाने के लिये हथियार के रूप में प्रयोग में न लाया जाए क्योंकि इस बात की काफी सम्भावना है। अब तक जितने भी कानून बने हैं, दण्ड सदा ही छोटे-मोटे अपराधियों या निर्दोष व्यक्तियों को ही मिला है। मगरमच्छ सदा बच निकलने में सफल होते रहे हैं। क्योंकि यहां सब कुछ बिकाऊ है।

श्री चव्हाण : अपने नाम का प्रस्ताव पेश करने से पूर्व मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। अनेक सदस्यों के भाषण सुन कर मैंने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का सुझाव मान लिया है। यह कहना गलत है कि इस विधेयक की भाषा त्रुटिपूर्ण है। हाँ, जो कमियां हैं उन पर प्रवर समिति में विचार किया जा सकता है।

श्री साल्वे ने कराधान विधि विशेषज्ञ के नाते कुछ बातें कही हैं परन्तु इस मामले के सांविधिक पहलू भी हैं। फिर भी विधेयक को अधिक व्यापक बनाने और त्रुटियां दूर करने के लिये सरकारी संशोधन तैयार किये जा रहे हैं।

द्रविड मुन्नेत्र कषगम के प्रतिनिधि सदस्य ने दान में दी गई सम्पति के बारे में भी मूल्यांकन की बात कही है, तो इस पर समिति में चर्चा की जा सकती है। वास्तव में सम्पत्ति के मूल्य का उल्लेख ही इस विधेयक का आधार है। माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी बातों का उत्तर तो मैं यहां नहीं दूंगा परन्तु इतना कहूँगा कि इन सभी बातों पर विचार कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पहले ही परिचालित किया जा चुका है।

वित्तमंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे कुछ नाम बदलने हैं।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मेरा सुझाव है कि मेरे स्थान पर श्री मोदी का नाम रखा जाये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : हम चाहते हैं कि मुकर्जी के स्थान पर श्री बालतंडायुतम का नाम रखा जाये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ठीक है।

श्री आर० पी० बड़े (खरगोन) : श्री झुनझुनवाला के स्थान पर श्री वीरेन्द्र अग्रवाल को शामिल किया जाए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्री नटवर लाल पटेल के स्थान पर श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा और श्री डागा के स्थान पर श्रीमती सहोदरा बाई राय का नाम शामिल करने का प्रस्ताव दल से प्राप्त हुआ है।

समिति अपना प्रतिवेदन 15 दिसम्बर, 1971 तक दे दे ताकि इसे इसी सत्र में पास किया जा सके।

मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि आय कर अधिनियम, 1961 धन कर अधिनियम, 1957 तथा दान कर अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 30 सदस्यों की, अर्थात् :—

(1) श्री भागवत झा आजाद
(2) श्री छोटे लाल
(3) श्रीमती सहोदराबाई राय
(4) चौधरी दलीप सिंह
(5) श्री आनन्दी चरण दास
(6) श्री पीलू मोदी
(7) श्री के० आर० गणेश
(8) श्री एच० आर० गोखले
(9) श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
(10) श्री चीरंजीव झा
(11) श्री वीरेन्द्र अग्रवाल
(12) श्री दिनेश जोरदार
(13) श्री ए० केवीचुसा
(14) श्री के० मालन्ना
(15) श्री नागेश्वरराव मेदुरी
(16) श्री के० बालतण्डायुत्म
(17) श्री तारकेश्वर पाण्डेय
(18) श्री सतेन्द्र एन० सिन्हा
(19) चौधरी राम सेवक
(20) श्री राम सूरत प्रसाद
(21) श्री वीरेन्द्र सिंह राव
(22) श्री पी० नर्रसिहा रेड्डी
(23) श्री मुल्की राज सैनी
(24) श्री एन० के० पी० साल्वे
(25) श्री एस० सी० सामन्त
(26) श्री ईरा सेझियान

(27) श्री शिवपूजन शास्त्री

(28) श्री टी० सोहन लाल

(29) श्री वी० तुलसीराम और

(30) श्री यशवन्तराव चव्हाण

एक प्रवर समिति को दिसम्बर, 1971 के पन्द्रहवें दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायतों के साथ सौंपा जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रवर समिति के सदस्यों के नामों में परिवर्तन किया गया है । मैं संशोधन संख्या 11 को संशोधित रूप में सभा के मतदान के लिए रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"कि आय कर अधिनियम, 1961 धन कर अधिनियम, 1957 तथा दान कर अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 30 सदस्यों की, अर्थात् :

(1) श्री भगवत झा आजाद

(2) श्री छोटे लाल

(3) श्रीमती सहोदराबाई राय

(4) चौधरी दलीप सिंह

(5) श्री आनन्दी चरण दास

(6) श्री पीलू मोडी

(7) श्री के० आर० गणेश

(8) श्री एच० आर० गोखले

(9) श्रीमती वी० जयलक्ष्मी

(10) श्री चिरंजीव झा

(11) श्री वीरेन्द्र अग्रवाल

(12) श्री दिनेश जोरदार

(13) श्री ए० केवीचुसा

(14) श्री के० मालन्ना

(15) श्री नागेश्वरराव मेदुरी

(16) श्री के० बालतण्डायुत्म

(17) श्री तारकेश्वर पाण्डेय

(18) श्री सतेन्द्र एन० सिन्हा

(19) चौधरी राम सेवक

(20) श्री राम सूरत प्रसाद

(21) श्री वीरेन्द्र सिंह राव

(22) श्री पी० नरसिंहा रेड्डी

(23) श्री मुल्की राज सैनी

(24) श्री एन० के० पी० साल्वे

(25) श्री एस० सी० सामन्त

(26) श्री ईरा सेझियान

(27) श्री शिवपूजन शास्त्री

(28) श्री टी० सोहन लाल

(29) श्री वी० तुलसीराम और

(30) श्री यशवन्तराव चव्हाण

एक प्रवर समिति को दिसम्बर, 1971 के पन्द्रहवें दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायतों के साथ सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर सात मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Seven minutes past Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

भाषायी अल्प-संख्यकों के आयुक्त के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: ELEVENTH REPORT OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"भाषायी अल्प-संख्यकों के आयुक्त के 1 जुलाई, 1968 से 30 जून, 1969 की अवधि के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर, जो 31 जुलाई 1970 को सभापटल पर रखा गया था, विचार किया जाये।"

समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर किये गये निर्णयों, विशेषकर अगस्त, 1961 में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों तथा केन्द्रीय मन्त्रियों के बीच हुई बैठक मे लिए गये निर्णयों के आधार पर शिक्षा, पाठ्य पुस्तकों, अध्यापकों तथा सरकारी प्रयोजनों हेतु भाषा के प्रयोग तथा सरकारी सेवाओं आदि में भर्ती के लिए भाषायी अल्प संख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों के लिये विशिष्ट योजनाएं बनाई गई हैं।

संविधान के अनुच्छेद 350 'ख' के अनुसार भाषायी अल्प-संख्यकों के आयुक्त का पद जुलाई 1957 में बनाया गया था। आयुक्त तथा उसके अधीनस्थ अधिकारी भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने संबंधी सभी मामलों की जांच करते हैं। जांच के परिणामों का आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाता है। इन प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता हैं तथा इनको सभा पटल पर रखा जाता है। विभिन्न सुरक्षा उपायों की क्रियान्विति की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है न कि आयुक्त की।

पहले सात प्रतिवेदनों पर संसद की दोनों सभाओं में चर्चा हो चुकी है। आयुक्त के ग्यारहवें प्रतिवेदन में उन्हीं विषयों को लिया गया है जिनको 8वें से 10वें प्रतिवेदनों में लिया गया है। अतः ग्यारहवें प्रतिवेदन पर ही चर्चा करना उचित समझा गया है। यह प्रतिवेदन 31 जुलाई, 1970 को सभा पटल पर रखा गया था।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रतिस्थापन प्रस्ताव संख्या 1 तथा 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : कुछ सिफारिशों सहित प्रतिवेदन का सरकार को प्रस्तुत किया जाना तथा उसपर संसद में चर्चा किया जाना एक रोजमर्रा का कार्य बन गया है। इस सब के बावजूद भाषायी अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ अधिक नहीं किया गया है। 1949 के शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि यदि कक्षा में दस विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी मातृ भाषा प्रादेशिक भाषा से भिन्न है और अगर सारे स्कूल में चालीस ऐसे विद्यार्थी है तो उनके लिए अध्यापक नियुक्त कर उनको मातृ भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा प्राइमरी शिक्षा के लिये था और माध्यमिक शिक्षा के बारे में यह निर्णय लिया गया था कि यदि स्कूल के एक तिहाई विद्यार्थियों की मातृ भाषा प्रादेशिक भाषा से भिन्न है तो उनके लिये पृथक प्रबन्ध किया जाना चाहिये। यह भी कहा गया था कि यह निर्णय सभी राज्य सरकारों, नगर पालिकाओं तथा जिला बोर्डों के लिए बाध्य है। परन्तु किसी भी राज्य में इनको क्रियान्वित नहीं किया गया है। भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। पूंजीपतियों तथा निहित हितों द्वारा चलाई जा रही सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा नहीं की जा सकती।

सभी प्रतिवेदनों को पढ़ने के पश्चात मुझे ऐसा लगा है कि आयुक्त राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे कार्यों से संतुष्ट है।

मैं अन्य राज्यों के बारे में तो नहीं परन्तु अपने राज्य के बारे में कह सकता हूं कि निर्णयों को कभी क्रियान्वित नहीं किया गया। वहां पर ऐसे अनेक स्कूल हैं जिसके विद्यार्थी त्रिपुरी भाषा बोलते हैं। परन्तु ऐसे स्कूलों में भी त्रिपुरा सरकार त्रिपुरी भाषा का अध्यापक नियुक्त करने में अनिच्छुक है। यह ठीक है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ

आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं परन्तु इससे स्थिति में सुधार होने वाला नहीं है। भाषायी अल्पसंख्यकों का एक वर्ग वह है जिनकी भाषा को राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त है और दूसरा वर्ग वह है जिसकी भाषा को राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। दोनों की समस्याओं का अलग अलग ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। इस बारे में प्रतिवेदन में सुझाव दिए गये हैं। आयुक्त ने उन लोगों की समस्याओं पर जिनकी भाषा को सरकार द्वारा प्रादेशिक भाषा स्वीकार नहीं किया गया है, कोई ध्यान नहीं दिया है। उनको प्रादेशिक स्वायत्तता दी जानी चाहिये ताकि ने अपनी भाषा को प्रादेशिक भाषा के रूप में विकसित कर सकें। स्वायत्तता से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि वे भारत से निकल जायें। वे भारत का ही अंग बने रहेंगे। इन लोगों की समस्याओं को अलग ढंग से सुलझाया जाना चाहिए।

उर्दू एक विकसित भाषा है। परन्तु यह किसी राज्य की भाषा नहीं है। परन्तु यह सुझाव है कि वहां दस अथवा इससे अधिक विद्यार्थी हों। उनके लिए एक पृथक अध्यापक नियुक्त कर उनको उर्दू में ही शिक्षा दी जानी चाहिये। इस समस्या को कोई अधिकारी, चाहे वह कैसा ही अधिकारी क्यों न हो। हल नहीं कर सकता। वहां के लोगों को प्रादेशिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

*श्री जे० एम० गौडर (नीलगिरि) : भारत में भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जुलाई, 1968 से जून, 1969 तक के वर्ष का ग्यारहवां प्रतिवेदन चर्चा के लिय सामने आया है।

वर्ष 1968-69 का यह प्रतिवेदन चर्चा के लिए अब 1971-72 में पेश किया गया है। इसमें विलम्ब से यह सिद्ध होता है कि सरकार भाषायी अल्पसंख्यकों के कल्याण में कितनी रूचि लेती है। इसके साथ साथ यह भी प्रतीत होता है कि सरकार भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर गम्भीरता से विचार नहीं करती। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि इस सदन में इन प्रतिवेदनों पर केवल कृत्रिम चर्चा होती है जिसके बाद ये सचिवालय की रद्दी की टोकरियों में फैंक दिये जाते हैं या राष्ट्रीय अभिलेखागार में भेज दिये जाते हैं। इन प्रतिवेदनों में की गयी सिफारिशें कभी भी कार्यान्वित नहीं की जाती। मैं यह चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन की भी ऐसी ही दशा न हो।

इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर भाषायी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सम्बन्धी स्वीकृत योजनायें सब राज्यों ने मान ली तथा कार्यान्वित कर ली हैं या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं इस बात को मानता हूँ कि आयुक्त इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रशासनिक यंत्र के रूप में काम नहीं कर सकता लेकिन इस कार्य के लिये रास्ते में आने वाली कठिनाईयों की वे जांच कर सकते हैं। आयुक्त के पास स्टाफ इतना कम है कि वह अपना काम प्रभावशाली ढंग से नहीं कर सकता। यदि सरकार संविधान में उल्लिखित सुरक्षा उपायों को कार्य रूप देना चाहती है तो स्टाफ में वृद्धि करना जरूरी है।

यदि राज्य सरकारें रुचि से काम लें तो कई सिफारिशें लागू हो सकती हैं। तमिलनाडु सरकार इस दिशा में काफी रुचि का परिचय दे रही है। यह निर्णय आखिल भारतीय स्तर पर

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त रूपान्तर

*Summarised Translated version of English translation of speech delivered in Tamil.

लिया गया था कि क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान राज्य सेवाओं में भर्ती होने के लिये अनिवार्य नहीं हो। लेकिन यह खेद की बात है कि महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकारों ने इस निर्णय को नहीं माना। राष्ट्रीय एकता के हित में यदि कोई काम करना है तो इसे राजनैतिक भावनाओं से ऊपर उठकर करना चाहिये। यदि कोई राज्य इन सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित नहीं करता है, तो यहां से सत्तारूढ़ दल को सख्त आदेश जारी करने चाहियें। प्राय: देखा गया है कि राज्य सरकारें भाषायी अल्पसंख्यकों के कल्याण में रुचि नहीं लेतीं और केन्द्रीय सरकार भी इस काम में ढील डालती है। भारत बहु-भाषी देश है, जिस के लिये राष्ट्रीय एकता अनिवार्य है। यदि भाषायी अल्पसंख्यकों की इस प्रकार उपेक्षा की गयी, तो राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना सम्भव नहीं। राज्य सरकारें भाषायी अल्पसंख्यकों के कल्याण में उसी दशा में रुचि दिखा सकती हैं, यदि हर राज्य में भाषायी अल्पसंख्यक उपायुक्तों की नियुक्ति की जाये।

Shri R. V. Bade (Khargone) : This report comes up for discussion every year. Safeguards laid down in the constitution for the welfare of linguistic minorities are not being implemented.

I will only speak about the problems faced by the linguistic minorities in Madhya Pradesh. Hindi, English, Urdu, Sanskrit and Marathi languages are spoken in the urban areas of Madhya Pradesh. The language of the hilly and tribal areas, having population of 67 lacs, differs from the urban areas. No provision has so far been made about Halvi and Gouda languages.

It has been stated at page 282 of the report that no provision has been made to teach the languages of minorities and tribal people at the secondary education level. The Commissions are appointed to go into the problems of the minorities and these Commissions do not give concrete advice. It we want to help the linguistic minorities, we shall have to write books in their language to make them understand their culture etc. The Madhya Pradesh Government has been neglecting the interests of linguistic minorities. No provision has been made to teach the languages of the minorities. Nothing has been made to teach the Halwi language of Bastar.

I have no objection to Urdu language is written in devnagri. Nothing is being Idone to teach Urdu also. The languages of the minorities should also prosper with Hindi. tn Madhya Pradesh no steps are being taken to teach the languages of the minorities at he secondary education level.

The Commissioner for Linguistic Minorities should be empowered to ask the reasons for non-implementation of his recommendations.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : भारतीय संघ के राज्यों की सीमाओं को भाषायी, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से आँकने के लिये 954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गयी थी। इस आयोग की रिपोर्ट के फलस्वरूप भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्या उभर कर सामने आयी। स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के प्रयत्नों से भाषायी अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संविधान में कई उपबन्ध किये जाये। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त को यह देखने का दायित्व सौंपा गया कि इन अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक न समझा जाये। भाषायी अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी जो रिपोर्टें अब तक सदन के सामने आयी हैं और जो कदम इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये उठाये गये हैं, उसे देखते हुए मैं यही कहूंगा कि भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त की नियुक्ति का उद्देश्य निरर्थक ही सिद्ध हुआ है।

भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का पद केवल पराजित राजनीतिज्ञों के लिए आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने भी इस रिपोर्ट के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई और केवल यह कह कर संतोष कर लिया कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। प्रश्न यह है कि यदि यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली जानी थी तो इलाहाबाद में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी तथा उसके अधीन कई अधिकारी नियुक्त करने का प्रयोजन क्या था? इस रिपोर्ट में कुछ जबरदस्त गलतियां की गई हैं। भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त को इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि बिहार में उड़िया बोलने वालों की संख्या लगभग दो या तीन लाख है। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि आयुक्त ने इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करते समय इसे पढ़ा होता तो निश्चय ही वह इस गलती को पकड़ सकते थे। फिर एक ओर बिहार में उड़िया भाषी अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, परन्तु दूसरी ओर अर्थात पृष्ठ 22 के पैरा 134 में उनके लिए शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था का उल्लेख है। उड़िया भाषी जनता को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। इस कार्यवाही के विरुद्ध भूख हड़ताल और धरना दिया जा रहा है। फिर उड़िया भाषी जनता को रोजगार के अवसर नहीं दिए जाते हैं। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त को इन मामलों की केवल जांच ही नहीं करनी चाहिए बल्कि इन तथ्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देनी चाहिए। गृह मन्त्रालय अथवा राष्ट्रपति को राज्य सरकारों को निदेश जारी करना चाहिये कि वह संविधान के उपलब्धों को क्रियान्वित करे।

आन्ध्र प्रदेश में भी उड़िया भाषी अल्पसंख्यक हैं परन्तु उन्हें उपयुक्त संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आन्ध्र प्रदेश में उड़िया भाषी अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे, विशेषकर जबकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? अतः आंध्र प्रदेश और बिहार में उड़िया भाषी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : वृहत कलकत्ता में काम करने वाले उड़िया भाषी लोगों की संख्या लगभग 6 लाख है। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें बंगाली भाषा नहीं सीखनी चाहिए? उन्हें बंगाली अवश्य सीखनी चाहिए। परन्तु वहां पर उड़िया भाषी लोगों के लिए उड़िया में शिक्षा ग्रहण करने की सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहियें। इस सम्बन्ध में डा० बी० सी० राय और श्री पी० सी० सेन के साथ बातचीत की गई थी। इसका परिणाम यह निकला कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में उड़िया भाषा का अध्ययन समाप्त कर दिया गया। अब यदि अल्पसंख्यक आयुक्त पश्चिम बंगाल सरकार से यह कहे कि ये 6 लाख उड़िया भाषी लोग अपने बच्चों को बंगाली के अतिरिक्त उड़िया भाषा भी सिखाना चाहते हैं, तो इसमें क्या हानि है और राज्य सरकार को इस प्रस्ताव पर सहमत होने में क्या आपत्ति हो सकती है? यदि सरकार इस बात पर जोर दे कि सभी लोगों के लिए मातृ भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए तो यह समस्या हल हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण अगले दिन जारी रखे। अब पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चर्चा होगी।

पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था की स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : LAW AND ORDER SITUATION IN WEST BENGAL

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड) हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति तथा उसमें पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सरकारी तन्त्र और समाज-विरोधी तत्वों के एक वर्ग की भूमिका पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है।"

अभी परसों की बात है कि दुर्गापुर में एक हैडमास्टर को उसी के स्कूल में जिन्दा जला दिया गया था। शासक दल सरकारी तन्त्र के माध्यम से आतंक और गुंडागर्दी फैला रहा है। वे पश्चिम बंगाल में जनता के लोकतन्त्रात्मक आंदोलन को कुचल देने के लिए जोरदार प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार निहित स्वार्थों के दबाव के कारण यह कार्यवाही कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इन फासिस्ट तरीकों को समय पर नहीं रोका गया तो समस्त देश में फासिस्टवाद फैल जायेगा। वामपक्षी दलों ने मिलकर प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निहित स्वार्थों के विरुद्ध आन्दोलन चलाया था जबकि शासक दल उनके हितों की रक्षा करता है। आज बंगाल की जनता को जीवननिर्वाह की अधिक लागत, बेरोजगारी, पुलिस के दमन आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 1971 के चुनावों से पूर्व 'क्रश डेमोक्रेसी' कार्यक्रम तैयार किया गया था और सब ओर आतंक फैलाया गया था और बहुत से क्षेत्रों में तो हम चुनावों से पूर्व दाखिल भी नहीं हो सके थे। इसके साथ शासक कांग्रेस द्वारा नियंत्रित आकाशवाणी और प्रैस का हमें बदनाम करने का प्रचार भी जोरों पर था। फिर हेमन्त कुमार बसु और अजीत बिस्वास की हत्या कर दी गई और यह स्पष्ट हो गया कि इन हत्याओं के पीछे किन लोगों का हाथ था। आप ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि इस सम्बन्ध में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, वह फारवर्ड ब्लाक का था। यह आरोप लगाया गया है कि उसने फारवर्ड ब्लाक के दूसरे नेता अर्थात अजीत बिस्वास की हत्या की थी। अब जनता को पता चला है कि प्रधान मन्त्री ने उदारतापूर्वक धन दिया है और गृह मंत्री ने हथियार और विस्फोटक पदार्थ सप्लाई किये हैं। यह सारा काम केन्दीय सरकार ने किया है। इस चुनावपूर्व दमन के बावजूद हमें जबरदस्त समर्थन मिला और हमारे सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। फिर शासक दल ने हत्याओं को रोकने और जन संघर्ष को रोकने के विचार से कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट) को अलग-थलग करने का प्रयास किया। अब उन्होंने गुंडागर्दी को और भी तेज कर दिया है। इस अभियान में हमारे 500 साथियों की हत्या की गई है। आज पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक दल बहुमत वाले दल पर शासन कर रहा है। वे निवारक निरोध अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, धारा 144 और कर्फ्यू आदि का प्रयोग कर रहे हैं। वे राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हजारों मामले दर्ज कर रहे हैं और प्रतिदिन गिरफतारियां की जाती हैं। सरकार के पास जनसाधारण को रोजगार देने के लिए धन नहीं है परन्तु वह पुलिस पर इतना अधिक व्यय कर सकती है। पुलिस ने एक अल्पावधि योजना बनाई है जिस पर 6 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। गृह मन्त्रालय ने कलकत्ता में एक स्पैशल सैल बनाया है। केन्दीय सरकार इस सैल के काम पर निगाह रखेगी।

मजदूर संघों को कुचलने का एक और कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड ने एक परिपत्र जारी किया है। इस सम्बन्ध में श्री ज्योति बसु ने रेल मंत्री को भी

एक पत्र लिखा है परन्तु उसका भी उत्तर नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में मजदूर संघों को कुचलने के लिए राज्य सरकार के 13 और केन्दीय सरकार के 32 कमचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। कांग्रेस दल के नक्सलवादी मित्रों की, जिन्हें अब तक सरक्षण दिया जाता था, हत्या कर दी गई है या जेल में बन्द कर दिया गया है। पुलिस नक्सलवादियों को कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट) के साथ लड़ाती रही है। हाल ही में एक कुख्यात नक्सलवादी नेता श्री नगोड़ा कुर्मी एक डिप्टी मजिस्ट्रेट के घर से गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ-साथ जिन संस्थाओं पर अब तक नक्सलवादियों का प्रभाव था, अब वे छात्र परिषद के प्रभाव में आने लगी हैं। इससे पता चलता है कि जो संगठन हमारे खिलाफ काम कर रहा था, अब वह कांग्रेस संगठन के साथ मिल गया है। प्रतिदिन पुलिस की राइफलें गायब हो जाती है और जब कभी कोई गड़बड़ होती है, उनका खुलकर प्रयोग किया जाता है। पुलिस जहां हजारों गोलियों का प्रयोग करती थी, अब लाखों गोलियों का प्रयोग करती है। पुलिस की कार्य प्रणाली यह है कि वह लोगों के घरों में जबरदस्ती घुस जायेगी, तलाशी लेगी, लोगों को मारे पीटेगी और उन्हें गिरफ्तार करेगी, उनकी हत्या करेगी अथवा उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे चलायेगी। पुलिस का कॉंग्रेस, युवा कांग्रेस, छात्र परिषद के अपराधियों के गिरोहों के साथ साठगांठ है। इस संयुक्त कार्यवाही में वे लोगों की हत्या कर रहे हैं उनका अपहरण कर रहे हैं. लोकतांत्रिक संघों और किसान आंदोलनों को कुचल रहे हैं। इसके साथ ही वे कांग्रेस, युवा कांग्रेस, छात्र परिषद और समाज विरोधी तत्वों को संरक्षण दे रहे हैं। पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को अपराधियों के हवाले कर देती है। फिर वह पैसा भी खूब बना रही है।

उद्देश्य स्पष्ट है। केवल विरोधी दलों को कुचलने का है। जो काम शांति और व्यवस्था कायम करने के नाम से हो रहा है उससे आतंक का राज्य कायम हो रहा है क्योंकि गत चुनावों में सी० पी० एम० बहुमत में आया था। जो कुछ आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वह हमारे देश में भी हो रहा है।

इस प्रकार के कुकर्म ऐसे क्षेत्रों में हो रहे हैं जहां अन्य दलों की अपेक्षा पिछले चुनावों में हमारी स्थिति अच्छी रही थी। सी० आर० पी० और पुलिस के निर्मम अत्याचारों से बूढ़ी औरतें तथा अबोध बच्चे भी नहीं बच पाते। मारपीट गिरफ्तारी तथा गोलीबारी आदि आदि का तांता एक तरह से चलता ही रहता है। बर्दवान शहर में हाल में 15 हत्यायें हुई हैं, हमारा मुकदमा लड़ने वाले विपुतोष राय नामक एक वकील की हत्या की गई। 8-10-71 को दुर्गापुर में इन्होंने जो अजीत मुखर्जी पर आक्रमण किया। सुनील बनर्जी और सुनील आचार्य की भी हत्या की गई। दुर्गापुर आसनसोल क्षेत्र में भी हिंसात्मक गतिविधि तथा सुरक्षा अधिनियमों के अधीन लगभग 80 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये। 3-11-71 को कूलना शहर में चार व्यक्तियों की हत्या हुई। चौक बलरामपुर में 6 व्यक्तियों की हत्या हुई। अलादीपुर में गांव के सारे घरों को जलाया गया। बीरभूम के कई गांव लूटे तथा जलाये गये। कई ऐसे मामले भी हैं जहां पुलिस का भी हाथ है। वहां दमन हत्या और आतंक का राज्य व्याप्त है। 27-9-71 को जादवपुर में रूट नं० 5 के बस स्टाप पर पुलिस ने 30 वर्षीय खोका चकर्वर्ती नामक युवक को गिरफातार किया और बाद में उसे गोली से उड़ा दिया। इसी प्रकार की दुखांत घटना 18 वर्षीय सलिल दास नामक युवक के साथ हुई जिसको पुलिस ने एक अक्तूबर, 1971 को गिरफ्तार करके बुरी तरह से पीटा जिसके फलस्वरूप वह मर गया। श्रीमती इन्दिरा गांधी भी मां हैं।

श्री हेमन्त पुरकायस्थ को उनकी पत्नी की उपस्थिति में पुलिस बिस्तर से उठाकर अपने साथ ले गई। थोड़ी देर बाद गोली की आवाज सुनाई दी। दूसरे दिन उनकी पत्नी को बताया गया कि श्री हेमंत की मृत्यु हो गई है। दो बूढ़ी औरतों और एक बच्चे को जलाकर मारा गया। एक 13 वर्षीय लड़की की भी पुलिस ने निर्मम हत्या की। क्या एक 13 वर्ष की लड़की श्रीमती इन्दिरा गांधी की विरोधी हो सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन सब मामलों को माननीय सदस्यों के बीच परिचालित कर सकते हैं। आपने अब तक 25 मिनट ले लिये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा।

अशिम पोद्दार को गिरफ्तार किया गया। उसे हवालात में डालकर पीटा गया तथा उससे बलात्कार किया गया। यह मामला अभी भी न्यायाधीन है।

काशीपुर में 70 से 100 के करीब लोगों की हत्या की गयीं प्रधान मन्त्री ने न्यायिक जांच का आश्वासन दिया था लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। डायमंड हार्बर में 6 व्यक्तियों की हत्या की गयी और श्री सूरजकुमार घोष, जो नई कांगेस से सम्बन्ध रखते है, को गिरफ्तार नहीं किया गया। जो लोग सरकार से सुरक्षा चाहते हैं, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ? हम फरवरी के महीने में अन्य राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव चाहते हैं। इसके लिए आज ही सदन में आश्वासन आना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : यह बात सचमुच खेदजनक है कि पश्चिम बंगाल में लोगों की हत्यायें हो रही हैं।

सदन के कई सदस्य अभी हाल में कलकत्ता गये होंगे। अब इस शहर में शांति है। अब औरतें और बच्चे आधी रात तक सड़कों पर चल सकते हैं। इस शांति का श्रेय लोगों को जाता है, जिन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की है। पश्चिम बंगाल में शांति की स्थिति कायम होने के कारण हैं— केन्द्र में एक स्थाई सरकार का बनना तथा प्रजातांत्रिक आन्दोलन की सफलता।

सी०पी०एम० वाले कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र नहीं है। हमने जमाखोरी तथा बढ़ते हुए मूल्यों के विरुद्ध जिस आन्दोलन का आयोजन किया उसमें 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर 30 काले बाजारियों को गिरफ्तार करवाया गया। फिर भी वे कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र नहीं है। वे चाहते हैं कि हर जगह सी०पी०एम० के झण्डे लहराते रहें।

श्री बसु ने कहा कि हम हिंसात्मक कार्य करते हैं। इन्होने हिंसा तथा लूट के कई उदाहरण पेश किये हैं।

मेरे निर्वाचित क्षेत्र का नेताजी नगर नामक स्थान सी०पी०एम० का अड्डा है। चुनाव के दिनों में मैं वहां जा नहीं सकता था। इसी क्षेत्र में पुलिस ने अभी हाल में सी०पी०एम० द्वारा स्थापित शस्त्रों के कारखाने पर कब्जा किया। नेताजी नगर में सी०पी०एम० के दफ्तर से एल०एम०जी० तथा राईफलें कब्जे में ली गयीं। क्या ये लोग इससे इन्कार कर सकते हैं ?

मैं श्री बसु की इस बात से सहमत हूं कि पुलिस को लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकारों को नहीं कुचलना चाहिए। कभी-कभी पुलिस ज्यादतियां भी करती हैं, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन सारे राजनैतिक दल मिलजुल कर काम करें, तो यह समस्या सुलझ सकती है।

श्री बसु का कहना है कि हम नक्सलवादियों के साथ हैं। नक्सलवादियों के इतिहास और जन्म के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। हमारे नक्सलवादियों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन अब सी०पी०एम० तथा नक्सलवादियों के बीच, क्षेत्र परिषद की बढ़ती लोकप्रियता के फलस्वरूप, षडयंत्र चल पड़ा है। सी०पी०एम० एक वैज्ञानिक दल है। इसके सदस्यों के पास कार्ड हैं। इसके विपरीत कांग्रेस दल एक उदार दल है।

श्री बसु ने पश्चिम बंगाल के राजनैतिक वातावरण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के दल की पश्चिम बंगाल में पराजय हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि सी०पी०एम० दल पश्चिम बंगाल में लोगों से कट सा चुका है—अकेला सा रह गया है। पुलिस ने सिलीगुड़ी के सी०पी०एम० मुख्य कार्यालय पर छापा मारा और इन्हें वहां बन्दूकें, मशीनगनें स्टेनगनें मिलीं। दुर्गापुर में भी पुलिस को गोला-बारूद मिला। क्या ये इन बातों से इन्कार कर सकते हैं?

पश्चिम बंगाल के विकास के बारे में जो कुछ इन्होंने कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सांझे-मोर्चे की सरकार की कार्यवाही में 53 औद्योगिक इकाइयां बन्द हो गई थीं। इतने थोड़े समय में हमने लगभग बन्द पड़ी 300 इकाईयां खोल दीं। क्या यह विकास नहीं है? अब मनोरंजन कर में भी वृद्धि हो गई है। क्या यह भी विकास नहीं है?

अब सी०पी०एम० के साथ किसी अन्य दल के सम्बन्ध नहीं है। श्री ज्योतिर्मय बसु का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की समस्या है। ये प्रजातांत्रीय आन्दोलन की भी बात करते हैं। सी०पी०एम० के कुछ नेताओं ने यह भी कहा है कि हम बर्दवान में कांग्रेसियों का सफाया कर देंगे। सी०पी० एम० दुविधा में है और पश्चिम बंगाल के वातावरण को धुंधला करने का प्रयत्न करते रहते हैं।

अब इन्होंने पुरानी कांग्रेस के वोटों को हथियाने के लिए पुरानी कांग्रेस के नेताओं से सम्पर्क स्थापित कर दिये हैं। सन 1967 में इनके दल ने पश्चिम बंगाल में आतंक का राज्य स्थापित कर दिया था जिसे हम अब शांति की ओर मोड़ रहे हैं। मेरे निर्वाचित क्षेत्र विक्रमगढ़ में इनके शासन काल में कई लोगों ने अपने मकानों तथा सम्पत्ति को छोड़ दिया और भयवश वहां से भाग गये थे। अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद वे वापिस आ रहे हैं और अपने मकानों में रह रहे हैं।

विक्रमगढ़ में नाथुसेन, पियातुसेन तथा रोबो खां नामक कुख्यात अभियोगी हैं जिन्हें अब तक भी गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे मैं श्री सिद्धार्थ शंकर राय की असफलता ही कहूंगा कि ये लोग अब तक भी मुक्त रूप से घूम रहे हैं। अन्त में मैं यही कहूँगा कि मुझे इनके विरुद्ध कुछ नहीं बोलना है। लेकिन मैं इतना कह देता हूँ कि यदि सी०पी०एम० ने हमारे दल को संकट में डालने का प्रयत्न किया तो यह इनके लिए हितकारी न होगा क्योंकि हमारा दल अब वैज्ञानिक ढंग पर चल रहा है और दल तथा शासन दोनों को चलाना जानता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सी०पी०एम० तथा सत्तारूढ़ कांग्रेस के बीच स्पर्धा जैसी ऐसी चर्चा से कोई लाभ होगा, या नहीं, मेरी समझ में यह बात नहीं आती।

प्रस्ताव बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में है। क्या कानून और व्यवस्था की स्थिति कुछ वर्ष पहले की तुलना में आज सचमुच बिगड़ती जा रही है? मेरे विचार में पहले की तुलना में स्थिति बिगड़ नहीं रही। इसके साथ-साथ मैं यह भी नहीं मान सकता कि वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है। कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने वाले आज भी कई ऐसे तत्व विद्यमान हैं, जिन्हें दबाया जाना जरूरी है।

श्री ज्योतिमय बसु हर वस्तु को अपने दल के पैमाने से नापते हैं। मैं उनकी इस बात को नहीं मान सकता क्योंकि जब सी०पी०एम० के आतंककाल में अन्य दलों को कुचला जा रहा था, तो ये चिंतित नहीं थे। आज इनकी चिन्ता स्वाभाविक है।

मैं समझता हूं कि उनके इतने विरोध का यही अर्थ है कि अब वे साम्यवादी-मार्क्सवादी आतंक के स्थान पर साम्यवादी-मार्क्सवादी विरोधी आतंक फैलाना चाहते हैं। एक समय था जबकि साम्यवादी-मार्क्सवादी दल का मंत्रालय तथा राज्य दोनों जगह बलवान था और पुलिस प्रशासन भी उनकी हिमायत कर रहा था। परन्तु हाल ही में कुछ माह पूर्व से जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपनी अखिल भारतीय सिर्फ सुदृढ कर ली है, पुलिस अधिकारियों ने भी समाप्त होने वाली शक्ति का साथ छोड़ दिया और सत्तारूढ़ दल का पक्ष लेना आरंभ कर दिया।

केवल पुलिस का मामला ही नहीं बल्कि कुछ अन्य असाधारण और विशेष प्रकार की घटनायें भी होने लगीं। बंगाल की अनेक बस्तियों में, विशेषकर कलकत्ता तथा समीप की बस्तियों में बहुत बड़ी संख्या में लोग, जिन्हें पहले समाज विरोधी तत्व बताया जाता था और जो अभी हाल ही तक साम्यवादी-मार्क्सवादी अथवा नक्सलपंथी समर्थन में बन्दूकें, बम तथा चाकू-छूरे लिये फिरते थे, अब वे सत्तारूढ़ कांग्रेस के स्वयं सेवक तथा समर्थक नजर आते हैं। अब गत तीन तीन-चार वर्षों से पश्चिम बंगाय में चल रही इस प्रकार की राजनीति के फलस्वरूप ये तत्व अब और अधिक सक्रिय तथा प्रभावशाली हो गये हैं। उन्हें हर प्रकार का प्रोत्साहन और सहायता दी जा रही है। परन्तु यह भी स्मरण रहना चाहिए कि उनके संरक्षक उन्हें बहुत समय तक नियंत्रित न रख सकेंगे क्योंकि कुछ समय पश्चात यही तत्व स्वयं में ही एक शक्ति बन जायेंगे।

पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में आज सबसे चिन्ताजनक बात यह है कि बड़े जोतदारों तथा भू-स्वामियों ने जो कि हर मूल्य पर अतिरिक्त पड़ी तथा बेनामी भूमि को हथियाना चाहते थे, जिन पर कि गरीब किसानों का अधिकार था, उन्होंने एक देशव्यापी अभियान का आयोजन किया। अब जबकि फसल की कटाई का समय आने वाला है, तो उन्होंने बटाईदारों, जो कि उस भूमि को स्थाई रूप से अपने वैध अधिकार में बनाना चाहते थे, के विरोध में एक तीव्र आक्रमण आरंभ कर दिया। इस सम्बन्ध में पुलिस भी जोतदारों के सिपाहियों के रूप में काम करने लगे उस स्थिति में भयंकर परिणाम निकलने थे क्योंकि अब किसान अब ऐसा किसान नहीं रह गया है जो कि आज से 5 या 10 वर्ष पूर्व था। वे इस आक्रमण का मुकाबला करेंगे और धान की फसल की कटाई के समय वहां झड़पें होंगी। यदि जोतदारों ने धान की जबरन कटाई की और माल ले जाना चाहा, तो संभव है वहां चारों तरफ लड़ाई मच जाये। सरकार को इस सम्बन्ध में सावधान रहना चाहिए।

उसके पश्चात् प्रश्न है कारखानों के बन्द होने का। रोजगार की क्षमता की दृष्टि से अनेक छोटे और बड़े कारखाने बन्द कर दिये गये थे और हम बड़ी खुशी होगी यदि वे पुनः खोल दिये जायें। परन्तु दुर्भाग्य से इस संदर्भ में जितनी भी संस्थाये गठित की गईं, वे सब की सब असफल रहीं। और इस प्रकार असन्तोष का यह मूल कारण अभी तक विद्यमान है।

जहां तक मूल्यों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में स्थिति बड़ी ही भयंकर है। सरकार को चाहिये कि वह मुनाफाखोरों और जमाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे। परन्तु सरकार ऐसा नहीं कर रही है। यदि कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई, तो युवा-कांग्रेस तथा छात्र-परिषद द्वारा इस समय शांतिपूर्ण ढंग से किये जा रहे प्रदर्शन हिंसात्मक प्रदर्शनों में बदल सकते हैं और एक बार फिर वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो जायेगी।

इसके पश्चात सितम्बर तथा अक्टूबर की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करने का प्रश्न उठता है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उसने विशिष्ट रूप से इन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध इतनी कठोर कार्यवाही क्यों की है। यदि यही कुछ चलता रहा, तो कर्मचारियों में और अधिक असन्तोष तथा अशांति का वातावरण पैदा होगा।

अभी हाल ही में कुछ नौजवानों ने 'कुर्सियो पर बैठ जाने' का अभियान आरम्भ किया था। अब यदि कोई मज़दूर अपनी किसी मांग के समर्थन में हड़ताल करता है तो ये लोग कारखानों और दफ्तरों में घुस आते हैं और उनकी कुर्सियों पर जा बैठते हैं। उसके फलस्वरूप उनमें दलबन्दी की भावना पैदा होगी और गुटबाजी शुरू हो जायेगी।

अन्त में मेरा अनुरोध है कि साम्यवादी-मार्क्सवादी और कांग्रेस (सत्तारूढ़) से सम्बन्धित मेरे मित्र एक दूसरे के विरुद्ध हिंसा और आतंक का रवैया छोड़ दें और एक दूसरे के विरुद्ध समाज-विरोधी तत्वों तथा पुलिस से सांठ-गांठ करना बन्द कर दें क्योंकि इस से समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : श्री इन्द्रजीत गुप्त के भाषण ने आज की चर्चा में एक नया जीवन डाल दिया है। उन्होंने केवल कानून और व्यवस्था की समस्या पर ही अपने प्रभाव पूर्ण विचार व्यक्त नहीं किये बल्कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक दृष्टि से भी इस समस्या के मूल कारणों पर प्रकाश डाला। परन्तु मैं उनके सभी विचारों से सहमत नहीं हूं।

उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में केवल कानून और व्यवस्था की ही समस्या नहीं है प्रत्युत अन्य कई बातें भी हैं। बस्तुतः इस स्थिति की एक भूमिका है। वर्ष 1967 तक जबकि वहां पहली बार संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन हुआ था, उस समय स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत थी। परन्तु कुछ समय पश्चात यह स्थिति इस से पूरी तरह भिन्न हो गई है। उस पहली संयुक्त मोर्चा सरकार में एक प्रकार का शक्ति संतुलन था। परन्तु दूसरी बार साम्यवादी-मार्क्सवादी का बोल वाला हो गया था। साम्यवादी-मार्क्सवादी दल के नेताओं ने यह खुले रूप में कहा था कि राज्य में केवल उन्हीं का दल प्रभुसत्ता प्राप्त है और लोगों ने उन्हीं के दल को मत दिये हैं और उनमें ही अपना विश्वास व्यक्त किया है। अतः उनके दल को ही हर बात में सबसे बड़ा अधिकार मिलना चाहिये। मंत्रिमंडल में उन्होंने सभी महत्वपूर्ण पद लिये और गृह मंत्री तथा श्रम मंत्री

जैसे पदों पर अपने दल के लोग नियुक्त किये। परन्तु अपने संगठन के बारे में वे यथेष्ट सुदृढ़ता प्राप्त न कर सके और इसलिये उन्होंने सरकार से सहायता लेनी चाही संयुक्त मोर्चे के नेता खुले आम यह कहते थे कि सरकार तो उनके दल की एक कठपुतली है और हम उसे चाहे जिस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं।

परन्तु जब स्थानीय अधिकारियों ने उनकी धोंस नहीं मानी, तो इन नेताओं ने उन अधिकारियों का घेराव करना और उन पर अनुचित दबाव डालना आरम्भ कर दिया। आरम्भ में, अनेक बार इन्होंने पुलिस स्टेशनों का घेराव किया और पुलिस पर दबाव डाला। पुलिस को तो उनके दल के नेता, गृह मंत्री के अधीन कार्य करना ही था। यही कारण था कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती गई। इस समय वहां दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकार का शासन था साम्यवादी-मार्क्सवादी लोगों ने स्थानीय जनता को आतंकित और तंग करना शुरू कर दिया। उन्हें इस दल को चन्दा देने पर मजबूर किया गया। जब कभी कूच-बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति को सामान्य करने के लिये जूलूस आदि का आयोजन किया तो साम्यवादी मार्क्सवादी दल के लोगों ने उन पर आक्रमण किया और 5 व्यक्तियों को पकड़ ले गये। और फिर इन 5 व्यक्तियों पर सार्वजनिक जनता न्यायालय में मुकद्दमा चलाया और इन पांचों के सिर काटने के आदेश दिये। संयुक्त मोर्चा शासन के समय यह दुःखद स्थिति व्याप्त थी।

इस मंत्रिमंडल के पतन के पश्चात् वहां क्या हुआ? वर्ष 1971 के चुनावों में साम्यवादी-मार्क्सवादी दल और इसके सहयोगी दल सरकार बना सकने योग्य बहुमत नहीं प्राप्त कर सके और वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। तब से अब तक, स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। परन्तु तब भी कुछ लोगों के पास हथियार और गोलाबारूद था। यदि हम पश्चिम बंगाल में एक सामान्य जीवन की स्थिति स्थापित करना चाहते हैं तो हम सब को चाहिये कि हम सभी मिलकर पश्चिम बंगाल का आर्थिक, सामाजिक और संस्कृतिक विकास करें, क्योंकि केवल इसी प्रकार हम पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकते हैं और वहां के लोगों की दशा सुधार सकते हैं।

Mr. Chairman : As per my chart the Jan Sangh has got only 7 Minutes to speak. I request Shri Joshi to cooperate so as to enable more members to speak.

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : We discussed the situation is West Bengal in the Forth Lok Sabha and also we are discussing it in this Fifth Lok Sabha. And still we are discussing the deteriorating situation. I don't think any true Indian will ever like or support the politics of murder or intimidation or violence. But still it is a sorry state of affairs that the politics of terror and hooliganism is prevailing in the country. This all depends upon how people try to curb it and take due interest in it. But those responsible for the administration of the country are themselves indulging in politics of force as is quite clear from their Janter Mantar episode.

In November 1970, I had forecast that you would not punish kunnilal Narayana and his associates who was arrested for attacking the Police Stations at pulpalli and Telucheri in Kerala. It is on the record. And now I read in the newspaper that have been released. Naxalite leader Kanu Sanyal has also been released just for want of evidences. Thus the question is as to whom do we want to check and curb ? The same sort of spirit prevails behind the Janter Manter incident in whose support the hon. Minister Shri Gokhale was pleading Yesterday in the House. That is why I say that first of all the responsible persons should think about their own actions and deeds and certainly they should not support what was wrong and against the law.

The Naxalite movement did not start with murder. It started, first of all, with the deforming, defacing and breaking the statues. They smashed down the stutues of Mahatma Gandhi, Asutosh Mukherjee, Swami Viveka Nand and also other literature. Thus, they started goondaism and disturbances in the education centres. But none of us have raised his noise against these things. I do not know enhyds you say that it is a socio-economic problem If an educated man does not get employment, should he, then break the idols of guest and national leaders or parade in streets showing anti-national slogans ? Such actions have to be condemned and those parties who support such action or the persons indulging in those activities should invariably be banned This is the only way to improve this sorry state of affairs in this state. It is very important that we should adopt only the peaceful means to express our discontent or opposition to anything whatsoever.

So, we should have to go into the very root of the problem if we want to improve the West Bengal situation. Shri Indrajit Gupta has mentioned about the mutual differences between his party and the CP(M). He said that whereas his party believes in ballot. The CP(M) on the other hand, believes in the bullet.

No body is against improving the lot of poor people. But this should be through proper methods. But what we are witnessing is something else. When we think about it we are reminded of a mixim that "the road of Communism from Peking to Paris is *via* Calcutta". The happenings in West Bengal since the Chinese attack of 1962 also point towards this. It is clear that continuous efforts are being made to gain control of this area. Efforts are being made to combine the politics of ballot to bullet. It is a pity that ruling party is unable to understand its implications.

Mr. P. R. Das Munshi has made courageous efforts to fight goondaism in Calcutta. Such efforts must be praised. We must make peaceful efforts to solve such problems. We should not resort to such actions which create tension. We have to create proper atmosphere in the country towards this.

Shri Ram Sahai Pandey (Raj Nandgaon) : If the mover of the resolution is serious about re-establishing peace in West Bengal, he should direct his party in proper way and see that it does not indulge in violent activities. When we see the past history of Bengal, which created personalities, like C. R. Das, Subash, Sharat, Bankim and Tagore, we feel pride in taking their names but when we look into the present conditions in West Bengal, we automatically feel ashamed. The mover of this resolution should see that his party discards the method of bullet and relies on ballots. We also want to do those things which you want to do. But our approach towards that direction is different from yours.

Today world has become rational. There must be some law and order and democratic rule in the country

It is very shocking to recall that during 22 months administration of the two United Front Governments there when Shri Basu was Home Minister in West Bengal, 2174 murders were committed. In other words about 3 murders a day were committed. Inspite of such murders on large scale there was no trial, no check on such brutalities. They provoked students, peasants, labourers. They created unrest and state of instability throughout the State, But these tactics will not pay now. Inspite of all such things they blame President's rule in the State in the name of law and order situation there. During their regime in the State there was ceiling of 75 bighas of land but as soon as President's rule was promulgated, this ceiling was reduced to 45 bighas of land. This provision was in favour of peasants. For the labourers gratuity law was passed in the State. Amount of arrears due to teachers will be cleared by the next month.

It is an admitted fact that President's rule is promulgated when there is a threat to law and order situation in any part of the country. This is not a happy situation to have President's rule in any State. Governor, Shri Dais has very skillfully tackled the situation of law and order in West Bengal. There is now peace there. The situation has considerably improved. One can move safely on the roads and in the streets. One can feel safer there.

The loss to property and other things has reduced. The Governor's couragious and timely action there is commendable.

All the political parties in West Bengal should come together in a democratic way for the cause of Mukti Bahini in Bangla Desh and sign a peace-agreement at least for six months. You will find that there is a way for development of the State.

I request the Prime Minister to provide more funds for the development of the state so that socio-economic problems of the state may be solved satisfactorily.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : साम्यवादी नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अभी कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और इसके और खराब होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । यदि यह बात ठीक है तो यह बहुत ही अच्छा है । परन्तु खेद का विषय है कि वहां अभी यह स्थिति नहीं है । पिछले दिन ही दमदम में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर बमों से आक्रमण किया गया है ।

ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक क्रांति आ रही है । और यही बुनियादी स्थिति है । इस सांस्कृतिक क्रांति के दौर में सत्ताधारी दल को छोड़कर अन्य कोई दल निष्ठावान नहीं है । इस सांस्कृतिक क्रांति में हिंसा, अव्यवस्था, अनुशासन हीनता, आर्थिक असमानता, मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी ही प्रगति हैं । अत: प्रगति और क्रांति के इस वातावरण में हम ही प्रतिक्रियावादी हैं । हमारे पिछड़े हुए और प्रतिक्रियावादी दल पर क्रान्तिकारियों ने आक्रमण किया है । अभी दो महीने ही बीते हैं जब मिदनापुर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर इन्होंने आक्रमण किया था ।

बंगाल काफी समय से संकट की स्थिति से गुजर रहा है । एक ओर उस पर भारत आये 90 लाख शरणार्थियों में से 80 लाख लोगों का भार है तथा दूसरी ओर बगला देश के लोगों की मदद करने की आड़ में सत्तारूढ़ दल हिंसा कर रहा है । सरकारी तंत्र को उग्रवादी मतभेदों के लिए प्रयोग किया जा रहा है । यहां सरकार न रह कर सम्पदा बन गई है । विदेशी पत्रों के अनुसार बंगाल में आतंक का साम्राज्य है । मैं इस सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब यह देश एक फासिस्ट राज्य बन जायेगा । हमारे यहाँ इस समय एक बदहवास सरकार है और वह बदहवासी के कार्य कर रही है । क्योंकि उसने सभी क्षेत्रों में बदहवासी की स्थिति पैदा कर दी है ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री तथा संस्कृति विभाग मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : मैं यह नहीं कहता कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक हैं और न ही मैं यह दावा करता हूँ कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को हल कर दिया गया है पर जैसा कि साम्यवादी नेता ने कहा, इसमें सुधार अवश्य हुआ है । यह सही है कि यह सुधार उस सीमा तक नहीं हुआ है जिससे कि हम कह सकें कि अब स्थिति बिल्कुल ठीक है ।

जब मैंने पश्चिम बंगाल का कार्य अपने हाथ में लिया तब ही से इस बात को ध्यान में रखा कि कानून और व्यवस्था की समस्या से बढ़कर जो समस्या पश्शिम बंगाल की है, वह है वहां की आर्थिक समस्या । बिना किसी कारण हर कोई हिंसक कैसे हो गया । जैसा कि मैंने चुनावों के समय भी कहा था कि इसकी जड़ में 1966 की पुरानी कांग्रेस की सरकार है । और इसी कारण जनता ने उसके बदले दूसरी सरकार को चुना । 1969 में भी ऐसा ही हुआ । लोगों

ने अविभाजित कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया और मार्क्सवादी साम्यवादियों ने सभी आवश्यक विषयों को संभाला। यह हमारा दुर्भाग्य ही था। यद्यपि सरकार में 13 अन्य दल भी थे पर सारी शक्ति मार्क्सवादी साम्यवादियों के हाथ में थी। इसके लिए मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा।

हम इस मिलीजुली संयुक्त मोर्चा सरकार को सफल बनाना चाहते थे। पर तीन महीनों में मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने प्रत्येक निकायों और संस्थाओं से अन्य सभी दल वालों को निकालना आरम्भ कर दिया। शिक्षा मन्त्री ने शिक्षकों की दयनीय स्थिति को सुधारने के बजाय सभी स्कूलों की प्रबन्ध समितियों को समाप्त कर अपनी समितियों की नियुक्ति की।

उन प्रबन्ध समितियों को भंग करके साम्यवादी (मार्क्सवादी) व्यक्तियों द्वारा उन्हें अधिकार में ले लिया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकारी प्रतिनिधि को सच्ची बात कहनी चाहिए।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : जो कुछ मैं कह रहा हूं इसे बंगाल के सब लोग जानते हैं। श्रम मन्त्री श्री कृष्ण घोष के कार्य-काल में हर एक फैक्टरी में उपद्रव हुए।

श्री मनोरंजन हाजरा (आरामबाग) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं पश्चिम बंगाल विधान सभा का सदस्य था और मैं यह कह सकता हूँ कि मंत्री महोदय सच नहीं बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल ने हर फैक्टरी में श्रमिक संगठनों पर अधिकार जमाने की चेष्टा की। उनके नेता श्री हरि कृष्ण कोन्नार ग्रामीण क्षेत्रों में गये और किसानों को अपने झंडे के नीचे लाने की चेष्टा की और उनमें इतनी उत्तेजना फैलाई कि मुख्य मंत्री को सत्याग्रह करना पड़ा।

बंगाल के मामलों का कार्यभार सम्भालने के बाद जब मैं वहां गया, तो मुझे मालूम हुआ कि संयुक्त मोर्चा के शासनकाल में आप कार्यकारी आदेश द्वारा 1353 मामले वापिस लिए गये, इनमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 304, 326 और 336 के गंभीर मामले भी थे। फलस्वरूप 13, 373 अपराधियों को जन साधारण के साथ मिलने दिया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने पुलिस के विरुद्ध बहुत से आरोप लगाये हैं। वे सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतएव उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा।

बहुत पहले हमने पश्चिम बंगाल में बिना टिकट यात्रा को समाप्त करने का निश्चय किया था। उनकी एक बैठक 7 तारीख को हुई, जिसमें हजारों लोग कलकत्ता आये और उनमें से किसी ने भी टिकट नहीं लिया। मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि साम्यवादी (मार्क्सवादी) कितने सत्यवादी हैं।

पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास के लिए एक 16 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई है जिसे कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्रेच्चुटी अधिनियम और क्लोजर अधिनियम बंगाल में कानून बन गये हैं। सरकार शिक्षकों के हितों एवं औद्योगिक सुधार का यत्न कर रही है।

मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे दल मैं कुछ गलत लोग आ गये हैं, जिसे रोकने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य से हम फोटो चित्र आरंभ कर रहे हैं। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि उनकी पार्टी के कामरेड और निश्चय ही गुंडे कामरेड हमारी पार्टी में नहीं लिये जायेंगे।

कटाई के समय हमें अत्यन्त सतर्क रहना है कि झूठे जोतदार उसका लाभ न उठा पायें। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि बर्गदार और भूमि विहीन लोगों की कोई कठिनाई न हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन लोगों के विरुद्ध सैकड़ों झूठे मामले क्यों चलाये जा रहे हैं।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : मुझे उनकी सूचना प्राप्त हुई है। यदि आप कलकत्ता में अपने लोगों से पूछताछ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कार्यवाही की गई है।

बहुत से कारखाने बन्द पड़े हैं और उनके पुन: खोले जाने की आवश्यकता है। अब ऐसा अधिनियम बन गया है कि दायित्वों का उत्तरदायित्व लिये बिना उन्हें अधिकार में लिया जा सके। संयुक्त मोर्चे के शासनकाल में लगभग 500 कारखाने बन्द हुए। उन्होंने इसे बन्द इसलिये होने दिया क्योंकि वे समस्या का समाधान नहीं चाहते थे अपितु अराजकता फैलाना चाहते थे।

काशीपुर और बड़ानगर की घटनाओं के पश्चात मैं उस क्षेत्र के लगभग हर घर में गया। लोगों ने मुझे खाली पड़े मकान और बन्द पड़े स्कूल दिखाये। उन्होंने जले हुए मिल्क-बूथ और बस स्टैंड भी दिखाये। मैंने 28 दलीय सम्मेलन में इनका उल्लेख किया। मैंने पाँच प्रमुख दलों द्वारा जांच का प्रस्ताव रखा क्योंकि 28 दलों द्वारा जांच संभव नहीं थी। परन्तु इस बारे में दलों में आपस में समझौता नहीं हो सका।

यह प्रश्न भी उठाया गया कि पुलिस अपना कर्तव्य निभाने में असफल रही है। उन्होंने डी० आई० जी० और कुछ अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की मांग की। उन्होंने उनको तुरन्त निलम्बित करने की मांग की। मैंने उन्हें बताया कि यदि निलम्बित करना आवश्यक हुआ तो हम ऐसा करेंगे। 15 तारीख की रात्रि को और तथ्य प्राप्त हुए। मैंने उन दोनों अधिकारियों का, बिना कोई कार्यभार देते हुए स्थानांतरण का सुझाव दिया।

अगले दिन 28 दलीय सम्मेलन में मैंने एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच की घोषणा की। वास्तव में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश इस बारे में सहमत हो गये थे। परन्तु बीमारी के कारण वह कार्य न सम्भाल सके। मैंने उच्च न्यायाधीशों से बातचीत की जो कि जाँच करने को उद्यत थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री पी० पी० मुखर्जी को आपके आदेशों पर पुलिस के ऐजेंटों द्वारा छुरा मार दिया गया।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : जांच के लिए नियुक्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक और न्यायाधीश की हत्या कर दी गई। परिणामस्वरूप जिस न्यायाधीश को हमने जांच के लिए कहा, वह उसके लिए तैयार नहीं हुआ।

हम किसी व्यक्ति अथवा दल के विरुद्ध नहीं हैं । हम हिंसा, काला बाजार तथा हर प्रकार की अराजकता के विरुद्ध हैं । रेलवे की तारें चुराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है । जहां पर समस्या के इन पहलुओं का सम्बन्ध है उसमें पर्याप्त सुधार हुए हैं ।

परसों उन्होंने सोचा था कि हम पश्चिम बंगाल में व्यवस्था भंग नहीं कर सकते, तब उन्होंने इस सदन में व्यवस्था भंग करने की चेष्टा की

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

जहां तक साम्यवादी (मार्क्सवादी) का सम्बन्ध है वे पूर्णत जनता से अलग-थलग हो गये हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : 7 तारीख को हमने ब्रिगेड परेड ग्राऊंड में 10 लाख लोगों को एकत्र किया । मैं आपको वैसी बैठक बुलाने का आह्वान करता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के नेतृत्व में अपने स्वतंत्रता संग्राम में हमने कुछ मूल्यों को प्राप्त किया जोकि भारतीय संस्कृति में निहित हैं । हमने राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में सदा माननीय जीवन की गरिमा को स्वीकार किया है ।

गांधी जी सदा हमें बताया करते थे कि अच्छे उद्देश्यों के लिये हमारा पथ भी अच्छा होना चाहिए ।

आज बंगाल में भोले-भाले लोगों का खून किया जाता है । नोआखली में साम्प्रदायिकता के नाम पर ऐसा ही हुआ था तब गान्धी जी ने कहा था कि हिंसा का मुकाबला हिंसा से नहीं किया जाना चाहिए । उन्होंने उन क्षेत्रों की शान्ति यात्रा की ओर वहां की स्थिति को सुधारा ।

स्मरण रहे कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बड़ी विषम है । लोगों का इससे संबंध नहीं कि लूट-मार एवं हत्याएं किस दल के संकेतों पर होती हैं, वे तो यही चाहते हैं कि दोषी व्यक्तियों को दंड मिले । आज जिस दल, जिस साम्प्रदाय के लोग मारे जाते हैं, तो उक्त दल उक्त साम्प्रदाय के लोग दुखी: होते हैं । परन्तु हमारी संसद को भी दु:खी होना चाहिए क्योंकि मनुष्यों की हत्या हो रही है ।

बंगाल में कुछ वर्षों से अन्तर्राजनीतिक झगड़ों का फैसला सड़कों पर हिंसक कृत्यों द्वारा किया जाता है । श्रमिक संघों के कार्यकर्त्ताओं की हत्यायें हुई हैं । मेरे लिये इस बात का कोई महत्व नहीं कि हत्या किये गये व्यक्तियों का किस श्रमिक संगठन से सम्बन्ध है । बंगाल में आज भी विषम स्थिति बनी हुई है । यदि संसद आज भी कोई समिति नियुक्त करे तो सिद्ध होगा कि जो लोग आरोप लगाते हैं, वही उसके लिये उत्तरदायी हैं ।

आधुनिक समय में कानून और व्यवस्था की समस्याएं पुलिस थानों द्वारा नहीं निपटायी जा सकतीं । इसके लिये आवश्यक है कि बंगाल में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना हो । हम संसद सदस्यों को न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । आज देश का, विशेषत: बंगाल का नारा है कि शक्ति बंदूक की नाली से उत्पन्न होती है । कुछ लोग कहते हैं कि हमें बंदूक की नाली

के साथ बैल को जोड़ना चाहिए । हमें निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । बंगाल में आज श्रमिक नेताओं पर हमले होते हैं । हमें इस वाद-विवाद में यह भूल जाना चाहिए कि इसका प्रस्तावक कौन है । हमें देखना है कि स्थिति उस मानवीय गरिमा का आदर करती है कि नहीं जिसका मैंने गांधी जी के संदर्भ में उल्लेख किया है ।

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि यदि उनकी आत्मा निर्मल है, तो वे इस पूर्णतः उचित सुझाव को स्वीकार करें । हमें पता होना चाहिए कि दोष कहां पर है ।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : यह न केवल बंगाल अपितु सारे भारत के लिये दुःख की बात है कि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जांच करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं । तीन वर्ष पूर्व जब बंगाल में राष्ट्रपति शासन था तो वहां ग्यारह युवकों की हत्या की गई और उनके शव सड़क पर ही छोड़ दिये गये । प्रधान मन्त्री ने उसकी जांच कराने का वचन दिया था ।

उसके बाद बारासात की और बेलीघाट की घटनाएं हुई और विश्वविद्यालय कैम्पस में एक नकसलवादी युवक की हत्या कर दी गई । मैंने इस बारे में 21 नवम्बर, 1970 को प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा था ।

आज एक वर्ष बाद जिन घटनाओं का श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने उल्लेख किया है, वे और भी भयानक हैं ।

हिंसा के कारण अनेक व्यक्तियों की हत्याएं हुई जिनकी जाँच के लिये आश्वासन दिया गया था परन्तु देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि जांच करने वाले न्यायाधीशों को सरकार सुरक्षा का आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है ।

यदि इस सदन में परिस्थितियों पर गम्भीर चिन्ता नहीं व्यक्त की जाती, तो मैं नहीं कह सकता कि इस देश का क्या होगा । हेमन्त कुमार बसु की हत्या का उल्लेख किया गया था । हत्यारे का कुछ पता नहीं चला । राष्ट्रपति ने उस हत्या का उल्लेख किया था परन्तु कुछ कार्यवाही नहीं की गई ।

फासिस्टवाद आ रहा है । हमारे पड़ौसी देशों, पाकिस्तान आदि में फासिस्टवाद का बोल-बाला है । यदि हम मिलकर इन परिस्थितियों में सुधार नहीं करते, तो परमात्मा ही हमारी सहायता कर सकता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : राज्य सरकार के कर्मचारियों के 13 नेताओं को बिना कोई कारण बताये अथवा उनको अपनी सफाई में कुछ कहने का अवसर दिये बिना निलम्बित कर दिया गया । यह घटना पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद घटी। जब हमने इसका विरोध किया तो बिभिन्न आयुध कारखानों के 32 कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 310 के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया । मैं अखिल भारत रक्षा कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष के नाते यह बात कह सकता हूं कि इन आयुध कारखानों में उत्पादन बढ़ा है । सुरक्षा प्रतिष्ठानों में इससे पहले कभी भी लोगों को बिना कारण बताये नौकरी से नहीं निकाला गया ।

नियमों के होते हुए भी उनको नौकरी बिना कारण समाप्त कैसे की गयी ? हमने प्रधान मन्त्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। मैं रक्षा मन्त्री महोदय से भी इन मामलों पर विचार करने का अनुरोध करूंगा। मैं यह सिद्ध करने के लिये तैयार हूँ कि लगाये गए सारे आरोप निराधार तथा झूठे हैं।

———

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पांचवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

———

पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION REGARDING LAW AND ORDER SITUATION IN WEST BENGAL—CONTD.

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्री ज्योतिर्मय बसु ने आज कुछ विशेष मामलों का जिक्र किया। समस्या के व्यापक पहलुओं की ओर उनका ध्यान नहीं गया। मेरे माननीय मित्र श्री मुन्शी तथा श्री राम सहाय पांडे ने मेरे काम को सरल कर दिया है। श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने हिंसा, कानून और व्यवस्था के पहलुओं पर व्यापक प्रकाश डाला है।

पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। बंगला देश से शरणार्थियों के भारी संख्या में आगमन तथा भयंकर बाढ़ के कारण ये कठिनाईयां और बढ़ गयी हैं। इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने काफी सराहनीय कार्य किये। श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने व्यक्तिगत रुचि लेकर पश्चिम बंगाल की समस्याओं के समाधान के लिए सचमुच विशेष कार्य किया है। मेरे विचार में पश्चिम बंगाल के सारे राजनैतिक दल वहां की विकट समस्याओं को अनुभव कर रहे हैं। मेरे विचार में पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति में जो सुधार हुआ है उसका श्रेय मुख्यत: वहां के लोगों को जाता है। राज्यपाल के शासन में पश्चिम बंगाल के प्रशासन ने भी वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने की दिशा में काफी प्रयत्न किए हैं और सफलता प्राप्त की है। हिंसा किस सीमा तक कम हुई, इसके लिए मैं कुछ आंकड़े देना चाहूँगा। पिछले चार महीनों के अन्दर पारस्परिक दलीय दंगों तथा राजनैतिक हत्याओं की संख्या पहले की अपेक्षा आधी है। उग्रवादियों द्वारा हिंसा की घटनायें बहुत कम हुई हैं। पुलिस पर आक्रमण सम्बन्धी घटनायें 97 से 46 तक हो गयीं थी लेकिन अगले दो महीनों के अन्दर यह संख्या और बढ़ गयी (**व्यवधान**)।

प्रो० मधु दंडवते : इन आंकड़ों के होते हुए भी क्या आप समझते हैं कि पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : बिल्कल नहीं । हड़तालों और घेरावों की संख्या में भी काफी कमी हुई है । यह कहना उचित होगा कि पश्चिम बंगाल की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था स्थिति में काफी सुधार हुआ है । वास्तविकता यह है कि लोग हिंसा की चुनौती का निर्भयता से सामना कर रहे हैं । अत: पश्चिम बंगाल की स्थिति में सुधार करने के लिए लोगों द्वारा दिए गए समर्थन की ओर इस सदन का ध्यान जाना चाहिए । यह हर्ष की बात है कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने लगभग 22000 रेजिस्टेंट ग्रुप बनाये हैं जिस में राज्य के लगगभ पांच लाख लोग हैं ।

अब पश्चिम बगाल के लोग वहां की स्थिति के बारे में जागरूक हैं और यदि यह जागरूकता तथा सतर्कता जारी रही, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने में काफी प्रगति होगी । जो लोग प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं, उन्हें हिंसा की राजनीति का दमन करने के लिए सहयोग देना चाहिए । बंगाल के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की ओर ध्यान देना जरूरी है । बन्द पड़े कारखानों को खोलना भी जरूरी है । परियोजनाओं को पूरा करना भी जरूरी है । फरक्का पुल अभी हाल ही में बनाकर पूरा किया गया । कृषि सुधार की दिशा में भी हमने कदम उठाए हैं हम पश्चिम बंगाल की सर्वांगीण दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील हैं ।

पुलिस के विरुद्ध काफी आरोप लगाए गए हैं । पुलिस की ज्यादातियों के पक्ष में मैं भी नहीं हूं । जिस हिंसा के वातावरण में पुलिस रहती है, उसमें कभी कभी ज्यादतियां भी हो जाती हैं । मैं यही कह सकता हूं कि जब भी कोई ऐसी बात हमारे ध्यान में आए तो हम उस पर अवश्य कार्यवाही करेंगे ।

श्री मुन्शी ने नक्सलवादी आन्दोलन के जन्म का जिक्र किया है । मैं इस बात को मानता हूं कि हिंसा का दमन करना सरकार की जिम्मेवारी है और हम इसका दमन करने के लिए कृतसंकल्प हैं ।

मैं इस बात को मानता हूं तथा अनुभव करता हूं कि सी०पी०आई०(एम०) आज पश्चिम बंगाल में जनता से अलग हो गया है कट सा गया है ।

आपके जनता से अलग होने तथा अकेले रह जाने के प्रति हमारी हमदर्दी है लेकिन हम मजबूर हैं ...(व्यवधान)...

पश्चिम बंगाल के अन्य राजनैतिक दल सी०पी०एम० के हत्या वाले हमलों के शिकार बने । मेरी सूचना के अनुसार पिछले चार महीनों में सी०पी०एम० ने अन्य राजनैतिक दलों पर 220 हमले किए और इस वर्ष के आरम्भ से अब तक ऐसे कुल 1100 हमले हुए हैं ।

मार्च के महीने में दुर्गापुर स्थित सी०पी०एम० के दफ्तर पर छापा डालने से 17 पाईप-गन तथा बिना चले हुए बम बरामद किए गए । इसी महीने में सिलीगुड़ी में पुलिस ने 1 पाईप-गन, 10 कारतूस, 10 बम तथा दो छुरे बरामद किए । 27 मार्च को 24 परगना जिले में पुलिस ने 4 बम तथा एक छुरा बरामद किया । 19 अप्रैल को पुलिस ने 20 बिना चले बम, 13 मोलोतोव कोकटेल तथा 4 किलो विस्फोटक पदार्थ प्राप्त किए ।

बंगाल आज विकट स्थिति से गुजर रहा है। यदि सारे राजनैतिक दल एक होकर इस स्थिति का सामना करें तो सामान्य स्थिति पैदा करने का काम धीमी गति से नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल के देशभक्त लोग, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, इस संकट काल में बन्द का आयोजन करने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं इस प्रस्ताव के प्रस्तावक से अनुरोध करूंगा कि सदन की भावनाओं को देखते हुये अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें क्योंकि इससे कोई भी लक्ष्य पूरा न होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन कर्मचारियों को निलम्बित करने के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री और संस्कृति विभाग मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : संविधान के अन्तर्गत इस प्रकार की निलम्बन सम्बन्धी कार्यवाही राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करती है। यह मामला राज्यपाल की शक्ति से सम्बन्ध रखता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कहा जाता है कि चुनाव द्वारा श्री पन्त के दल की लोकप्रियता का पता लग जायेगा, तो ये चुनाव से डरते क्यों हैं? आप उन समाज विरोधी तत्वों की रक्षा कर रहे हैं जो कांग्रेस की सेवा करते हैं। उनकी रक्षा जरूर कीजिये।

आपने चुनाव की बात की। शरणार्थियों का आगमन चुनाव के लिये किस प्रकार बाधक है। आप लोग कानून और व्यवस्था का बहाना बना कर चुनाव नहीं कराना चाहते।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने जो कुछ कहा, उसका सच्चाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन्होंने सांझे-मोर्चे की सरकार के बारे में भी कई ऐसी बातें कहीं, जिन का सच्चाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा 7 नवम्बर का प्रदर्शन श्री राय की आशा के विपरीत बहुत सफल रहा जिसमें लाखों लोग जिलों से आए। हमारे कई लोगों को पुलिस ने गाड़ियों से धकेल कर बाहर निकाला और उन्हें बुरी तरह से पीटा। हमारे लोग गरीब हैं लेकिन बेईमान नहीं हैं। वे टिकट लेकर प्रदर्शन में भाग लेने आये। श्री राय बड़े बड़े पूंजीपतियों के वकील हैं। कार मूल्य आयोग के सामने बिड़ला के पक्ष में दी गई इनकी दलीलों को मैंने पढ़ा है।

श्री सिद्धार्थ शंकर राय : जैसे श्री शशांक शेखर सन्याल ने हरीदास मूंदड़ा के पक्ष में सैशन कोर्ट में दलीलें दी थीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पश्चिम बंगाल में हमारे दल का शासन केवल 22 मास ही रहा है। इस अवधि को छोड़कर स्वतन्त्रता प्रगति से अब तक वहां पर कांग्रेस का शासन रहा। अतः पश्चिम बंगाल की अव्यवस्था की स्थिति के लिए वही दल ही उत्तरदायी है। बड़ानगर और काशीपुर में लोगों की हत्याएं हुई। 17 घंटे तक पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुंची। उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जा रहा है। यह कोई दण्ड नहीं है। यह तो वस्तुतः उन्हें बचाना मात्र है। बारासत में पुलिस के एजेन्टों के माध्यम से श्री टी० पी० मुखर्जी की हत्या करवाई गई। न्यायाधीश, श्री राय की हत्या के सम्बन्ध में भी श्री सिद्धार्थ शंकर राय यह जानते हैं कि उनकी हत्या के लिए मृत कांग्रेसी विधायक के अनुगामी ही जिम्मेदार हैं।

जाधवपुर पुलिस स्टेशन के सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस पुलिस स्टेशन द्वारा गुंडों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज नहीं की जातीं। केन्द्रीय आरक्षित पुलिस व गुंडों

द्वारा इस क्षेत्र में की गई ज्यादतियों के बारे में मेरे पास दर्जनों शिकायतें हैं। इन सब बातों को तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को यदि हम देखें तो प्रतीत होता है कि जो कुछ श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी ने कहा है। वह आधारहीन है।

श्री मुन्शी ने अलगाव के बारे में साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) पर आक्षेप लगाया है। हम अखंड भारत के पक्षपाती हैं। हमारे विरुद्ध जानबूझकर गलत बातें कही जा रही हैं।

श्री मुन्शी इस बात को शायद भूल गए हैं कि उद्योग केन्द्र की नीतियों के परिणामस्वरूप बन्द हुए है। उद्योगों को चालू रखने के लिये वहां पर कच्चा माल नहीं दिया गया। सब बैंकों पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण है अत: कार्यकारी पूंजी की उपलब्धि भी कम रही। केन्द्रीय सरकार ने अपने क्रय विभाग को पश्चिम बंगाल से स्थानान्तरित कर लिया है। रेलवे विद्युतीकरण विभाग द्वारा हावड़ा के लघु उद्योगों से लगभग 2 करोड़ रुपये का सामान खरीदा जाता था। उस विभाग को वहां से स्थानान्तारित कर दिया गया है। और इसका परिणाम यह हुआ है कि रेलवे विभाग को 28 करोड़ रुपये की हानि का सामना करना पड़ रहा है। यह सब कुछ केवल इस कारण से किया गया है कि सरकार पश्चिम बंगाल के लघु उद्योग क्षेत्र को सबक सिखाना चाहती थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि यह समस्या मुख्यत: बेकार तथा निराशा ग्रस्त युवकों ने पैदा की है। परन्तु प्रश्न यह है कि यह बेकारी किस ने पैदा की ? युवकों में निराशा किस ने फैलाई ? इसके लिए वही उत्तरदायी हैं जिनके हाथों में पिछले 25 वर्षों से शासन की बागडोर थी। यह अन्त: दलीय संघर्ष नहीं हैं। श्री इन्द्र जीत गुप्त को यह भूल गया प्रतीत होता है कि जोतदारों और उद्योगपतियों के साथ संघर्ष में उनका दल ही आगे रहा है। यह सरकार एकाधिकार की सरकार है और इस संघर्ष का विरोध करके यह अपना तानाशाही रूप दिखा कर हमारा विरोध कर रही है। बडानगर-काशीपुर सर्वदलीय बैठक में सर्वदलीय जांच दल की स्थापना का निश्चय किया गया था। परन्तु सरकार ने इसे कार्यान्वित नहीं किया। श्री पांडे ने बैलट की बात की है। परन्तु दूसरी ओर व्यर्थ के कारण बताकर आप पश्चिम बंगाल के लोगों को चुनाव के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। मैं केवल यही कहना चाहते हूं कि हमें लोगों के पास जाना चाहिये और उनकी राय लेनी चाहिये। एक दूसरे पर दोषा रोपण छोड़कर हमें वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए कि जनता क्या चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

'यह सभा पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति तथा उसमें पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सरकारी तन्त्र और समाज विरोधी तत्वों के एक वर्ग की भूमिका पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 18 नवम्बर, 1971/27 कार्तिक, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, 18th November, 1971/Kartika 27, 1893 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20, Daryaganj Delhi-6.